बी के पावित्र और ओआरएस।

वी.

भारत और ओआरएस का संघ

(2018 का एम. ए. सं. *1151)*

में

(2011 की सिविल अपील संख्या *2368)*

10 मई, *2019*

[उदय उमेश ललित और

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे. जे.*]*

कर्नाटक में परिणामी वरिष्ठता का विस्तार

आरक्षण के आधार पर पदोन्नत सरकारी कर्मचारी *(*राज्य की सिविल सेवाओं में पदों के लिए*)* अधिनियम, *2018:*

आयोजित की वैधताः आरक्षण अधिनियम *2018* संवैधानिक रूप से वैध है-आरक्षण अधिनियम *2018* ने आरक्षण अधिनियम *2002* के संबंध में बी. के. पवित्रा *I* द्वारा देखी गई कमी को दूर कर दिया है-आरक्षण अधिनियम *2018* द्वारा न्यायिक शक्ति का दुरूपयोग नहीं है।

राज्य विधानमंडल-यह अधिनियम कला द्वारा प्रदत्त सक्षम करने की शक्ति का एक वैध प्रयोग है। *16 (4* ए*)*-कर्नाटक आरक्षण *(*राज्य की सिविल सेवाओं में पदों के लिए*)* अधिनियम, *2002* के आधार पर पदोन्नत सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण-भारत का संविधान-कला। *16 (4* ए*)*।

2018 अधिनियम, यदि बी. के. पवित्रा *I* मामले को खारिज या रद्द कर दिया जाता है-बी. के. पवित्रा *I* मामले में, आरक्षण अधिनियम *2002* को माना गया था - असंवैधानिक क्योंकि राज्य ने नागराज मामले में उल्लिखित तीन मापदंडों-प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता, पिछड़ेपन और समग्र दक्षता पर मात्रात्मक डेटा एकत्र नहीं किया था।

पदोन्नति और परिणामी वरिष्ठता में आरक्षण का प्रावधान इसके बाद, *2018* अधिनियम का अधिनियमन-आयोजितः बी. के. पवित्रा *I* में निर्णय के बाद, राज्य सरकार ने नागराज मामले में सम्मोहक कारकों पर डेटा एकत्र करने और विश्लेषण करने का विधिवत अभ्यास किया-कर्नाटक के राज्य विधानमंडल ने आरक्षण अधिनियम *2018* लागू करके, बी. के. पवित्रा *I* में न्यायिक निर्णय को रद्द नहीं किया है, बल्कि अंतर्निहित कारण को सुधारने का ध्यान रखा है जिसके कारण पहले स्थान पर अयोग्यता की घोषणा की गई-इस प्रकार,

1086 बी के पावित्र और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ

आरक्षण अधिनियम *2018* ने देखी गई कमी को दूर किया

बी. के. पवित्रा *I* द्वारा आरक्षण अधिनियम *2002* के संबंध में-ऐसा कानून वैध है क्योंकि यह निर्णय के आधार को हटा देता है-कर्नाटक आरक्षण के आधार पर पदोन्नत सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण *(*राज्य की सिविल सेवाओं में पदों के लिए*)* अधिनियम, *2002*।

एस. *4- 27.04.1978* के बाद से पहले से दी गई परिणामी वरिष्ठता का संरक्षण-पूर्वव्यापीता के संबंध में प्रावधान,

चाहे मनमाना हो या असंवैधानिक-आयोजितः प्रावधान न तो मनमाने हैं और न ही असंवैधानिक-धारा *4* में कहा गया है कि -

आरक्षण आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित सरकारी कर्मचारियों को पहले से ही दी गई परिणामी वरिष्ठता वैध होगी और संरक्षित की जाएगी-चूंकि विरपाल सिंह में निर्णय में कहा गया था कि कैच-अप नियम केवल *10.02.1995* से लागू होगा, इसलिए अजीत सिंह द्वितीय में निर्णय ने विशेष रूप से *01.03.1996* से पहले दी गई पदोन्नति की रक्षा की। कैच-अप नियम का पालन किए बिना; और बडप्पनवर के मामले में, *01.03.1996* से पहले हुई परिणामी वरिष्ठता के आधार पर आरक्षित उम्मीदवारों की पदोन्नति को विशेष रूप से संरक्षित किया गया था।

विधायिका के लिए परिणामी वरिष्ठता की रक्षा करना तर्कसंगत था आरक्षण अधिनियम *2018* का उद्देश्य परिणामी समझौता करना है

रोस्टर अंकों के विरुद्ध वरिष्ठता को बढ़ावा देना।

भारत का संविधानः

कलाएँ। *200* और *201*-विधेयक को मंजूरी-राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक *(*जिसके कारण आरक्षण अधिनियम, *2018* हुआ*)* का आरक्षण-अनुच्छेद के तहत शक्ति। *200* - अभ्यास-आयोजितः एक बार राज्यपाल द्वारा विधेयक के लिए आरक्षित कर दिया गया था राष्ट्रपति के विचार के बाद, यह राष्ट्रपति के लिए था कि वह विधेयक को मंजूरी दे या उसे रोक दे-राष्ट्रपति ने विधेयक को, कला की आवश्यकताओं को मंजूरी दे दी। *201* पूरा किया गया था-राष्ट्रपति द्वारा सहमति की वैधता गैर-न्यायसंगत है-राज्य सरकार का विचार था कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसके विचार में, राज्यपाल ने यह निष्कर्ष दर्ज नहीं किया था कि यह असंवैधानिक था, या इस विषय पर मौजूदा केंद्रीय कानून का उल्लंघन था या यह विधायी क्षमता से परे था या मौलिक अधिकारों से अपमानित था।

[2019] 7 एस. सी. आर. पर पदोन्नत सरकारी कर्मचारियों के लिए परिणामी वरिष्ठता।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आरक्षण का आधार *(*राज्य की सिविल सेवाओं में पदों के लिए*)* अधिनियम, *2018*।

कला. *16 (4 ए)* और *(4* बी*)*-रत्न प्रभा समिति की रिपोर्ट-प्रतिनिधित्व और प्रभाव की पर्याप्तता पर राज्य द्वारा आंकड़ों का संग्रह।

दक्षता पर-औचित्य और पर्याप्तता पर न्यायिक शक्ति का प्रयोग-आयोजितः न्यायालय को उस चौकसी को पहचानना चाहिए जिसके साथ न्यायिक शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए-न्यायिक समीक्षा आवश्यक है यह निर्धारित करके पारंपरिक श्रेणियों को पार करें कि क्या रत्न प्रभा समिति ऐसी सामग्री पर विचार करती है जो अप्रासंगिक या बाहरी थी या जिसने ऐसा निष्कर्ष निकाला था जिसे कोई भी उचित व्यक्ति नहीं अपना सकता था।

कला. *16 (4 ए)* और *(4* बी*)*-रत्न प्रभा समिति की रिपोर्ट

रिपोर्ट, संवर्गवार जानकारी एकत्र करने के लिए नियुक्त सभी सरकारी विभागों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

विभाग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन पर; और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संवर्धन के कारण प्रशासन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन-क्या आरक्षण अधिनियम की वैधता और इसके कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार का गठन किया गया हैः रत्न प्रभा समिति की रिपोर्ट वैध है-बी. के. पवित्रा प्रथम में निर्णय के बाद, आवश्यक अभ्यास को पूरा करने के लिए रत्न प्रभा समिति को सही ढंग से नियुक्त किया गया था-समिति ने अपने निष्कर्ष किसी भी बाहरी या अप्रासंगिक सामग्री पर आधारित नहीं किए हैं-नमूना लेने की कार्यप्रणाली का सहारा लेने में, समिति ने कहा है -

मनमाने ढंग से कार्य नहीं किया गया-इस कवायद को केवल इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता है कि किसी विशेष विभाग या कुछ संस्थाओं से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण नहीं किया गया था-राज्य ने अपने निष्कर्ष निकालने से पहले प्रासंगिक और प्रतिनिधि दोनों तरह के आंकड़ों का विश्लेषण किया, भले ही डेटा संग्रह में कुछ त्रुटियां थीं, जो उस कानून को अमान्य करने को उचित नहीं ठहराएंगी जिसे सक्षम विधायिका अधिनियमित करने की अपनी शक्ति के भीतर थी-इसके अलावा, रत्न प्रभा समिति की रिपोर्ट को इस आधार पर चुनौती देने में कोई योग्यता नहीं है कि डेटा का संग्रह कैडरों के विपरीत समूह ए, बी, सी और डी के आधार पर था-समूह ए से डी के आधार पर डेटा का संग्रह अपनी प्रकृति से कैडरों से संबंधित डेटा को बाहर नहीं करता है क्योंकि समूह में उस समूह के सभी कैडरों में पद शामिल हैं।

- बी के पावित्र और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ

आरक्षण के आधार पर पदोन्नत सरकारी कर्मचारियों *(*राज्य की सिविल सेवाओं में पदों के लिए*)* अधिनियम, *2018*।

कला. *16 (1)* और *(4)*-समानता-पर्याप्त बनाम औपचारिक समानता-आयोजित की गई संवैधानिक सामग्रीः समानता के सही मायने में होने के लिए

प्रभावी या मूल रूप से, सिद्धांत को समाज में मौजूदा असमानताओं को पहचानना चाहिए ताकि उन्हें दूर किया जा सके-आरक्षण अवसर की समानता के नियम के लिए एक अपवाद नहीं है, बल्कि उन संरचनात्मक स्थितियों के लिए लेखांकन द्वारा प्रभावी और मूल समानता की वास्तविक पूर्ति है जिसमें लोग पैदा होते हैं।

संविधान की व्याख्या-आयोजितः संविधान एक है

परिवर्तनकारी दस्तावेज-इसकी परिवर्तनकारी क्षमता का अहसास अंततः जीवन और अर्थ को इसकी अमूर्त अवधारणाओं में सांस लेने की क्षमता पर निर्भर करता है।

संविधान का उद्देश्य इसके प्रारूपकों द्वारा किया गया था।

-

सामाजिक परिवर्तन लाने का एक महत्वपूर्ण साधन बनने के लिए संविधान की परिवर्तनकारी क्षमता का बोध समानता के विकास पर आधारित है, जो इसकी औपचारिक आधार से हटकर इसकी मूल क्षमता तक है।

कला. *335* परंतुक-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के दावे

सेवाओं और पदों के लिए जनजातियाँ-के लिए संवैधानिक औचित्य

किसी परीक्षा में योग्यता अंकों में ढील देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में; मूल्यांकन के मानकों को कम करने के लिए; या पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए-प्रोविसो मानता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावों पर विचार करने के लिए विशेष उपायों को अपनाने की आवश्यकता है ताकि उन्हें एक समान अवसर के मैदान में लाया जा सके। कला के मूल भाग के लिए योग्यता। *335* लेकिन यह एक का प्रतीक है

मौलिक समानता प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास-प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की आवश्यकता को इन विशेष उपायों को अपनाने के लिए एक बाधा के रूप में नहीं माना जा सकता है जो लोगों के उत्थान और सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कल्याण।

कला. *335* - वाक्यांश "प्रशासन की दक्षता"-परिभाषा

आयोजित किया गयाः संविधान "प्रशासन की दक्षता" वाक्यांश को परिभाषित नहीं करता है-कला। *335* इसे एक धारणा *[2019] 7* एस. सी. आर. पर नहीं माना जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से लिए गए रोस्टर पॉइंट पदोन्नति कुशल नहीं हैं या उन्हें नियुक्त करने से दक्षता कम हो जाती है-प्रशासन की दक्षता के लिए बेंचमार्क एक योग्य खुली श्रेणी के उम्मीदवार का प्रदर्शन नहीं है-मामलों में प्रशासन की दक्षता

संघ या किसी राज्य को समावेशी अर्थों में परिभाषित किया जाना चाहिए, जहां समाज के विभिन्न वर्गों को लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन की सच्ची आकांक्षा के रूप में प्रतिनिधित्व मिलता है-एक साथ समावेश राष्ट्र की बहुलता और विविधता की मान्यता दक्षता को परिभाषित करने के लिए एक वैध संवैधानिक आधार है।

इसलिए, कला की व्याख्या करते समय। *335* , दक्षता की अवधारणा को एक तरफा दृष्टिकोण से मुक्त करना आवश्यक है जो प्रशासन की दक्षता पर समाज के विभिन्न वर्गों के समावेश की आवश्यकता और सकारात्मक प्रभावों को नजरअंदाज करता है-चूंकि समावेश एक अच्छी तरह से शासित समाज से अविभाज्य है, इसलिए प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के बीच कोई विरोधाभास नहीं है और

नियुक्तियों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावों पर विचार करना।

कलाएँ। *335* , *16 (4)* और *46*-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण-प्रधान योग्यता-आयोजितः अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान

और अनुसूचित जनजातियाँ योग्यता के सिद्धांत के विपरीत नहीं हैं-"योग्यता" को एक मानकीकृत परीक्षा में किसी की रैंक जैसे संकीर्ण और लचीले मानदंडों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन कार्यों से प्रवाहित होना चाहिए जो समाज को पुरस्कृत करना चाहते हैं, जिसमें समाज में समानता और लोक प्रशासन में विविधता को बढ़ावा देना शामिल है-कला के लिए प्रावधान। *335* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में योग्यता परीक्षाओं में अंकों में ढील देने के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है-यदि नियुक्तियों में सरकार का एकमात्र विचार उन व्यक्तियों को नियुक्त करना था जिन्हें मानकीकृत परीक्षाओं में प्रतिभाशाली या सफल माना जाता था, तो उन तक पहुंच में असमानता के कारण।

कलाएँ। *16 (4* ए*), (4* बी*), 16 (1)* और *14*-आरक्षण-क्रीमी लेयर की अवधारणा-एससी और एसटी के लिए प्रयोज्यता-की उस अवधारणा को स्वीकार करें मलाईदार परत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होती है और अनुसूचित जाति बी. के. पावित्र और ओ. आर. एस.

वी. भारत और ओआरएस का संघ

और अनुसूचित जनजातियों को विभाजित या विभाजित नहीं किया जा सकता है और मलाईदार परत सिद्धांत को अपनाना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समरूप समूहों में विभाजन के बराबर होगा-आयोजितः स्वीकार नहीं किया जा सकता-मलाईदार परत

कला में सिद्धांत ध्वनि। *14* और *16 (1)* क्रीमी लेयर सिद्धांत समानता का एक सिद्धांत है।

कलाएँ। *16 (4* ए*)* और *(4* बी*)*-आरक्षण-मलाईदार परत की अवधारणा-मूल्यांकन में मलाईदार परत की अवधारणा का अनुप्रयोग

आरक्षण अधिनियम *2018* की वैधता-आयोजितः मलाई की अवधारणा

आरक्षण अधिनियम *2018* की वैधता का आकलन करने में इस परत का कोई उपयोग नहीं है, जिसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों की पदोन्नति पर परिणामी वरिष्ठता की रक्षा के लिए बनाया गया है-आरक्षण

अधिनियम *2018* इस सिद्धांत को अपनाता है कि परिणामी वरिष्ठता एक अतिरिक्त लाभ नहीं है, बल्कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दी जाने वाली पदोन्नति का एक परिणाम है-क्रीमी लेयर की अवधारणा की परिणामी वरिष्ठता के अनुदान के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है-परिणामी वरिष्ठता एक अवधारणा है जो विशुद्ध रूप से सेवा न्यायशास्त्र में आधारित है-इस प्रकार, परिणामी वरिष्ठता को शामिल करना किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करेगा।

समानता का संवैधानिक अधिदेश-पदोन्नति की घटना के रूप में परिणामी वरिष्ठता के संरक्षण के लिए क्रीमी लेयर परीक्षण के आवेदन की आवश्यकता नहीं है-अनुच्छेद *16 (4* ए*)* और *16 (4* बी*)* को किसी भी संवैधानिक सीमा को समाप्त नहीं करने और चौड़ाई को पूरा करने के लिए माना गया था।

परीक्षा-कर्नाटक आरक्षण *(*राज्य की सिविल सेवाओं में पदों के लिए*)* अधिनियम*, 2018* के आधार पर पदोन्नत सरकारी कर्मचारियों को परिणामी वरिष्ठता का विस्तार।

अनुच्छेद *16 (4* ए*)* और *(4* बी*)*-कर्नाटक विद्युत परिवहन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रतिनिधित्व पर पदोन्नति याचिका में आरक्षण

राज्य के तहत सार्वजनिक रोजगार में स्थिति-केपीटीसीएल और पीडब्ल्यूडी एक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। कानूनः उपचारात्मक विधान-इसका दायरा और अनुमति-आयोजितः सुधारात्मक विधान संवैधानिक रूप से अनुमत है-यह है

न्यायिक शक्ति पर अतिक्रमण नहीं-विधानमंडल के पास संभावित और पूर्वव्यापी प्रभाव दोनों के साथ एक कानून बनाने की पूर्ण शक्ति है।

जहाँ एक कानून को *[2019] 7* एस. सी. आर. के निर्णय द्वारा अमान्य कर दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पूर्वव्यापी रूप से या एक कानून लागू करें जो कारण को हटा देता है अमान्यीकरण-विधानमंडल न्यायालय के किसी निर्णय को रद्द नहीं कर सकता है।

इस आधार पर कि यह गलत है या अमान्य है-हालाँकि, यह या तो किसी मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है या एक ऐसा कानून बना सकता है जो उस आधार को हटा देता है जिसके आधार पर न्यायिक समीक्षा के अभ्यास में अयोग्यता की घोषणा जारी की गई थी-एक अदालत द्वारा घोषणा कि एक कानून है

संवैधानिक रूप से अमान्य होने से विधायिका को उस आधार पर सुधार करने का अधिकार नहीं मिलता है, जिसके आधार पर घोषणा को अमान्य होने के आधारों को ठीक करके जारी किया गया था-विधायिका केवल अयोग्यता की घोषणा को ओवरराइड नहीं कर सकती है-इसे उस आधार पर सुधार करना होगा जिसके आधार पर इसे अधिकार से परे माना गया था-कानून को इस आधार पर अमान्य माना जा सकता है कि जिस विधायिका ने कानून लागू किया था, उसके पास कानून के विषय पर कोई विधायी क्षमता नहीं थी, या कोई कानून हो सकता है।

जिन्हें इस आधार पर अमान्य घोषित किया गया है कि संविधान के भाग *III* में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया था।

कर्नाटक की संवैधानिक वैधता आधार पर पदोन्नत सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण

बी. के. पवित्रा बनाम भारत संघ मामले *(** बी. के. पवित्रा *I)* में परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने वाले आरक्षण *(*राज्य की सिविल सेवाओं में पदों के लिए*)* अधिनियम *2002* को चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय ने आरक्षण अधिनियम *2002* को अमान्य कर दिया क्योंकि कर्नाटक राज्य द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

जनजाति के उम्मीदवारों को परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने के लिए एम नागराज मामले द्वारा अनिवार्य रूप से डेटा संग्रह का कोई अभ्यास नहीं किया गया था। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने रत्न प्रभा का गठन किया। राज्य सिविल सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के पिछड़ेपन और अपर्याप्तता और कर्नाटक राज्य में समग्र प्रशासनिक दक्षता पर आरक्षण के प्रभाव पर समिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट के आधार पर, कर्नाटक राज्य ने कर्नाटक एक्स्टेंशन ऑफ कंसीक्वेन्शल अधिनियमित किया।

आरक्षण *(*राज्य की सिविल सेवाओं में पदों के लिए*)* अधिनियम *2018* के आधार पर पदोन्नत सरकारी कर्मचारियों के लिए वरिष्ठता, जिसमें धारा *3* पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करती है और धारा *4 27* अप्रैल *1978* से परिणामी वरिष्ठता के संरक्षण का प्रावधान करती है। इसलिए, तत्काल मामले आरक्षण अधिनियम, *2018* की वैधता को चुनौती देते हैं।

बी के पावित्र और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ

रिट याचिकाओं, समीक्षा याचिकाओं और विविध आवेदनों को खारिज करते हुए, न्यायालय
पकड़नाः *1.*कर्नाटक में परिणामी वरिष्ठता के विस्तार की संवैधानिक वैधता को चुनौती

आरक्षण के आधार पर पदोन्नत सरकारी कर्मचारी *(*राज्य की सिविल सेवाओं में पदों के लिए*)* अधिनियम, *2018* में सार का अभाव है। बी. के. पवित्रा *I* में निर्णय के बाद, राज्य सरकार ने विधिवत रूप से मिलान और संयोजन का अभ्यास किया।

नागराज में संविधान पीठ द्वारा बताए गए सम्मोहक कारकों पर आंकड़ों का विश्लेषण करना। आरक्षण अधिनियम *2018* ने उस कमी को दूर कर दिया है जिसे आरक्षण अधिनियम *2002* के संबंध में बी. के. पवित्रा *I* ने देखा था। आरक्षण अधिनियम *2018* राज्य विधायिका द्वारा न्यायिक शक्ति का दुरूपयोग नहीं है। यह नागराज और जरनैल के अनुरूप है। आरक्षण अधिनियम *2018* द्वारा प्रदत्त सक्षम करने की शक्ति का एक वैध प्रयोग है।

कला. *16 (4(*क*)* संविधान का। आरक्षण अधिनियम *2018* की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है। *[* पैरा *144-145] [1218-C-E]*

एम नागराज बनाम भारत संघ *(2006) 8* एससीसी *212: [2006]*

7 पूरक। एस. सी. आर. *336*-अनुसरण किया गया।
*** बी के पवित्रा बनाम भारत संघ *(2017) 4* एस. सी. सी. *620: [2017] 1* एस. सी. आर. *631;* जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण

गुप्ता *2018 (10)* एस. सी. सी. *396*-पर भरोसा किया गया।

विधेयक पर सहमति

2.1 फ्रेमर्स ने सावधानीपूर्वक परिभाषित करने से परहेज किया

जिन परिस्थितियों में राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। अपनी प्रकृति से ही शक्ति प्रदान करना विशिष्ट श्रेणियों तक सीमित नहीं हो सकता है। संविधान के कार्यकरण में

आवश्यकताएँ उत्पन्न हो सकती हैं जो एक के विचार के लिए एक विधेयक को आरक्षित करने की शक्ति का सहारा लेना

राष्ट्रपति। उनका पूर्वानुमान किसी भविष्यवक्ता की दृष्टि से नहीं किया जा सकता है। एक संवैधानिक पदाधिकारी को शक्ति प्रदान की गई है, यह इस उम्मीद से सशर्त है कि इसका उपयोग सावधानीपूर्वक चिंतन करने और कानून की वैधता के संबंध में वैध चिंताओं को हल करने के लिए किया जाएगा। राज्यपाल को संवैधानिक विवेकाधिकार सौंपना इस विश्वास पर आधारित है कि अधिकार का प्रयोग *[2019] 7* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संवैधानिक राज्य कौशल द्वारा शासित। संघीय ढांचे में, इस संवैधानिक विवेकाधिकार को प्रदान करने का उद्देश्य लोकतांत्रिक संघवाद को विफल करना नहीं है। राज्य विधानसभाएँ प्रतिनिधित्व करती हैं।

अनुच्छेद *254* उस परिणाम को निरस्त करता है जहां कानून को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया है और उसे मंजूरी मिल गई है। अनुच्छेद *254 (1)* को खंड *(2)* के अधीन बनाया गया है, जिससे इस बात पर जोर दिया जाता है कि राष्ट्रपति की सहमति से एक समवर्ती सूची में आने वाले मामले में संसद द्वारा अधिनियमित कानून के साथ राज्य के कानून की अस्वीकृति। संसदीय विधान में निहित एक विशिष्ट प्रावधान के साथ प्रतिकूलता के संबंध में राष्ट्रपति की सहमति मांगी जानी चाहिए ताकि राष्ट्रपति द्वारा इस आधार पर उचित विचार किया जा सके -

जिसकी सहमति मांगी गई है। अनुच्छेद *200* में संवैधानिक शक्ति का स्रोत है जो राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक आरक्षित करने के लिए प्रदान की जाती है। अनुच्छेद *254 (2)* राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार का एक उदाहरण है जो राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून को एक निर्दिष्ट स्थिति में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है-जहां यह किसी मौजूदा कानून या समवर्ती सूची में आने वाले मामले पर संसदीय कानून के प्रतिकूल है। अनुच्छेद *254 (2)* में निर्दिष्ट संभाव्यता, राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक को आरक्षित करने के लिए अनुच्छेद *200* के तहत राज्यपाल को सौंपी गई शक्ति के दायरे को समाप्त नहीं करती है। इसके अलावा

समवर्ती सूची में आने वाले मामलों में असहमति

राज्य और संसदीय विधान, एक राज्यपाल के पास राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक को आरक्षित करने के लिए ठोस संवैधानिक कारण हो सकते हैं। अनुच्छेद *200*, अपने दूसरे परंतुक में अनिवार्य करता है कि बी के पावित्र और ओआरएस।

वी. भारत और ओआरएस का संघ

जो विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों का हनन करता है, उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए। उन विधेयकों के अलावा जो दूसरे परंतुक में निर्धारित विवरण के भीतर आते हैं, राज्यपाल कानून की वैधता के बारे में वैध संदेह पर विचार करने पर राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक को वैध

रूप से भेज सकता है। अपनी प्रकृति से, इस न्यायालय के लिए उन स्थितियों पर विचार करना संभव नहीं होगा जिनमें शक्ति अधीन है।

अनुच्छेद *200* का प्रयोग किया जा सकता है। *[* पैरा *67] [1170-*एफ-एच*; 1171-*ए-ई*]*

2.3 एक बार विधेयक *(*जिसके कारण आरक्षण अधिनियम *2018* बना*)* राज्यपाल द्वारा विचार के लिए आरक्षित कर लिया गया था

राष्ट्रपति, यह राष्ट्रपति के लिए था कि वह या तो अनुदान दे या रोक दे

विधेयक पर सहमति। राष्ट्रपति ने विधेयक को मंजूरी देने के बाद अनुच्छेद *201* की आवश्यकताओं को पूरा किया। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति की वैधता गैर-न्यायोचित है। *[* पैरा *69] [1172-*डी-ई*]*

2.4 अपने स्पष्टीकरण के दौरान राज्य सरकार का विचार था कि विधेयक को सुरक्षित रखने की कोई आवश्यकता नहीं है

राष्ट्रपति के विचार के लिए, क्योंकि उनके विचार में, राज्यपाल ने यह निष्कर्ष दर्ज नहीं किया था कि यह असंवैधानिक था, या इस विषय पर मौजूदा केंद्रीय विधान का उल्लंघन करता था या यह विधायी क्षमता से परे था या

मौलिक अधिकार। संविधान के तहत सभी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का सरकार द्वारा विधिवत पालन किया गया था। राज्य सरकार की यह आपत्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति देने पर संदेह नहीं कर सकती है। *[* पैरा *70] [1173-*बी-सी*]*

होक्स्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम बिहार राज्य *(1983) 4*

एस. सी. सी. *45 [1983] 3* एस. सी. आर. *130-*पर निर्भर था।

नबाम रेबिया और बामंग फेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष

अरुणाचल प्रदेश विधान सभा *(2016) 8*

एससीसी *1: [2016] 6* एस. सी. आर. *1;* ग्राम पंचायत

जमालपुर बनाम मालविंदर सिंह *(1985) 3* एससीसी *661;*

लिमिटेड *(2002) 8* एस. सी. सी. *182 [2002] 2* पूरक। एस. सी. आर. *555-*संदर्भित।

क्या आरक्षण अधिनियम *2018* बी. के. को निरस्त या निरस्त करता है*?*

पवित्रा *1 [2019] 7* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3.1 बी. के. पवित्रा प्रथम में निर्णय की नींव नागराज में प्रतिपादित सिद्धांत है कि बनाए रखने के लिए

अनुच्छेद *16 (4* ए*)* में निहित सक्षम करने की शक्ति का प्रयोग करते हुए, राज्य को निम्नलिखित पर मात्रात्मक डेटा एकत्र करके "बाध्यकारी आवश्यकता" का प्रदर्शन करना आवश्यक हैः *((i)* प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता; *(ii)* पिछड़ेपन; और *(iii)* समग्र दक्षता। बी. के. पवित्रा प्रथम के फैसले में कहा गया कि इस तरह की कोई कवायद नहीं की गई थी।

नागराज में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार, आरक्षण अधिनियम *2002* को असंवैधानिक माना गया था। नागराज में संविधान पीठ ने अनुच्छेद *16 (4* ए*)* की वैधता को इस आधार पर बरकरार रखा कि इससे पहले सक्षम करने की शक्ति का सहारा लेते हुए राज्य को मात्रात्मक डेटा एकत्र करने और ऊपर उल्लिखित तीन मापदंडों को पूरा करने का अभ्यास करना पड़ता है। बी के पवित्रा प्रथम ने अनिवार्य रूप से माना कि वहाँ

यह राज्य की ओर से इस कवायद को करने में विफलता थी, जो पदोन्नति में आरक्षण देने और इसके लिए प्रावधान करने के लिए सक्षम करने की शक्ति के प्रयोग के लिए एक पूर्व शर्त थी

परिणामी वरिष्ठता। *[* पैरा *71] [1173-*डी-जी*]*

एम नागराज बनाम भारत संघ *(2006) 8* एससीसी *212: [2006]*

7 पूरक। एस. सी. आर. *336-*अनुसरण किया गया।

*** बी के पवित्रा बनाम भारत संघ *(2017) 4* एस. सी. सी. *620:*

[2017] 1 एस. सी. आर. *631-*पर निर्भर।

3.2 बी. के. पवित्रा *I* में निर्णय ने राज्य को मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की कवायद करने से नहीं रोका।

अनुच्छेद *16 (4* ए*)* के तहत सक्षम करने की शक्ति के प्रयोग के लिए शर्तों को पूरा करने के लिए। विधायिका में पूर्ण अधिवेशन होता है

कानून बनाने की शक्ति। यह शक्ति संभावित और पूर्वव्यापी प्रभाव दोनों के साथ एक कानून बनाने तक फैली हुई है। जहां किसी संवैधानिक न्यायालय के निर्णय से किसी कानून को अमान्य कर दिया गया है, वहां विधायिका पूर्वव्यापी रूप से कानून में संशोधन कर सकती है या ऐसा कानून बना सकती है जो अमान्य होने के कारण को हटा देता है। एक विधायिका इस आधार पर अदालत के किसी निर्णय को रद्द नहीं कर सकती है कि यह गलत है या है

शून्यता। लेकिन, यह निश्चित रूप से विधायिका के लिए खुला है कि वह या तो किसी मौजूदा कानून में संशोधन करे या ऐसा कानून बनाए जो बी. के. पावित्र और ओ. आर. एस. के आधार को हटा दे।

वी. भारत और ओआरएस का संघ

जिसे न्यायिक समीक्षा के अभ्यास में अयोग्यता की घोषणा जारी की गई थी। सुधारात्मक विधान संवैधानिक रूप से अनुमत है। यह न्यायिक शक्ति का अतिक्रमण नहीं है। तत्काल मामले में,

कर्नाटक के राज्य विधानमंडल ने आरक्षण अधिनियम *2018* को लागू करके बी. के. पवित्रा*-1* में न्यायिक निर्णय को रद्द नहीं किया है, बल्कि अंतर्निहित कारण को सुधारने का ध्यान रखा है जिसके कारण सबसे पहले

अयोग्यता की घोषणा। ऐसा कानून वैध है क्योंकि यह निर्णय के आधार को हटा देता है। *[पैरा 72] [1173-*जी-एच*; 174-*ए-सी*]*

*** बी के पवित्रा बनाम भारत संघ *(2017) 4* एस. सी. सी. *620:*

[2017] 1 एस. सी. आर. *631* पर भरोसा किया।

उत्कल कॉन्ट्रैक्टर्स एंड जॉइनरी *(*पी*)* लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य *(1987)* सप। एससीसी एससीसी *751 751: : 1988* एस. सी. आर. *314* भुवनेश्वर सिंह बनाम भारत संघ *(1994) 6* एस. सी. सी. *77: [1994] 1* पूरक। एस. सी. आर. *639;* भारतीय एल्यूमीनियम कंपनी बनाम केरल राज्य *(1996) 7* एस. सी. सी. *637;* हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम। नारायण सिंह *(2009) 13* एससीसी *165: [2009] 10* एससीआर *821;* चेविटी वेंकन्ना यादव बनाम स्टेट ऑफ

तेलंगाना *(2017) 1* एससीसी *283 [2016] 7* एससीआर *689*

- संदर्भित किया गया।

3.3 विधायिका के पास उस कानून को मान्य करने की शक्ति है जो दुर्बलता को ठीक करके अमान्य पाया जाता है। एक घटना के रूप में इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, विधायिका पूर्ववर्ती कानून के प्रावधानों को उस तारीख से प्रभावी बनाने के लिए एक मान्य कानून बना सकती है जिस दिन इसे लागू किया गया था। *[* पैरा *74] [1175-*ए-बी*]*

संयुक्त प्रांत बनाम प्रथम अतीका बेगम ए. आई. आर. *1941* एफ. सी. *16;* राय रामकृष्ण बनाम बिहार राज्य *(1964) 1* एस. सी. आर. *897;* श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम ब्रोच बरो नगर पालिका *(1969) 2* एस. सी. सी. *283: [1970] 1* एस. सी. आर. *388;* स्टेट ऑफ टी. एन. बनाम अरूरन शुगर लिमिटेड *(1997) 1* एस. सी. सी. *326: [1996] 8* पूरक। एस. सी. आर. *193;* वीरेंदर सिंह हुड्डा बनाम हरियाणा राज्य *(2004) 12* एस. सी. सी. *588 [2004] 5* सप्लीमेंट। एस. सी. आर. *720-*संदर्भित।

3.4 अदालत द्वारा यह घोषणा कि कोई कानून संवैधानिक रूप से अमान्य है, विधायिका के सुधार के अधिकार को बाधित नहीं करता है। जिस आधार पर घोषणा *[2019] 7* एस. सी. आर. को ठीक करके जारी की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अयोग्यता के लिए आधार। दोष को ठीक करते समय, अयोग्यता की घोषणा के अंतर्निहित कारणों को समझना आवश्यक है। कारण घोषणा का आधार हैं। द.

विधायिका उस आधार को सुधारने के बिना अयोग्यता की घोषणा को केवल ओवरराइड नहीं कर सकती है जिसके आधार पर कानून को माना गया था।

अल्ट्रा वायर्स। किसी कानून को इस आधार पर अमान्य माना जा सकता है कि जिस विधायिका ने कानून बनाया था, उसके पास कोई विधायी नहीं था विधान के विषय पर योग्यता। जाहिर है,

ऐसे मामले में, एक विधायिका जिसे विधायी क्षमता का अभाव माना गया है, वह किसी ऐसे विषय पर अपनी क्षमता पर घमंड नहीं कर सकती है जिस पर उसे विधायी क्षमता का अभाव माना गया है। हालांकि, एक विधायिका जिसके पास इस विषय पर कानून बनाने की विधायी क्षमता है, वह निश्चित रूप से कदम उठा सकती है और उस क्षेत्र में कानून बना सकती है जिस पर उसके पास विधायी क्षमता है। विधायी क्षमता के अलावा, किसी कानून को इस आधार पर अमान्य घोषित किया जा सकता है कि संविधान के भाग *III* में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ था। उस स्थिति में, यदि विधायिका इस विषय पर एक नया कानून बनाने के लिए आगे बढ़ती है, तो सार में मुद्दा यह है कि क्या पुनः अधिनियमित कानून ने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को दूर करने के लिए ध्यान रखा है, जिसके आधार पर पहले की कानून को अमान्य माना गया था। इसलिए असली परीक्षा यह है कि क्या विधायिका ने इसके भीतर काम किया है।

उस आधार को सुधारने के लिए इसके अधिकार की सीमाएँ जिसके आधार पर पूर्ववर्ती कानून को संवैधानिक दुर्बलता से ग्रस्त माना गया था। *[* पैरा *76] [1176*-जी-एच*; 1177*-ए-बी; डी-ई*]*

मदन मोहन पाठक बनाम भारत संघ *(1978) 2* एससीसी

50 : [1978] 3 एससीआर *334*-प्रतिष्ठित।

श्री रंगा मैच इंडस्ट्रीज बनाम भारत संघ *1994* सप। *(2)* एस. सी. सी. *726;* इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी बनाम केरल राज्य *(1996) 7* एस. सी. सी. *637;* कृषि आयकर अधिकारी बनाम गुडरिक ग्रुप लिमिटेड *(2015) 8* एस. सी. सी. *399: [2015] 3*

एस. सी. आर. *612* संदर्भित है। -

क्या आरक्षण अधिनियम *2018* को लागू करने में बी. के. पवित्रा प्रथम का आधार ठीक हो गया है*?*

4. आरक्षण अधिनियम *2018* के उद्देश्यों और कारणों का विवरण पूर्ववर्ती विधायी इतिहास को संदर्भित करता है।

इसका अधिनियमन। बी के पावित्र और ओआरएस के बाद रत्न प्रभा समिति का गठन किया गया था।

वी. भारत और ओआरएस का संघ

आरक्षण अधिनियम *2002* को बी. के. पवित्रा *I* में इस आधार पर अमान्य ठहराया गया था कि राज्य द्वारा नागराज में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रासंगिक आंकड़ों को एकत्र और विश्लेषण करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति के मामलों में आरक्षण प्रदान करने की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं दिखाई गई थी। उद्देश्यों और कारणों के कथन का उपयोग किसी विधान के स्पष्ट अर्थ को सीमित करने के लिए नहीं किया जा सकता है*;* यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि कोई प्रावधान मान्य है या नहीं*;* और उन परिस्थितियों के बारे में निश्चित नहीं हो सकता है जिनमें इसे पारित किया गया था। कानून की प्रस्तावना उस शरारत पर विचार करने के लिए एक वैधानिक सहायता हो सकती है जिसे कानून संबोधित करना चाहता है। जबकि यह क़ानून के प्रावधानों पर हावी नहीं हो सकता है, यह एक समाधान के लिए एक सहायता हो सकती है

अस्पष्टता। *[* पैरा *82,84,85] [1180*-एफ-जी*; 1181*-ए*; 1182*-ई-जी*]*

भाईजी बनाम उप-मंडल अधिकारी, थांडला *(2003) 1* एस. सी. सी. *692 [2002] 5* पूरक। एस. सी. आर. *116;* ए मंजुला भाषिनी बनाम

ए. पी. मोनेन का कुर। वित्त निगम। लिमिटेड *(2009) 8* एससीसी

431 [2009] 10 एससीआर *634;* केरल राज्य *(*बिजली*)*
बोर्ड बनाम भारतीय एल्यूमीनियम *(1976) 1* एस. सी. सी. *466: [1976] 1*

एससीआर *552;* के एस परिपूर्णन बनाम केरल राज्य *(1994) 5* एससीसी *593 [1994] 3* पूरक। एससीआर *405;* कल्याण

एसोसिएशन बनाम रंजीत *(2003) 9* एस. सी. सी. *358: [2003] 2* एससीआर

139 ; बुराकुर कोल कंपनी लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एयर
1961 एससी *954: 1962* एस. सी. आर. *44;* इंद्र साहनी बनाम संघ

भारत का *1992* का प्रावधान *(3)* एस. सी. सी. *217: [1992] 2* पूरक। एस. सी. आर. *454;* एम. नागराज बनाम भारत संघ *(2006) 8* एस. सी. सी. *212:*

[2006] 7 पूरक। एस. सी. आर. *336;* जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी

नारायण गुप्ता *2018 (10)* एस. सी. सी. *396*-संदर्भित।

रत्न प्रभा समिति की रिपोर्ट

5.1 रत्न प्रभा समिति की रिपोर्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संवर्गवार प्रतिनिधित्व के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए नियुक्त की गई थी सभी सरकारी विभागों में कर्मचारी; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन के बारे में जानकारी एकत्र करें; और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पदोन्नति के कारण प्रशासन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करें। *[* पैरा *88] [1183*-एफ-जी*]*

5.2 इस न्यायालय के लिए यह मान्यता देना प्रासंगिक है कि

(2019) 7 एस. सी. आर. पर राज्य द्वारा डेटा के अंतर्निहित संग्रह की जांच के संदर्भ में, औचित्य और पर्याप्तता से संबंधित मामलों पर किस न्यायिक शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता और दक्षता पर प्रभाव। न्यायालय, सबसे बढ़कर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए समानता के मूल अधिकार को लागू करने के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित एक कानून की वैधता पर विचार कर रहा है। न्यायिक समीक्षा को इसलिए यह निर्धारित करके पारंपरिक श्रेणियों को पार करना चाहिए कि क्या रत्न प्रभा समिति की रिपोर्ट में ऐसी सामग्री पर विचार किया गया है जो अप्रासंगिक या बाहरी थी या जिसने ऐसा निष्कर्ष निकाला था जिसे कोई भी उचित व्यक्ति नहीं अपना सकता

था। इस क्षेत्र में, यह तथ्य कि दृष्टिकोण की एक वैकल्पिक रेखा संभव थी या वांछनीय भी प्रतीत हो सकती है, इसके लिए एक आधार प्रदान नहीं कर सकती है

समिति ने अपने निष्कर्ष किसी भी बाहरी या अप्रासंगिक सामग्री पर आधारित किए हैं। नमूना लेने का सहारा लेने में कार्यप्रणाली, समिति को कार्रवाई करने वाला नहीं माना जा सकता है

मनमाने ढंग से। यदि, डेटा के संग्रह के लिए नमूनाकरण एक वैध पद्धति है, तो आवश्यक परिणाम यह है कि अभ्यास नहीं किया जा सकता है

केवल इस आधार पर अमान्य किया गया कि किसी विशेष विभाग या कुछ संस्थाओं से संबंधित डेटा का विश्लेषण नहीं किया गया था। एकत्र किए गए आंकड़े इकतीस विभागों से संबंधित थे जो हैं - चरित्र में प्रतिनिधि। राज्य ने अपनी स्थिति तैयार करने से पहले उन आंकड़ों का विश्लेषण किया है जो प्रासंगिक और प्रतिनिधि दोनों हैं।

निष्कर्ष निकालते हैं। तथ्यों के संग्रह, मिलान और विश्लेषण से जुड़े तथ्यात्मक क्षेत्र में प्रवेश करने में न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर सीमाएं हैं। *[पैरा 97,99] [1190-सी; 1191-एफ-एच; 1192-ए]*

परिवेशक राजनीतिक विश्लेषण-मात्रात्मक और

गुणात्मक अनुसंधान विधियाँ नौवीं संस्करण। रिचर्ड सी।

रिच, क्रेग लियोनार्ड ब्रायन्स, जारोल बी मैनहेम और

लार्स बी विलनाट, लॉन्गमैन पब्लिशर्स-संदर्भित।

बी के पावित्र और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ

5.4 एक बार एक विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार द्वारा एक राय बनाई गई है।

समिति जिसने प्रासंगिक आंकड़ों को एकत्र किया, एकत्र किया और उनका विश्लेषण किया, न्यायालय के लिए यह अभिनिर्धारित करना असंभव है कि नागराज द्वारा राज्य को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक ठोस कारण स्थापित नहीं किए गए हैं। भले ही डेटा में कुछ त्रुटियां हों संग्रह, जो किसी कानून के अमान्य होने को उचित नहीं ठहराएगा, जिसे सक्षम विधायिका अधिनियमित करने की अपनी शक्ति के भीतर थी। बी. के. पवित्रा प्रथम में निर्णय के बाद, आवश्यक अभ्यास को पूरा करने के लिए रत्न प्रभा समिति को सही ढंग से नियुक्त किया गया था। एक बार यह अभ्यास पूरा हो जाने के बाद, न्यायालय को तथ्यात्मक का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने में सावधानी बरतनी चाहिए।

अभिलेख पर सामग्री। प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता का मूल्यांकन पर्याप्तता पर एक मानक के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

परंपरागत रूप से, राज्य और केंद्र सरकारों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के प्रतिशत को उनके आरक्षण से जोड़ा है।

जनसंख्या का प्रतिशत, पर्याप्तता के माप के रूप में। इस प्रकार, यह राज्य के लिए खुला है कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में सामान्य रूप से उनके प्रतिनिधित्व के अनुपात में आरक्षण दे।

जनसंख्या। *[* पैरा *101,102] [1192-*डी-जी*; 1193-*ए*]* *5.5* यह निवेदन कि कोटा की गणना उन पदों के आधार पर की जानी चाहिए जो वास्तव में भरे गए हैं या काम करने की क्षमता और स्वीकृत पदों के आधार पर नहीं, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आरक्षण के प्रतिशत के संबंध में काम किया जाना चाहिए

पदों की संख्या जो संवर्ग की संख्या का हिस्सा हैं। रत्न प्रभा समिति की रिपोर्ट को चुनौती देने में कोई दम नहीं है

इस आधार पर कि डेटा का संग्रह कैडर के विपरीत समूह ए, बी, सी और डी के आधार पर था। एक बात के लिए, 'कैडर' अभिव्यक्ति का सेवा में कोई निश्चित अर्थ नहीं है।

न्यायशास्त्र। लेकिन इसके अलावा, नागराज को राज्य के तहत सेवाओं में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर अन्य बातों के साथ-साथ मात्रात्मक डेटा के संग्रह की आवश्यकता है। अनुच्छेद *16* का खंड *4* ए विशेष रूप से

राज्य के अधीन सेवाओं में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को संदर्भित करता है। समूह ए से डी के आधार पर आंकड़ों का संग्रह

अपने स्वभाव से कैडरों से संबंधित डेटा को बाहर नहीं करता है। राज्य ने तत्काल मामले में कई संवर्गों वाले समूह ए से डी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा का अध्ययन किया है।

चूँकि इस समूह में उस समूह के सभी संवर्गों के पद शामिल हैं, इसलिए तार्किक रूप से यह माना जा सकता है कि राज्य ने संवर्गों में पदोन्नति पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व पर भी मात्रात्मक डेटा एकत्र किया है। *[* पैरा *103,104] [1194-*जी-एच*; 1195-*ए-सी*]*

5.6 इंद्र साहनी के मामले में यह देखा गया कि

अनुच्छेद *16 (4)* के तहत आरक्षण सांप्रदायिक आधार पर काम नहीं करता है। इसलिए, यदि आरक्षित श्रेणी से संबंधित किसी सदस्य का चयन सामान्य श्रेणी में किया जाता है, तो चयन आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित कोटे के खिलाफ नहीं गिना जाएगा। सभरवाल में निर्णय में यह भी कहा गया है कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार आरक्षित पदों को भरने के हकदार नहीं हैं, जबकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के हकदार हैं। कई समूह डी पदों में, जैसे कि नगरपालिका सफाईकर्मी, आवेदकों के बड़े वर्ग में शामिल हैं -

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के उन पदों से दूर रहने के परिणामस्वरूप समूह डी पदों में अत्यधिक प्रतिनिधित्व वैध या तार्किक नहीं हो सकता है।
आरक्षित श्रेणी से भर्ती किए गए समूह डी कर्मचारियों को पदोन्नति से इनकार करने का आधार। *[* पैरा *105] [1195-*डी-एफ*]*

समामेलित चाय संपदा कंपनी लिमिटेड बनाम केरल राज्य *(1974) 4* एस. सी. सी. *415: [1974] 3* एस. सी. आर. *820;* वी. सी. शुक्ला बनाम राज्य *(*दिल्ली प्रशासन*) (1980)* पूरक एस. सी. सी. *249: 1980*

एससीआर *500;* हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम सतपाल सैनी

(2017) 11 एससीसी *42: [2017] 1* एस. सी. आर. *658;* इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ *1992* सप्लीमेंट *(3)* एस. सी. सी. *217: [1992] 2* पूरक। एस. सी. आर. *454;* बेरियम केमिकल्स लिमिटेड बनाम कंपनी

विधि बोर्ड ए. आई. आर. *1967* एस. सी. *295: 1966* एस. सी. आर. *311;* एम

नागराज बनाम भारत संघ *(2006) 8* एस. सी. सी. *212: [2006] 7*

पूरक। एस. सी. आर. *336;* जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण
गुप्ता *2018 (10)* एस. सी. सी. *396;* सभरवाल बनाम राज्य

पंजाब *(1995) 2* एससीसी *745: [995] 2* एससीआर *35*-संदर्भित

को।

महत्वपूर्ण बनाम औपचारिक समानता

6.1 समानता को वास्तव में प्रभावी या मूल होने के लिए, सिद्धांत को समाज में मौजूदा असमानताओं को पहचानना चाहिए -

उन पर विजय प्राप्त करें। इस प्रकार आरक्षण बी. के. पावित्र और ओ. आर. एस. के लिए अपवाद नहीं हैं।

वी. भारत और ओआरएस का संघ

अवसर की समानता का नियम। बल्कि वे उन संरचनात्मक स्थितियों के लिए लेखांकन द्वारा प्रभावी और मूल समानता की वास्तविक पूर्ति हैं जिनमें लोग पैदा होते हैं। यदि अनुच्छेद *16 (1)* केवल अवसर की औपचारिक समानता के सिद्धांत को स्वीकार करता है, तो अनुच्छेद *16 (4) (*मौजूदा असमानताओं के कारण आरक्षण को सक्षम करके*)* औपचारिक समानता के सख्त नियम का अपवाद बन जाता है।

अनुच्छेद *16 (1)* में समानता। तथापि, यदि अनुच्छेद *16 (1)* स्वयं मौलिक समानता के सिद्धांत को निर्धारित करता है *(*जिसमें समानता की मान्यता भी शामिल है*)*।

मौजूदा असमानताएँ*)* तब अनुच्छेद *16 (4)* उच्चारण बन जाता है

अनुच्छेद *16 (1)* में निर्धारित मूल समानता के नियम के एक विशेष पहलू का। समाज में असमानताओं पर काबू पाने का एक तरीका विधानसभाओं और राज्य सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है। इसलिए, आरक्षण का समर्थन करने वाले संविधान सभा के सदस्यों के लिए, एक प्रमुख तर्क

संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को शामिल करना

जाति संरचना के भीतर भेदभाव और पूर्वाग्रह के आधार पर समाज में असमानताओं का अस्तित्व था। इसका प्रमाण सदस्यों द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के समर्थन में दिए गए बयानों से मिलता है। यह स्वीकार करते हुए कि अवसर की औपचारिक समानता परिवर्तनकारी लक्ष्य को पूरा करने में अपर्याप्त होगी

संविधान में, विधानसभा के इन सदस्यों ने माना कि अवसर की समानता की अवधारणा को मौजूदा सामाजिक असमानताओं को पहचानना और उनके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। सदस्यों ने अनुच्छेद *10 (*जो आगे चलकर संविधान का अनुच्छेद *16* बन जाएगा*)* के मसौदे पर बहस की। इन बहसों में, कुछ सदस्यों ने उपखंड *(1)* में प्रतिपादित औपचारिक समानता के सामान्य नियम के अपवाद के रूप में उपखंड *(4) (*आरक्षण का प्रावधान*)* को समझा। *[* पैरा *107,109] [1195-*जी-एच*; 1196-*ए-बी*;* डी-ई*; 1197-*एफ-जी*; 1198-*ए*]*

एक परिवर्तनकारी साधन के रूप में संविधान

7. संविधान एक परिवर्तनकारी दस्तावेज है। द.

इसकी परिवर्तनकारी क्षमता की प्राप्ति अंततः जीवन और अर्थ को अपनी अमूर्त अवधारणाओं में सांस लेने की इसकी क्षमता पर निर्भर करती है। क्योंकि, सबसे बढ़कर, संविधान के प्रारूपकों का उद्देश्य जाति आधारित सामंती समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने का एक महत्वपूर्ण साधन बनना था, जो सदियों से हाशिए पर पड़े लोगों के उत्पीड़न और उनके साथ भेदभाव का गवाह रहा है। हमारे रूप में

संवैधानिक न्यायशास्त्र विकसित हुआ है, जो *[2019] 7* एस. सी. आर. की प्राप्ति है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान की परिवर्तनकारी क्षमता की स्थापना समानता के औपचारिक आधार से हटकर इसकी मूल क्षमता के विकास पर की गई है। *[* पैरा *111] [1199-*ई-एफ*]*

टी देवदासन बनाम द यूनियन ऑफ इंडिया ए. आई. आर. *1964* एस. सी. *17: 1964* एससीआर *680;* केरल राज्य बनाम एन. एम. थॉमस *(1976) 2* एससीसी *310 [1976] 1* एससीआर *906;* एबीएस संघ *(*रेलवे*)* बनाम भारतीय संघ *(1981) 1* एससीसी *246: [1981] 2* एस. सी. आर. *185;* इंद्र साहनी बनाम भारत संघ *1992* सप्लीमेंट *(3)* एस. सी. सी. *217: [1992] 2* पूरक। एस. सी. आर. *454;* एम. नागराज बनाम भारत संघ *(2006) 8* एस. सी. सी. *212: [2006] 7* पूरक।

एस. सी. आर. *336-*संदर्भित।

प्रशासन में कुशलता

8.1 अनुच्छेद *335* के मूल भाग में एक अधिदेश है: अनुसूचित जातियों के दावों पर विचार करने की आवश्यकता और

संघ या किसी राज्य के मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियाँ करने में अनुसूचित जनजातियाँ। आरक्षण की तुलना में इसके दायरे में विचार बहुत व्यापक है। नियुक्ति के उनके दावों पर विचार प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के अनुरूप होना चाहिए। प्रावधान

विशेष रूप से एससी और एसटी के पक्ष में प्रावधानों की रक्षा करता है

एक परीक्षा में योग्यता अंकों में ढील देना; मूल्यांकन के मानकों को कम करना; या पदोन्नति के मामलों में आरक्षण। आरक्षण विशेष प्रावधान के भीतर शामिल है लेकिन बाद का ब्रह्मांड व्यापक है। परंतुक यह मान्यता देता है कि विशेष

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावों पर विचार करने के लिए उपाय अपनाने की आवश्यकता है ताकि उन्हें समान अवसर मिल सके। सामंती, जाति उन्मुख सामाजिक संरचना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति द्वारा सदियों से झेले जाने वाले भेदभाव और पूर्वाग्रह अवसर तक पहुंच में वास्तविक बाधाएं पैदा करते हैं। परंतुक में एक यथार्थवादी मान्यता है कि जब तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपाय नहीं अपनाए जाते हैं, तब तक नियुक्ति के उनके दावे पर विचार करने के लिए संविधान का जनादेश भ्रामक रहेगा। यह परंतुक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए समानता के वास्तविक और ठोस अधिकार को बढ़ावा देने में सहायता करता है। यह संघ और राज्यों के इन विशेष उपायों में से किसी को भी अपनाने के अधिकार की रक्षा करता है, ताकि एक यथार्थवादी *(*जैसे -

बी. के. पवित्र और ओ. आर. एस. की नियुक्ति के उनके दावों पर औपचारिक*)* विचार का विरोध किया।

वी. भारत और ओआरएस का संघ

एससी और एसटी। *[* पैरा *117,118] [1202*-जी-एच*; 1203*-ए-एफ*]* *8.2* संविधान यह परिभाषित नहीं करता है कि "प्रशासन की दक्षता" वाक्यांश से निर्माताओं का क्या मतलब है। अनुच्छेद *335* ऐसा नहीं कर सकता।

एक रूढ़िवादी धारणा के आधार पर समझा जाए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से लिए गए रोस्टर अंक कुशल नहीं हैं या उन्हें नियुक्त करने से दक्षता कम हो जाती है। यह रूढ़िवादी है क्योंकि यह गहरे सामाजिक पूर्वाग्रह को ढकता है। प्रशासन की दक्षता के लिए बेंचमार्क कुछ असंबद्ध, अमूर्त आदर्श नहीं है जिसे एक योग्य खुली श्रेणी के उम्मीदवार के प्रदर्शन द्वारा मापा जाता है। संघ या किसी राज्य के मामलों में प्रशासन की दक्षता को एक समावेशी अर्थ में परिभाषित किया जाना चाहिए, जहां समाज के विभिन्न वर्गों को लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन की सच्ची आकांक्षा के रूप में प्रतिनिधित्व मिलता है। यदि, जैसा कि यह माना जाता है, संविधान निर्देश के साथ मौलिक अधिकारों के जुड़ाव में पर्याप्त समानता की प्राप्ति को अनिवार्य करता है।

राष्ट्र की बहुलता और विविधता की मान्यता के साथ सिद्धांत, समावेश दक्षता को परिभाषित करने के लिए एक वैध संवैधानिक आधार का गठन करते हैं। हमारे मानक परिणामों को परिभाषित करेंगे। यदि दक्षता का यह मानदंड बहिष्करण पर आधारित है, तो यह शासन का एक ऐसा स्वरूप उत्पन्न करेगा जो हाशिए पर पड़े लोगों के खिलाफ तिरछा है। यदि दक्षता का यह मानक समान पहुंच पर आधारित है, तो हमारे परिणाम सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करेंगे।

एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए संविधान। अन्यथा, अतीत हमारे समाज की स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित गहराई से असमान होने से दूर जाने में असमर्थता को परेशान करेगा। इसलिए, अनुच्छेद *335* की व्याख्या करते समय, दक्षता की अवधारणा को एक तरफा दृष्टिकोण से मुक्त करना आवश्यक है जो प्रशासन की दक्षता पर समाज के विभिन्न वर्गों के समावेश की आवश्यकता और सकारात्मक प्रभावों की अनदेखी करता है।

संघ या किसी राज्य का। शासन के मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की स्थिति को योग्य भागीदारों के रूप में स्थापित करना एक *[2019] 7* एस. सी. आर. के लिए स्वाभाविक है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समान नागरिकता। समान नागरिकता समावेशी शासन को मान्यता देती है लेकिन यह भी सुनिश्चित करती है कि हमारे समाज के वे वर्ग

प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि। प्रशासनिक दक्षता अधिकारियों द्वारा उनकी नियुक्ति या पदोन्नति के बाद की गई कार्रवाइयों का परिणाम है और यह चयन पद्धति से ही बंधी नहीं है। यह निवेदन कि एक चयन विधि दूसरी विधि की तुलना में बेहतर कार्रवाई करने में सक्षम अधिकारियों को उत्पन्न करती है, दोनों विधियों के माध्यम से चुने गए अधिकारियों द्वारा उत्पादित परिणामों के मूल्यांकन के आधार पर अनुभवजन्य रूप से साबित होना चाहिए। दूसरा, ऐसे तर्क जो आरक्षण पर हमला करते हैं - दक्षता उन उम्मीदवारों के साथ "योग्यता" के बराबर होती है जो "तटस्थ" मानदंडों पर अन्य उम्मीदवारों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जैसे।

मानकीकृत परीक्षाएँ। इस प्रकार, जो उम्मीदवार एक विशेष "कट-ऑफ अंक" से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें "मेधावी" माना जाता है और अन्य को "गैर-मेधावी" माना जाता है। हालाँकि, यह समाज में "योग्यता" के कार्य की एक विकृत समझ है। *[* पैरा *121,122] [1205-*ई;-एफजी; *1206-*ए-बी*]*

के सी वसंत कुमार बनाम कर्नाटक राज्य *(1985)* सप।

एससीसी *714: 1985* पूरक। एस. सी. आर. *352;* इंद्र साहनी बनाम भारत संघ *1992* सप्लीमेंट *(3)* एस. सी. सी. *217: [1992] 2* पूरक।

एस. सी. आर. *454-*संदर्भित।

8.4 एक बार जब "योग्यता" को उन वस्तुओं को प्राप्त करने में सहायक के रूप में समझा जाता है जिन्हें हम एक समाज के रूप में महत्व देते हैं, तो "योग्यता" का समीकरण

कुछ संकीर्ण रूप से परिभाषित मानदंडों पर प्रदर्शन अधूरा है।

ए बी के पावित्र और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रदान करना योग्यता के सिद्धांत के विपरीत नहीं है। " योग्यता "एक मानकीकृत परीक्षा में किसी की रैंक जैसे संकीर्ण और लचीले मानदंडों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज में समानता और विविधता को बढ़ावा देने सहित उन कार्यों से प्रवाहित होनी चाहिए जिन्हें समाज पुरस्कृत करना चाहता है। लोक प्रशासन में। *[* पैरा *124,125] [1207-*बी-डी; *1208-*ए-बी*]*

सेन ए, मेरिट एंड जस्टिस, इन एरो, केजे, मेरिटोक्रेसी

और आर्थिक असमानता *(*प्रिंसटन विश्वविद्यालय प्रेस*)*
2000) (अमर्त्य सेन, योग्यता और न्याय*)*-संदर्भित।

8.5 अनुच्छेद *335* के प्रावधान में अंकों में ढील देने के प्रावधानों की अनुमति देकर इस जोखिम को कम करने का प्रयास किया गया है।

अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के मामले में योग्यता परीक्षा और

एसटीएस। यदि नियुक्तियों में सरकार का एकमात्र विचार ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना था जिन्हें "प्रतिभाशाली" माना जाता था या "मानकीकृत परीक्षाओं में सफल ", के आधार पर

संसाधनों तक पहुंच में असमानता और पिछले शैक्षिक प्रशिक्षण *(*समाज में मौजूदा असमानताएं*)*, समाज के इन वर्गों के उत्थान और विविधतापूर्ण विकास के लिए घोषित संवैधानिक लक्ष्य।

प्रशासन को कमजोर किया जाएगा। इस प्रकार, एक "मेधावी" उम्मीदवार केवल वह नहीं है जो "प्रतिभाशाली" या "सफल" है, बल्कि वह भी है जिसकी नियुक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के उत्थान और एक विविध और प्रतिनिधि प्रशासन सुनिश्चित करने के संवैधानिक लक्ष्यों को पूरा करती है। *[* पैरा *126]*

8.6 समाज में मौजूदा असमानताएँ विशेषाधिकार प्राप्त उम्मीदवारों के पक्ष में भेदभाव करने वाली एक "तटस्थ" प्रणाली को जन्म दे सकती हैं। यह कहा गया है कि तीन व्यापक प्रकार के संसाधन आवश्यक हैं - प्रतियोगी परीक्षाओं में परिणाम उत्पन्न करें जो "योग्यता" के संकेतक के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं। ये आर्थिक संसाधन हैं *(*पूर्व शिक्षा, प्रशिक्षण, सामग्री, काम से स्वतंत्रता आदि के लिए*)*। सामाजिक और सांस्कृतिक संसाधन *(*संपर्क, विश्वास, मार्गदर्शन और सलाह के नेटवर्क, *[2019] 7* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जानकारी, आदि*);* और आंतरिक क्षमता और कड़ी मेहनत। पहले दो मानदंड स्पष्ट रूप से किसी उम्मीदवार के अपने प्रयासों के उत्पाद नहीं हैं, बल्कि वे संरचनात्मक स्थितियां हैं जिनमें वे पैदा होते हैं। सरकारी नियुक्तियों और पदोन्नति में योग्यता की नैतिक दिशा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान को जोड़कर, संविधान इस जोखिम को कम करता है कि पहले दो मानदंडों की कमी समाज में मौजूद संरचनात्मक असमानताओं को कायम रखेगी। *[* पैरा *127,128] [1208-*जी-एच*; 1209-*ए-सी*]*

गैलांटर एम, प्रतिस्पर्धी समानताएँः भारत में कानून और पिछड़े वर्ग, *(*ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली *1984)*, देशपांडे एस द्वारा उद्धृत, समावेश बनाम उत्कृष्टताः जाति और भारतीय उच्च शिक्षा में उचित पहुंच का निर्माण, *40: 1* दक्षिण अफ्रीकी समीक्षा

समाजशास्त्र *127-147* का उल्लेख किया गया है।

8.7 रत्न प्रभा समिति की रिपोर्ट में प्रशासन में पदोन्नति और दक्षता बनाए रखने में आरक्षण के बीच के संबंध पर विचार किया गया है। इसके अलावा, एक औपचारिक कानूनी अर्थ में भी, रोस्टर अंकों के संबंध में पदोन्नति, वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर की जाती है और पदोन्नत होने वाले उम्मीदवार को इन मानदंडों को पूरा

करना होता है। पदोन्नति पर एक उम्मीदवार को होने से पहले एक वैधानिक कार्यकाल पूरा करना होता है। पुष्टि की। यह नियम रोस्टर पॉइंट पदोन्नति सहित पूरे बोर्ड में लागू होता है। यह सुनिश्चित करता है कि दक्षता

प्रशासन, किसी भी स्थिति में, प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होता है। *[* पारस *129,130] [1209-*सी*; ई-*जी*]*

मलाईदार परत की समस्या

9.1 यह नहीं कहा जा सकता है कि क्रीमी लेयर के मुद्दे पर जरनैल पर क्यूरियम नहीं है। एक बात के लिए, जरनैल ने विशेष रूप से इंद्र साहनी में निर्णय की जांच की, यह देखते हुए कि नौ में से आठ न्यायाधीशों ने क्रीमी लेयर सिद्धांत को व्यापक समानता सिद्धांत के एक पहलू के रूप में लागू किया। वास्तव में, इंद्र साहनी द्वितीय के निर्णय ने इंद्र साहनी प्रथम के निर्णयों को संक्षेप में प्रस्तुत किया। मलाईदार परत। जरनैल के फैसले ने इंद्र साहनी द्वितीय को मंजूरी दे दी जब यह माना गया कि मलाईदार परत सिद्धांत अनुच्छेद *14* और *16 (1)* में सुनाई देता है। जरनैल ने चिन्नैया में निर्णय पर चर्चा की और कहा कि यह बी. के. पावित्र और ओ. आर. एस. के बीच उप-श्रेणियां बनाने के लिए राज्य विधानसभाओं की ओर से विधायी क्षमता की कमी से निपटता है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ

अनुच्छेद *341* और *342* के तहत राष्ट्रपति की सूची। निर्णय में

इसलिए जरनैल ने कहा कि चिन्नाया ने उन किसी भी पहलू पर ध्यान नहीं दिया जिन पर नागराज में संवैधानिक संशोधनों को बरकरार रखा गया था और इसलिए नागराज के लिए चिन्नाया का उल्लेख करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था। इस मामले के इस दृष्टिकोण में, यह माना जाता है कि इंद्र साहनी के निर्माण पर जरनैल का मानना है कि मलाईदार परत सिद्धांत समानता का एक सिद्धांत है। *[* पैरा *137] [1214-*डी*-*ई*; 125-*सी*-*डी*]*

वरिष्ठता। दूसरे शब्दों में, नियुक्ति में प्रवेश स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दिए गए आरक्षण की प्रकृति या सीमा चुनौती के दायरे में नहीं है। आरक्षण अधिनियम *2018* इस सिद्धांत को अपनाता है कि परिणामी वरिष्ठता एक अतिरिक्त लाभ नहीं है, बल्कि अनुसूचित जातियों को दी जाने वाली पदोन्नति का परिणाम है और एसटीएस। पदोन्नति की घटना के रूप में परिणामी वरिष्ठता की रक्षा करने के लिए, आरक्षण अधिनियम *2018* एक अभ्यास का गठन करता हैः

अनुच्छेद *16 (4* ए*)* द्वारा प्रदत्त सक्षम करने की शक्ति। क्रीमी लेयर की अवधारणा की परिणामी अनुदान के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है।

वरिष्ठता। पदोन्नति के आधार पर कैडर में प्रगति को क्रीमी लेयर स्थिति के अधिग्रहण के रूप में नहीं माना जा सकता है। जरनैल में निर्णय ने इस दलील को खारिज कर दिया कि एससी या एसटी के सदस्य जो उच्च पद पर पहुँचते हैं, उन पर अस्पृश्यता या पिछड़ेपन का कोई दाग नहीं है। *[* पैरा *138] [1215-*ई*-*एच*]*

9.3 मूल संरचना के उल्लंघन की चुनौती के खिलाफ अनुच्छेद *16 (4* ए*)* और *16 (4* बी*)* की वैधता को बनाए रखने के लिए, नागराज

चौड़ाई का परीक्षण और पहचान का परीक्षण लागू किया। संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि पकड़ नियम और परिणामी वरिष्ठता संवैधानिक आवश्यकताएँ नहीं हैं। उन्हें अनुच्छेद *16* के खंड *(1)* से *(4)* में

निहित नहीं माना गया था। नागराज का मानना था कि ये संवैधानिक सीमाएं या सिद्धांत नहीं हैं बल्कि अवधारणाएं हैं

सेवा न्यायशास्त्र से व्युत्पन्न। इसलिए, न तो उन अवधारणाओं का उन्मूलन और न ही उनका सम्मिलन अनुच्छेद *14,15* और *16* में निहित समानता संहिता का उल्लंघन करेगा। नागराज में प्रतिपादित सिद्धांत यह है कि परिणामी वरिष्ठता एक अवधारणा है जो विशुद्ध रूप से सेवा न्यायशास्त्र पर आधारित है। का समावेशन

परिणामी वरिष्ठता इसलिए संवैधानिक का उल्लंघन नहीं करेगी समानता का आदेश। यह वास्तविक संवैधानिक स्थिति है, *[2019] 7* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक घटना के रूप में परिणामी वरिष्ठता का संरक्षण पदोन्नति के लिए मलाईदार परत के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है

परीक्षण। अनुच्छेद *16 (4* ए*)* और *16 (4* बी*)* को किसी भी संवैधानिक सीमा को समाप्त नहीं करने और विस्तार परीक्षण को पूरा करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया था। इसे ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि क्रीमी लेयर की अवधारणा का आरक्षण अधिनियम *2018* की वैधता का आकलन करने में कोई उपयोग नहीं है, जो इसके परिणामस्वरूप वरिष्ठता की रक्षा करने के लिए बनाया गया है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को बढ़ावा देना। *[* पैरा *139]*

[1216 - सी-एफ*]*

जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता *2018 (10)* एससीसी

396 - समझाया और अनुसरण किया।

इंद्र साहनी बनाम भारत संघ *1992* सप्लीमेंट *(3)* एस. सी. सी. *217 [1992] 2* सप्लीमेंट। एस. सी. आर. *454;* इंद्र साहनी द्वितीय बनाम भारत संघ *(2000) 1* एस. सी. सी. *168 [1999] 5* सप्लीमेंट। एस. सी. आर. *229;* एम. नागराज बनाम भारत संघ *(2006) 8* एस. सी. सी. *212 [2006] 7* पूरक। एस. सी. आर. *336;* ई. वी. चिन्नैया बनाम राज्य एपी *(2005) 1* एससीसी *394: [2004] 5* पूरक। एस. सी. आर. *972;* त्रिपुरा राज्य बनाम जयंत चक्रवर्ती *(2018) 1* एस. सी. सी. *146: [2017] 11* एस. सी. आर. *247;* महाराष्ट्र राज्य बनाम विजय घोगरे *(2018) 15* एस. सी. सी. *64-*संदर्भित।

रेट्रोस्पेक्टिविटी

10. आरक्षण अधिनियम *2018* की धारा *3* और *4 17* जून *1995* को लागू हुई। अन्य प्रावधान लागू हुए

एक बार "जैसा कि धारा *1 (2)* में प्रावधान किया गया है। धारा *4* में कहा गया है कि *27* अप्रैल *1978* से प्रभावी आरक्षण आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित सरकारी कर्मचारियों को पहले से दी गई परिणामी वरिष्ठता वैध होगी और इसे संरक्षित किया जाएगा। विरपाल सिंह के मामले में

निर्णय में कहा गया कि पकड़ नियम केवल *10* फरवरी *1995* से लागू होगा जो सभरवाल में फैसले की तारीख थी; अजीत सिंह द्वितीय के मामले में निर्णय ने विशेष रूप से उन पदोन्नति की रक्षा की जो पकड़ नियम का पालन किए बिना *1* मार्च *1996* से पहले दी गई थी। में।

बदप्पनवर, *1* मार्च *1996* से पहले हुई परिणामी वरिष्ठता के आधार पर आरक्षित उम्मीदवारों की पदोन्नति।

विशेष रूप से संरक्षित थे। चूँकि *1* मार्च *1996* से पहले दी गई पदोन्नति सुरक्षित थी, इसलिए विधायिका के लिए परिणामी वरिष्ठता की रक्षा करना तर्कसंगत था। आरक्षण का उद्देश्य बी के पावित्र और ओआरएस है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ

अधिनियम *2018* उनके विरुद्ध पदोन्नति के लिए परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने के लिए है

रोस्टर अंक। मामले के इस दृष्टिकोण में, यह मानने का कोई कारण नहीं है कि पूर्वव्यापीता के संबंध में प्रावधान आरक्षण अधिनियम, *2018* या तो मनमाना है या असंवैधानिक है। परिणामी वरिष्ठता का लाभ आरक्षण आदेश *1978* की तारीख से बढ़ाया गया है, जिसके तहत आरक्षण के आधार पर पदोन्नति दी गई थी। *[* पारस *140,142] [1216*-जी-एच*; 1217*-ए-ई*]*

भारत संघ बनाम विरपाल सिंह चौहान *(1995) 6* एस. सी. सी. *684 [1995] 4* सप्लीमेंट। एससीआर *158;* आर के सभरवाल बनाम पंजाब राज्य *(1995) 2* एससीसी *745: [1995] 2* एस. सी. आर. *35;* अजीत सिंह जानुजा बनाम पंजाब राज्य *(1996) 2* एस. सी. सी. *715: [1996] 3* एस. सी. आर. *125;* एम. जी. बडप्पनवर बनाम राज्य

कर्नाटक *(2001) 2* एससीसी *666: [2000] 5* पूरक। एससीआर

302 संदर्भित किया गया।

के. पी. टी. सी. एल. और पी. डब्ल्यू. डी. में अधिक प्रतिनिधित्व

11. रत्न प्रभा समिति ने कर्नाटक राज्य सरकार के इकतीस विभागों से आंकड़े एकत्र किए। द. के. पी. टी. सी. एल. और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र जैसे निगम

उपक्रम राज्य सरकार के किसी एक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। इकतीस विभागों में पद को राज्य के तहत सार्वजनिक रोजगार में पद के प्रतिनिधि के रूप में लिया गया था। के. पी. टी. सी. एल. और पी. डब्ल्यू. डी. में अति प्रतिनिधित्व को याचिकाकर्ताओं द्वारा भरे गए पदों की कुल संख्या के संदर्भ में पेश किया गया है। दूसरी ओर, कोटा तय किया जाता है और रोस्टर सभरवाल और नागराज के मामले में आयोजित कुल स्वीकृत पदों के संबंध में लागू होता है। इसके विपरीत, कर्नाटक राज्य द्वारा प्रस्तुत आंकड़े यह इंगित करता है कि यदि परिणामी वरिष्ठता की अनुमति नहीं है, तो आरक्षित श्रेणियों का प्रतिनिधित्व कम होगा। सरकारी आदेश दिनांक *13.04.1999* के तहत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया गया है जब तक कि

क्रमशः प्रतिशत। राज्य ने न्यायालय को सूचित किया है कि सरकारी आदेश के. पी. टी. सी. एल. और पी. डब्ल्यू. डी. पर लागू होता है। *[* पैरा *143] [1217*-एफ-एच*; 1218*-ए-बी*] [2019] 7* एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर के सभरवाल बनाम पंजाब राज्य *(1995) 2* एससीसी *745: [995] 2* एससीआर *35;* एम नागराज बनाम भारत संघ *(2006) 8* एस. सी. सी. *212 [2006] 7* पूरक। एससीआर *336;* भक्त

रामगौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य *(1997) 2* एस. सी. सी. *661: [1997] 1* एस. सी. आर. *535;* जगदीश लाल बनाम हरियाणा राज्य *(1997) 6* एस. सी. सी. *538;* सूरज भान मीणा बनाम राजस्थान राज्य *(2011) 1* एस. सी. सी. *467: [2010] 14* एस. सी. आर. *532;* उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम राजेश कुमार *(2012) 7* एस. सी. सी. *1: [2012] 4* एस. सी. आर. *118;* एस. पन्नीर सेल्वम बनाम तमिलनाडु राज्य *(2015) 10* एस. सी. सी. *292;* एस. आर. भागवत बनाम मैसूर राज्य *(1995) 6* एस. सी. सी. *16: [1995] 3* पूरक। एससीआर *545;* बख्तावर ट्रस्ट बनाम एम. डी. नारायण *(2003) 5* एससीसी *298: [2003] 1* पूरक। एस. सी. आर. *1;* दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य *(1996) 2* एस. सी. सी. *449 [1996] 1* एस. सी. आर. *518;* री कावेरी *(1993)* सप्लीमेंट *(1)* एस. सी. सी. *96: [1991] 2* पूरक। एससीआर *497;* एसटी सादिक बनाम केरल राज्य *(2015) 4* एससीसी *400 [2015] 3* एससीआर

287 ; भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम केरल राज्य *(2018) 11* स्केल *141: 2018* एस. सी. आर. *212;* आई. आर. कोएल्हो बनाम टी. एन. राज्य *(2007) 2* एस. सी. सी. *1: [2007] 1* एस. सी. आर. *706;* पंडित एम. एस. एम. शर्मा बनाम डॉ. कृष्ण सिन्हा ए. आई. आर *1960* एस. सी. *1186;* राज्य

पश्चिम बंगाल बनाम कमल सेनगुप्ता *(2008) 8* एस. सी. सी. *612 [2008] 10* एस. सी. आर. *4;* रोहतास इंडस्ट्रीज बनाम एस. डी. अग्रवाल *(1969) 1* एस. सी. सी. *325: [1969] 3* एस. सी. आर. *108;* रुस्तम कावासजी कूपर बनाम भारत संघ *(1970) 1* एस. सी. सी. *248 [1970] 3* एस. सी. आर. *530;* रितेश साह बनाम वाई. एल. यामुल *(1996) 3* एस. सी. सी. *253 [1996] 2* एस. सी. आर. *695*-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1997] 1 एससीआर *535*

संदर्भित किया गया है

पैरा *8*

(1997) 6 एस. सी. सी. *538*

संदर्भित किया गया है

पैरा *16*

[2010] 14 एससीआर *532*

संदर्भित किया गया है

पैरा *25*

[2012] 4 एससीआर *118*

पैरा *25*

संदर्भित किया गया है

(2015) 10 एससीसी *292*

संदर्भित किया गया है

पैरा *25*

[1995] 3 पूरक। एससीआर *545*

संदर्भित किया गया है

पैरा *42*

[2003] 1 पूरक। एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *42* पावित्र और ओ. आर. एस. वी. भारत और ओ का संघ

1 एससीआर *518*

संदर्भित किया गया है

पैरा *42*

2 पूरक। एससीआर *497*

संदर्भित किया गया है

पैरा *42*

3 एससीआर *287*

संदर्भित किया गया है

पैरा *42*

एस. सी. आर. *212*

पैरा *42*

संदर्भित किया गया है

1 एससीआर *706*

संदर्भित किया गया है

पैरा *45*

960 एससी *1186*

पैरा *51*

संदर्भित किया गया है

पैरा *51*

10 एससीआर *4*

संदर्भित किया गया है

पैरा *57*

3 एससीआर *108*

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा *57*

3 एससीआर *530*

संदर्भित किया गया है

2 एससीआर *695*

पैरा *57*

6 एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *62*

2 पूरक। एससीआर *555*

संदर्भित किया गया है

पैरा *66*

पैरा *65*

· *3* एस. सी. सी. *661*

संदर्भित किया गया है

उस पर भरोसा करें

3 एससीआर *130*

पैरा *69*

पैरा *71,72,78,*

1 एससीआर *631*

संदर्भित किया गया है

82 , 87 , 88 , 101 ,

पर भरोसा किया।

पैरा *71,72,144*

7 पूरक। एससीआर *336*

पीछा किया।

पैरा *71,144*

संदर्भित किया गया है

पैरा *72,82,87,*

91 , 93 , 101 , 104

15 , 132 , 134,13 ′

139 , 143 ,

संदर्भित किया गया है

पैरा *73*

7 एससीआर *689*

एससीआर *314*

संदर्भित किया गया है

पैरा *73*

1 पूरक। एस. सी. आर. *239*

संदर्भित किया गया है

पैरा *73*

10 एससीआर *821*

संदर्भित किया गया है

पैरा *73*

संदर्भित किया गया है

7 एस. सी. सी. *637*

पैरा *73,79*

पैरा *74*

संदर्भित किया गया है

[

1 एससीआर *897*

संदर्भित किया गया है

(1964)

पैरा

[1970] 1 एससीआर *388*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1996] 8 पूरक। एससीआर *193*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2004] 5 पूरक। एससीआर *720*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1978] 3 एससीआर *334*

प्रतिष्ठित पैरा

1994 सप. *(2)* एस. सी. सी. *726*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2015] 3 एससीआर *612*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2002] 5 पूरक। एससीआर *116*

पैरा *8*

संदर्भित किया गया है

[2009] 10 एससीआर *634*

संदर्भित किया गया है

पैरा *&*

[1976] 1 एससीआर *552*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1994] 3 पूरक। एससीआर *405*

संदर्भित किया गया है

पैरा *8*

[2003] 2 एससीआर *139*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1962] एससीआर *44*

संदर्भित किया गया है

पैरा *&*

[1992] 2 पूरक। एससीआर *454*

संदर्भित किया गया है

पैरा *&*

114 , 1

137

संदर्भित किया गया है

2018 (10) एस. सी. सी. *396*

पैरा *&*

134-1

[1974] 3 एससीआर *820*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1980] एससीआर *500*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2017] 1 एससीआर *658*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1966] एससीआर *311*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1995] 2 एससीआर *35*

संदर्भित किया गया है

पैरा

140 ,

[1964] एससीआर *680*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1981] 2 एससीआर *185*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1976] 1 एससीआर *906*

संदर्भित किया गया है

पैरा बी के पावित्र और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ

[1985] पूरक। एससीआर *352*

संदर्भित किया गया है

पैरा *120,121*

[2017] 11 एससीआर *247*

पैरा *135*

संदर्भित किया गया है

(2018) 15 एससीसी *64*

संदर्भित किया गया है

पैरा *135*

[2004] 5 पूरक। एससीआर *972*

संदर्भित किया गया है

पैरा *137*

(2018) 10 एस. सी. सी. *396*

समझाया।

और उनका अनुसरण किया।

पैरा *137,138*

[1999] 5 पूरक। एससीआर *229*

संदर्भित किया गया है

पैरा *137*

[1995] 4 पूरक। एससीआर *158*

पैरा *140*

संदर्भित किया गया है

[1996] 3 एससीआर *125*

संदर्भित किया गया है

पैरा *140*

[1999] 2 पूरक। एससीआर *521*

संदर्भित किया गया है

पैरा *140*

[2000] 5 पूरक। एस. सी. आर. *303*

संदर्भित किया गया है

पैरा *140*

सिविल अपीलेट/इनहेरेंट/ओरिजिनल

न्यायनिर्णयः *2011* की सिविल अपील संख्या *2368* में *2018* का विविध आवेदन संख्या *1151*।

उच्च न्यायालय के *23.12.2010* दिनांकित निर्णय और आदेश से

2010 की रिट याचिका संख्या *14672* में बैंगलोर में कर्नाटक का न्यायालय।

के साथ समीक्षा याचिका *(सी)* डायरी संख्या। *7833 , 10240 , 10258 , 10859 , 12622 , 12674 , 13047 , 14563 , 16896 2017* का एम. ए. सं. *1152,2011* का सी. ए. सं. *2369,* रिट याचिका *(सी)* सं. *764 , 769 , 791 , 823 , 827 , 850 , 875 , 872 , 901 , 879 1209 2018* से।

देवदत्त कामत, ए. ए. जी., डॉ. राजीव धवन, बसव प्रभु पाटिल,

सुश्री इंदिरा जयसिंह, वी. लक्ष्मीनारायण, दिनेश द्विवेदी, निधेश गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , कुमार परिमल, स्मारहर सिंह, सुश्री सिद्धि पाडिया, वी. एन. रघुपति, सुश्री रचिता हेरिमाथ, चिन्माय देशपांडे, परीक्षित पी. अंगड़ी, गीत आहूजा, अनुज सक्सेना, सुश्री नेहमत कौर, सुश्री अजिता शर्मा, रामेश्वर प्रसाद गोयल, दिनेश के. गर्ग, धनंजय गर्ग, अभिषेक गर्ग, दीपक मिश्रा, कृष्णम मिश्रा, यशर्थ कांत, निशांत सिंह, मोहम्मद। नावेद, सर्वेंद्र कुमार, सुश्री पायल गायकवाड़, प्रकाश शर्मा, सुश्री प्रकृति राज, सुश्री इला गांधी, सतपाल सिंह, पुनीत जैन, सुश्री क्रिस्टी जैन, अभिनव गुप्ता, हर्ष जैन, सुश्री अर्पिता गुप्ता, डॉ. के. एस. चौहान, अजीत कुमार एक्का, रवि प्रकाश, चांद किरण, एस. पी. सिंह, आनंद संजय *[2019] 7* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एम. नुली, धर्म सिंह, नंद कुमार के. बी. *(*मेसर्स के लिए। नुली और नुली*)*, नवीर आर. नाथ, राहुल जैन, दर्पण के. एम., सिद्धार्थ अग्रवाल, एस. के. कुलकर्णी

एम. गिरीश कुमार, अंकुर एस. कुलकर्णी, जोसेफ अरिस्टोटल एस., सुश्री प्रिया अरिस्टोटल, शिवा पी., आर. बालासुब्रमण्यम, सुश्री श्रद्धा देशमुख, बी. वी. बलराम दास, शरणगौड़ा पाटिल, शिरीष के. देशपांडे, सुश्री श्रद्धा देशमुख, बी. वी. बलराम दास, मेसर्स। देवसा एंड कंपनी, एस. एन. भट, पुल्की तारे, सुश्री अनघा एस. देसाई, ई. सी. विद्या सागर, डॉ. *(*सुश्री*)* विपिन गुप्ता सुधीर नगर, कबीर दीक्षित, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

इस निर्णय को विश्लेषण की सुविधा के लिए अनुभागों में विभाजित किया गया है।

वे हैं।

B. कर्नाटक में आरक्षण की संवैधानिक पृष्ठभूमि
ग. प्रस्तुतियाँ

सी. आई. याचिकाकर्ता
सी. *2* उत्तरदाताओं और हस्तक्षेपकर्ताओं के लिए प्रस्तुतियाँ

D. विधेयक को स्वीकृति
ई. क्या आरक्षण अधिनियम *2018* रद्द या रद्द कर देता है*?*

बी. के. पवित्रा प्रथम

ई. आई. बी. के. पवित्रा *I* का आधार है जिसे लागू करने में ठीक किया गया था

आरक्षण अधिनियम *2018*

ई. *2* रत्न प्रभा समिति की रिपोर्ट

एफ. महत्वपूर्ण बनाम औपचारिक समानता

एफ. आई. संविधान सभा की अनुच्छेद की समझ

16 (4)

एफ. *2* एक परिवर्तनकारी साधन के रूप में संविधान

G. प्रशासन में कुशलता

एच. मलाईदार परत का मुद्दा

I. रेट्रोस्पेक्टिविटी

जे. के. पी. टी. सी. एल. और पीडब्ल्यूडी बी. के. पावित्र और ओ. आर. एस. में प्रतिनिधित्व पर।

वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।*]*

के. निष्कर्ष

A. संवैधानिक चुनौती

आरक्षण के आधार पर पदोन्नत कर्मचारी *(*राज्य की सिविल सेवाओं में पदों के लिए*)* अधिनियम *2018 1.* इस अधिनियम में अन्य बातों के अलावा, कर्नाटक राज्य की आरक्षण नीति के तहत पदोन्नत अनुसूचित जाति *2* और अनुसूचित जनजाति *3* से संबंधित व्यक्तियों को परिणामी वरिष्ठता प्रदान की गई है। कानून परिणामी वरिष्ठता की रक्षा करता है *24* अप्रैल *1978*।

2. आरक्षण अधिनियम *2018* से पहले कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण किया गया था

आरक्षण *(*राज्य की सिविल सेवाओं में पदों के लिए*)* अधिनियम *20024* के आधार पर प्रचारित। आरक्षण अधिनियम *2002* की संवैधानिक वैधता को बी. के. पवित्रा बनाम भारत संघ *3 ("*बी. के. पवित्रा *I")* में चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ *(*जिसमें न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति यू. यू. ललित शामिल थे*)* ने आरक्षण अधिनियम *2002* की धारा *3* और *4* को इस आधार पर संविधान के अनुच्छेद *14* और *16* के अधिकार से बाहर माना कि "अपर्याप्तता" का निर्धारण करने की कवायद

दक्षता "कानून के अधिनियमन से पहले नहीं थी। इस तरह की कवायद एम नागराज बनाम भारत संघ *("*नागराज*")* मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय द्वारा अनिवार्य माना गया था।

कर्नाटक राज्य के उपरोक्त तीन मापदंडों पर मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के अभाव में, आरक्षण अधिनियम *2002* को अमान्य माना गया था। *3.* कर्नाटक राज्य में विधायिका ने आरक्षण अधिनियम *2018* लागू किया जब इस न्यायालय ने बी. के. पवित्रा *I* में आरक्षण अधिनियम *2002* को अमान्य कर दिया। याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि राज्य विधानमंडल ने अपनी खामियों को दूर किए बिना पहले के कानून को वस्तुतः फिर से लागू कर दिया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह एक लिखित संविधान के मापदंडों द्वारा शासित एक विधायी निकाय के लिए खुला नहीं है

1 आरक्षण अधिनियम *2018*

2 एससीएस

3 एसटीएस *4* आरक्षण अधिनियम *2002*

5 (2017) 4 एस. सी. सी. *620* *6 (2006) 8* एससीसी *212 [2019] 7* एस. सी. आर.

न्यायिक निर्णय, इसका आधार हटाए बिना। दूसरी ओर, राज्य सरकार ने जोर देकर कहा है कि नागराज में निर्णय द्वारा आवश्यक मापदंडों के अनुरूप "मात्रात्मक डेटा" एकत्र करने की कवायद वास्तव में की गई थी। याचिकाकर्ता दोनों प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं।

और मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए राज्य द्वारा किए गए अभ्यास का परिणाम।

B. कर्नाटक में आरक्षण की संवैधानिक पृष्ठभूमि

4. वर्तमान मामले में यह आवश्यक है कि यह न्यायालय पूर्ववर्ती निकाय के माध्यम से बुने जो हमारे संवैधानिक का एक हिस्सा है

आरक्षण के मुद्दे पर न्यायशास्त्र। कई मायनों में, न्यायालय के समक्ष मुद्दे अद्वितीय हैं। क्योंकि, नागराज के बाद की दुनिया में, जो कानून के इस निकाय को नियंत्रित करती है, राज्य सरकार इस आधार पर अपने कानून का बचाव करती है कि उसने संग्रह की संवैधानिक आवश्यकता को पूरा किया है

कानून लागू करने से पहले मात्रात्मक डेटा। यदि इस तरह की कवायद की गई है, तो न्यायालय को एक सक्षम विधायिका द्वारा अधिनियमित कानून के संवैधानिक न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के मानक के लिए खुद को संबोधित करने की आवश्यकता होगी। सरकार द्वारा डेटा संग्रह अभ्यास, जो कानून के अधिनियमन से पहले होता है, की अदालत द्वारा किस हद तक समीक्षा की जा सकती है, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। बी. के. पवित्रा प्रथम ने एक स्थिति को शामिल किया जहाँ इस न्यायालय ने इस आधार पर एक कानून को अमान्य कर दिया कि कर्नाटक राज्य द्वारा डेटा संग्रह का कोई अभ्यास नहीं किया गया था। मामलों के वर्तमान समूह में *(*यहां बी. के. पवित्रा द्वितीय के रूप में संदर्भित*)*, राज्य द्वारा मात्रात्मक डेटा एकत्र करने का अभ्यास करने के बाद अधिनियमित कानून की वैधता को एक संवैधानिक चुनौती है। क्या डेटा संग्रह का वह अभ्यास और नए कानून का अधिनियमन जो इसकी नींव पर उभरा है, बी के पवित्रा *I* में आरक्षण अधिनियम *2002* के आधार को छीन लेता है या अमान्य होने का कारण हमारे विचार के लिए एक आवश्यक प्रश्न है।

इस पृष्ठभूमि में, हम वर्तमान मामले के उतार-चढ़ाव वाले इतिहास में महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं।

5. संविधान के अनुच्छेद *309* के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक के राज्यपाल ने कर्नाटक सरकारी सेवक *(*वरिष्ठता नियम*) 19577* तैयार किया। नियम *2* और *4* किसी दिए गए संवर्ग में सेवा की अवधि के आधार पर वरिष्ठता प्रदान करते हैं। रोस्टर पदोन्नति के संबंध में वरिष्ठता को नियंत्रित करने वाला कोई विशिष्ट नियम नहीं था।

7 नियम *1957* पावित्र और ओ. आर. एस.। वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

नियम *2* अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान करता हैः

"2. इसके बाद के प्रावधानों के अधीन सेवा के किसी विशेष संवर्ग या पद के वर्ग में किसी व्यक्ति की वरिष्ठता होगी -

निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया गयाः

*(*क*)* स्पष्ट रिक्तियों में पर्याप्त रूप से नियुक्त अधिकारी सेवा के एक ही संवर्ग या पद के वर्ग में कार्यवाहक या किसी अन्य आधार पर नियुक्त सभी व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे।

*(*ख*)* जिन अधिकारियों की पुष्टि की जाती है, उनकी वरिष्ठता पुष्टि की तारीखों के अनुसार निर्धारित की जाएगी, लेकिन जहां किसी भी दो अधिकारियों की पुष्टि की तारीख समान है, उनकी सापेक्ष वरिष्ठता उनके द्वारा निर्धारित की जाएगी।

एक ही पद पर कार्य करते समय वरिष्ठता और यदि नहीं, तो निचली श्रेणी में उनकी वरिष्ठता से।

*(*ग*)* अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता का निर्धारण उस श्रेणी में उनके निरंतर कार्यपालन की तारीखों से किया जाएगा और जहां कार्यपालन की अवधि समान है, वहां निम्न श्रेणी में वरिष्ठता का निर्धारण किया जाएगा।

विजय प्राप्त करें "।

नियम *4* वरिष्ठता के निर्धारण के लिए प्रदान करता है जहां पदोन्नति एक ही समय में किसी वर्ग एसटीएस या संवर्ग के लिए वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर होती हैः

"4. जब पद या संवर्ग के किसी वर्ग में पदोन्नति उसी समय वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर की जाती है, तो सापेक्ष वरिष्ठता

तय किया जाएगा।

(i) यदि पदोन्नति किसी एक संवर्ग या पद के वर्ग से, निचली संवर्ग या वर्ग में उनकी वरिष्ठता के आधार पर की जाती है।

पद का*;*

(ii) यदि एक ही श्रेणी के कई संवर्गों या पदों के वर्गों से पदोन्नति की जाती है, तो उनमें सेवा की अवधि तक

ग्रेड*;*

(iii) यदि कई संवर्गों या पदों के वर्गों से पदोन्नति की जाती है, जिनके ग्रेड समान नहीं हैं, तो उस क्रम से जिसमें उम्मीदवारों को प्राधिकरण द्वारा व्यवस्थित किया जाता है।

पदोन्नति करना, लोक सेवा आयोग के परामर्श से जहां इस तरह का परामर्श आवश्यक है, *[2019] 7* एस. सी. आर. लेना।

उस क्रम को ध्यान में रखते हुए जिसमें उन कई कैडरों या पदों के वर्गों से पदोन्नति की जानी है।

नियम *4*-ए वरिष्ठता के निर्धारण के लिए प्रदान करता है जहां पदोन्नति चयन द्वारा की जाती हैः

जब किसी पद या संवर्ग में पदोन्नति की जाती है

"4 - ए.

एक ही समय में कई संवर्गों या पदों के वर्गों से या एक ही संवर्ग या पद के वर्ग से उस क्रम से चयन करके जिसमें चयन करने वाले नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा उम्मीदवारों को योग्यता के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, लोक सेवा आयोग के परामर्श से जहां ऐसा परामर्श आवश्यक है।

के किसी भी विशेष नियमों के अनुसार प्राथमिकता का क्रम
भर्ती।*]*. "

6. पदोन्नति पदों की निर्दिष्ट श्रेणियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षण एक सरकारी आदेश *8* द्वारा शुरू किया गया था।

कर्नाटक सरकार का दिनांक *27* अप्रैल *1978*। अनुसूचित जातियों के लिए पदोन्नति पदों में आरक्षण *15* प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए सभी संवर्गों में *3* प्रतिशत निर्धारित किया गया था, जिसमें पहली श्रेणी के निम्नतम श्रेणी के पद शामिल हैं जिनमें प्रत्यक्ष भर्ती का कोई तत्व नहीं है या जहां प्रत्यक्ष भर्ती *662/3* प्रतिशत से अधिक नहीं है। एक *33* अंकों की सूची थी

नियुक्ति प्राधिकरणों के तहत पदों के प्रत्येक संवर्ग पर लागू होता है। किसी भी अवसर पर पदोन्नत व्यक्तियों के बीच अंतर-वरिष्ठता होनी थी

नियम *4* और *4*-ए, जैसा भी मामला हो, के अनुसार निर्धारित किया गया

नियम *1957*। इसने यह भी निर्धारित किया कि रिक्तियों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

7. 1 जून *1978* को राज्य सरकार ने एक आधिकारिक आदेश जारी किया।

27 अप्रैल *1978* के सरकारी आदेश को लागू करने के लिए दिशानिर्देश और स्पष्टीकरण प्रदान करने वाला ज्ञापन। आधिकारिक ज्ञापन में निर्धारित किया गया है कि पदोन्नति के बाद, वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नत उम्मीदवारों के बीच वरिष्ठता, प्रत्येक अवसर पर, नियम *1957* के नियम *4* के अनुसार तय की जाएगी। दूसरे शब्दों में, वरिष्ठता उस संवर्ग में अंतर वरिष्ठता द्वारा शासित होगी जिससे उम्मीदवारों को पदोन्नत किया गया था। चयन द्वारा पदोन्नत उम्मीदवारों के लिए,

8 जी. ओ. नं. डी. पी. ए. आर *29* एस. बी. सी *77*

9 बजे सं। डी. पी. ए. आर. *29* एस. बी. सी. *77* बी. के. पावित्र और ओ. आर. एस.

वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

वरिष्ठता नियम *4*-ए द्वारा नियंत्रित होगीः नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयनित उम्मीदवारों की सूची में दी गई श्रेणी के अनुसार रैंकिंग दी जाएगी। इस प्रकार *1* जून *1978* के आधिकारिक ज्ञापन में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परिणामी वरिष्ठता के सिद्धांत के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

8. 1 अप्रैल *1992* की एक अधिसूचना द्वारा कर्नाटक सिविल सेवा *(*सामान्य भर्ती*)* नियमों के नियम *8* में एक प्रावधान जोड़ा गया था।

19771 1 जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति द्वारा नहीं भरी गई रिक्तियों को एक बैकलॉग के रूप में माना जाएगा और भविष्य में इसे ठीक किया जाएगा। इस प्रावधान को इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने भक्त रामगौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य *1 2 ("*भक्त रामगौड़ा*")* मामले में बरकरार रखा था।

9. 16 नवंबर *1992* को इस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने इंद्र साहनी बनाम भारत संघ *("*इंद्र*")* मामले में फैसला सुनाया।

साहनी *")*। यह मुद्दा कि क्या अनुच्छेद *16 (4) 1 4* द्वारा पदोन्नति पदों के आरक्षण पर विचार किया गया था- जब इसने 'नियुक्ति' अभिव्यक्ति का उपयोग किया था, उन मुद्दों में से एक था जिन पर विचार किया गया था। न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी ने चार न्यायाधीशों की बहुलता के लिए बोलते हुए कहा किः

(i) संविधान के अनुच्छेद *16 (4)* द्वारा अनुध्यात आरक्षण

संविधान *50* प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। जबकि *50* प्रतिशत नियम होगा, "यह आवश्यक है कि इसे बाहर न रखा जाए।

इस देश और लोगों की महान विविधता में निहित कुछ असाधारण स्थितियों पर विचार करें। लेकिन, सख्त नियम में कोई भी छूट अत्यधिक सावधानी के साथ दी जानी चाहिए

और एक विशेष मामला बनाए जाने पर*;*

11 नियम *1977* *12 (1997) 2* एस. सी. सी. *661*

13 1992 मान लीजिए कि अनुच्छेद *16* के खंड *(3)* एस. सी. सी. *217 14* खंड *(1)* और *(4)* में निम्नलिखित प्रावधान हैंः *(1)* संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी -

राज्य के अधीन किसी कार्यालय में नियुक्ति या नियुक्ति।

(4) इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगी, जो राज्य की राय में, संविधान में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है।

राज्य के अधीन सेवाएँ।

15 अनुच्छेद *13*, पृष्ठ *735* पर अनुच्छेद *809*, पृष्ठ *735* पर अनुच्छेद *810*

17 पृष्ठ *735 [2019] 7* एस. सी. आर. पर अनुच्छेद *810*।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद *16 (4)* के तहत आरक्षण केवल निम्नलिखित में प्रदान किया जा सकता है -

सरकारी सेवा में प्रवेश का समय लेकिन मामलों में नहीं

पदोन्नति। हालांकि, यह सिद्धांत केवल काम करेगा।

संभावित रूप से और पहले से किए गए प्रचार को प्रभावित नहीं करते हैं।

मलाईदार परत को अलग किया जा सकता है और इसे बाहर रखा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी ने कहाः

" 792 ..... जबकि हम सहमत हैं कि खंड *(4)* का उद्देश्य समूह बनाना है।

पिछड़ेपन, हम महसूस करते हैं कि इस तरह के सामाजिक बहिष्कार

केवल पिछड़े वर्ग और मामले में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है
अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों का*) "*। *1 9*

पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता

सेवाओं में नागरिक "व्यक्तिपरक संतुष्टि के भीतर एक मामला है

"राज्य की राय में" शब्दों से पहले। द. न्यायिक समीक्षा के मानक का आधार इस प्रकार तैयार किया गया थाः

" 798 ..... यह राय राज्य द्वारा अपने दम पर बनाई जा सकती है, यानी उस सामग्री के आधार पर जो उसके पास पहले से है।

राज्य की राय के अनुसार, जो वर्तमान संदर्भ में मतलब कार्यकारी।
कार्यपालक को पता होना चाहिए

समाज में मौजूदा स्थितियाँ, जैसा कि यह से खींची गई हैं

संसद में जनता के प्रतिनिधियों के बीच /

विधायिका। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि राय

गठित किया जाना पूरी तरह से न्यायिक जांच से परे है। इसका दायरा
और व्यक्तिपरक मामलों में न्यायिक जांच की पहुंच

ग्राफ *827,829,859 (7)* और *860 (8)* पृष्ठ *745,747,768* और *771* पर

जीई *725*

पृष्ठ *728* बी के पावित्र और ओआरएस पर ग्राफ *798*।

वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

बेरियम केमिकल्स *v* में कार्यपालिका की संतुष्टि को अच्छी तरह से और व्यापक रूप से बताया गया है। कंपनी लॉ बोर्ड *[1966* एस. सी. आर. *311:* ए. आई. आर. *1967* एस. सी. *295]* जिसे यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि उक्त सिद्धांत लागू होते हैं।
समान रूप से अनुच्छेद *16 (4)* जैसे संवैधानिक प्रावधान के मामले में जो स्पष्ट रूप से विशेष तथ्य *(*अपर्याप्त प्रतिनिधित्व*)* को राज्य के व्यक्तिपरक निर्णय के भीतर रखता है।

कार्यकारी "। *21*

(v) नागरिकों के पिछड़े वर्ग की पहचान केवल और विशेष रूप से एक आर्थिक मानदंड के संदर्भ में नहीं की जा सकती है। नागरिकों के पिछड़े वर्ग की पहचान करने की अनुमति है

व्यवसाय, आय के साथ-साथ जाति का संदर्भ।

10. इंद्र साहनी मामले में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए,

1978 के सरकारी आदेश के तहत पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के प्रावधान, जैसा कि *1* जून *1978* के आधिकारिक ज्ञापन द्वारा स्पष्ट किया गया था, *16* नवंबर *1992* से पांच साल की अवधि के लिए सुरक्षित रखे गए थे। पहले से किए गए प्रचार को बचा लिया गया था।

11. 17 जून *1995* को अपनी घटक क्षमता में कार्य करते हुए संसद ने सत्तत्तरवें संशोधन को अपनाया जिसके द्वारा खंड *(4* ए*)* एस. सी. और एस. टी. *23* के पक्ष में पदोन्नति में आरक्षण को सक्षम बनाने के लिए अनुच्छेद *16* में जोड़ा गया। यह संशोधन *16* नवंबर *1992 (*जिस तारीख को इंद्र साहनी में निर्णय घोषित किया गया था*)* से पांच साल की समाप्ति से पहले *17* जून *1995* को लागू हुआ था। इंद्र साहनी और सत्तर-सातवें में निर्णय के परिणामस्वरूप

संविधान में संशोधन, *1978* के सरकारी आदेश के तहत कर्नाटक सरकार द्वारा किए गए आरक्षण के प्रावधान को बचा लिया गया और यह जारी रहा।

12. 10 फरवरी *1995* को इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने

21 पृष्ठ *728* पर लिखा है *22* पृष्ठ *728* पर अनुच्छेद *799*

23 खंड *16 (4* ए*):* इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में राज्य के तहत सेवाओं में किसी भी वर्ग या पदों के वर्गों में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए कोई

प्रावधान करने से नहीं रोकेगी, जो राज्य की राय में राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। *24 (1995) 2* एससीसी *745 [2019] 7* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(i) रोस्टर के संचालन द्वारा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा पदों के निर्धारित प्रतिशत को भरने के बाद, पर्याप्तता की संख्यात्मक परीक्षा पूरी हो जाती है और रोस्टर होगा

2 5 का संचालन बंद कर दें*;*

((ii) इस संबंध में आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित किया जाना चाहिए।

उन पदों की संख्या तक जो संवर्ग की ताकत बनाते हैं। रिक्ति की अवधारणा का संचालन में कोई प्रासंगिकता नहीं है

आरक्षण का प्रतिशत *26;* और

(iii) रोस्टर के काम करने पर दी गई व्याख्या *10* फरवरी *1995* से संभावित रूप से संचालित होगी।

13. 1 अक्टूबर *1995* को, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने भारत संघ बनाम विरपाल सिंह चौहान *2 8 (*"विरपाल सिंह*")* मामले में फैसला सुनाया कि

राज्य यह प्रावधान कर सकता है कि भले ही अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवार को आरक्षण के आधार पर और रोस्टर के आवेदन पर पहले पदोन्नत किया जाता है, यह ऐसे व्यक्ति को फीडर संवर्ग में सामान्य श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ व्यक्ति पर वरिष्ठता का हकदार बनाएगा। हालांकि, सामान्य श्रेणी से संबंधित एक वरिष्ठ, जिसे बाद में उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है, आरक्षित उम्मीदवार पर वरिष्ठता हासिल कर लेगा, जिसे पदोन्नत किया गया था।

इससे पहले। इस नियम को पकड़ नियम के रूप में जाना जाने लगा। दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने निर्देश दिया कि उपरोक्त सिद्धांत का प्रभावी ढंग से पालन किया जाएगा सभरवाल में निर्णय की तारीख से।

भेदभाव "और, एक नियम या परिपत्र जो रोस्टर अंकों के आधार पर पदोन्नत आरक्षित श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार को वरिष्ठता देता है, संविधान के अनुच्छेद *14* और *16* का उल्लंघन करेगा। *25* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *750* पर पैराग्राफ *5 26* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *751* पर पैराग्राफ *6 27* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *753* पर पैराग्राफ *11 28 (1995) 6* एस. सी. सी. *684*

29 10 फरवरी *1995 30 (1996) 2* एस. सी. सी. *715* बी. के. पावित्र और ओ. आर. एस.

वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

15. 24 जून *1997* को, कर्नाटक सरकार ने एक सरकारी आदेश *31* जारी किया जिसमें इन तरीकों के संबंध में दिशानिर्देश तैयार किए गए।

किन बैकलॉग रिक्तियों को भरने की आवश्यकता थी। *3* फरवरी *1999* को कर्नाटक सरकार ने एक और सरकारी आदेश जारी किया।

अनुच्छेद *16 (4* ए*)* के अनुसार पदोन्नति के मामलों में आरक्षण की एक संशोधित नीति निर्धारित की गई है। *1999* के आदेश में आरक्षण का प्रावधान है अनुसूचित जाति के लिए *15* प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए *3* प्रतिशत की सीमा तक पदोन्नति, जिसमें प्रत्येक सेवा में समूह ए के निम्नतम श्रेणी के पद शामिल हैं, जिनके लिए प्रत्यक्ष भर्ती का कोई तत्व नहीं है या जहां प्रत्यक्ष भर्ती का अनुपात *66* से अधिक नहीं है।

प्रतिशत। पदोन्नति में आरक्षण जारी रखने का प्रावधान करते हुए, सरकारी आदेश में निर्धारित किया गया है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षण तब तक जारी रहेगा जब तक कि एक संवर्ग में उनका प्रतिनिधित्व *15* प्रतिशत तक नहीं पहुंच जाता। अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण तब तक जारी रहेगा जब तक कि एक संवर्ग में उनका प्रतिनिधित्व *3* प्रतिशत तक नहीं पहुंच जाता। इसके बाद, पदोन्नति में आरक्षण केवल संबंधित श्रेणियों के लिए उपरोक्त प्रतिशत की सीमा तक प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए जारी रहेगा। *13* अप्रैल *1999* को, कर्नाटक सरकार ने *1999* के आदेश को संशोधित करते हुए एक और सरकारी आदेश *3* जारी किया, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति में आरक्षण रिक्तियों पर मौजूदा रोस्टर को लागू करके तब तक जारी रहेगा जब तक कि

निरंतर कार्यपालन के सिद्धांत के अनुसार, एक आरक्षित श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार जिसे त्वरित पदोन्नति के कारण सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से पहले पदोन्नत किया जाता है, वह उच्च संवर्ग में वरिष्ठता नहीं खोएगा। निर्णयों के इस टकराव को अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य *("*अजीत सिंह द्वितीय*")* मामले में एक संविधान पीठ द्वारा हल किया गया था। संविधान पीठ *31* जाओ। नहीं। डी. पी. ए. आर. *10* एस. सी. बी. सी. *97* *32* गो। नहीं। डी. पी. ए. आर *21* एस. बी. सी *97*

33 इबिद

34 (1997) 6 एस. सी. सी. *538*

35 (1999) 7 एससीसी *209 [2019] 7* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के संबंध में पदोन्नत पद पर कार्यपालन जारी रखने की तारीख से श्रेणी जो निचली श्रेणी में उनसे वरिष्ठ थे और जिन्हें बाद में पदोन्नत किया गया था। जहां निचले स्तर पर एक वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार को आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार की तुलना में बाद में पदोन्नत किया जाता है, लेकिन बाद वाले की आगे की पदोन्नति से पहले, ऐसा व्यक्ति आरक्षित उम्मीदवार, जिसे पहले पदोन्नत किया गया था, के संबंध में उसे पदोन्नति स्तर पर वरिष्ठ माना जाएगा। संविधान पीठ ने तदनुसार सामान्य श्रेणी के

उम्मीदवारों की तुलना में रोस्टर अंक पदोन्नति की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए कैच-अप नियम लागू किया। अदालत ने

यह अभिनिर्धारित किया गया कि रोस्टर प्वाइंट पदोन्नतियों को वरिष्ठता प्रदान करने के लिए जारी किया गया कोई भी परिपत्र, आदेश या नियम अमान्य होगा। हालांकि, संविधान पीठ

निर्देश दिया कि जिन उम्मीदवारों को *1* मार्च *1999 (*अजीत सिंह प्रथम में निर्णय की तारीख*)* से पहले कानून के उपरोक्त सिद्धांतों के विपरीत पदोन्नत किया गया था, उन्हें वापस करने की आवश्यकता नहीं है।

17. यह तर्क देते हुए कि आरक्षित श्रेणियों से संबंधित रोस्टर पॉइंट पदोन्नति के संबंध में वरिष्ठता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं था, कर्नाटक राज्य की आरक्षण नीति को इस न्यायालय के समक्ष एम. जी. बडप्पनवर बनाम राज्य के मामले में चुनौती दी गई।

कर्नाटक *3,6 ("*बडप्पनवर*")*। अजीत सिंह प्रथम, अजीत सिंह द्वितीय और सभरवाल के फैसलों पर भरोसा करते हुए तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस सिद्धांत को दोहराया कि अनुच्छेद *16 (4* ए*)* रोस्टर अंक पदोन्नति को वरिष्ठता प्रदान करने की अनुमति नहीं देता है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कर्नाटक राज्य में रोस्टर पदोन्नति के संबंध में वरिष्ठता को गिनने की अनुमति देने वाला कोई विशिष्ट नियम नहीं है। यह इस प्रकार थाः

" 12 ..... रोस्टर पदोन्नति थी, यह आयोजित किया गया था, केवल के लिए

पिछड़े वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व का सीमित उद्देश्य

सेवा के विभिन्न स्तर। यदि नियमों की व्याख्या ए में की जानी है

रोस्टर-पॉइंट पदोन्नति को वरिष्ठता प्रदान करने का तरीका, जो सामान्य माध्यम से नहीं गए हैं जहां बुनियादी वरिष्ठता या चयन प्रक्रिया शामिल है, तो नियम, जो आयोजित किए गए थे, वे भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* और अनुच्छेद *16* के अधिकार से बाहर होंगे।
अनुच्छेद *16 (4-*ए*)* भी मदद नहीं कर सकता है। अगर इस तरह की वरिष्ठता दी जाती है, तो यह असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करने के बराबर होगा। *9937 "*

36 (2001) 2 एस. सी. सी. *666*

37 पृष्ठ *672* बी. के. पावित्र और ओ. आर. एस. वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

18. रोस्टर प्वाइंट को वरिष्ठता प्रदान करना

बदप्पनवर में अदालत को देखते हुए आरक्षित श्रेणियां समानता के उस सिद्धांत का उल्लंघन करेंगी जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा था। संविधान। न्यायालय ने निर्देश दिया कि वरिष्ठता सूचियों और पदोन्नति की समीक्षा उसके निर्देशों के अनुसार की जाए, लेकिन जिन्हें *1* मार्च *1996* से पहले अजीत सिंह द्वितीय के विपरीत सिद्धांतों पर पदोन्नत किया गया था और जिन्हें *10* फरवरी *1995* से पहले सभरवाल के विपरीत पदोन्नत किया गया था, उन्हें वापस करने की आवश्यकता नहीं है।

19. संविधान *(85* वां संशोधन*)* अधिनियम *2001* था

17 जून *1995* से प्रभावी। अनुच्छेद *16 (4* ए*),* जैसा कि संशोधित किया गया है, इस प्रकार है:

"इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को ऐसा करने से नहीं रोकेगी

पदोन्नति के मामलों में आरक्षण का प्रावधान

किसी भी वर्ग या पदों के वर्गों के लिए परिणामी वरिष्ठता
अनुसूचित जातियों के पक्ष में राज्य के अधीन सेवाएँ और

अनुसूचित जनजातियाँ जो राज्य की राय में नहीं हैं

राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व।

(जोर दिया गया*)*

संशोधन का उद्देश्य अनुदान को सक्षम बनाना था

आरक्षित श्रेणियों में परिणामी वरिष्ठता को बढ़ावा दिया जाता है। जिस तारीख को *85* वां संशोधन लागू हुआ-*17* जून *1995*-उसका महत्व यह है कि यह सत्तरवें संशोधन के लागू होने के साथ मेल खाता है जिसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण करने में सक्षम बनाया।

20. 2002 में, कर्नाटक राज्य विधानमंडल ने अधिनियम बनाया

आरक्षण अधिनियम *2002*। यह कानून *17* जून *1995* को लागू हुआ। इसने एक संवर्ग में सेवा की अवधि के आधार पर रोस्टर पॉइंट पदोन्नति के लिए परिणामी वरिष्ठता प्रदान की, जिससे अजीत सिंह द्वितीय में प्रस्तावित कैच-अप नियम लागू नहीं हुआ। इस न्यायालय का पूर्व निर्णय

बडप्पनवर का मानना था कि रोस्टर अंक पदोन्नति पाने वालों को वरिष्ठता प्रदान करने के लिए कोई विशिष्ट नियम नहीं था। के अधिनियम द्वारा

17 जून *1995* से प्रभावी आरक्षण अधिनियम *2002,* परिणामी वरिष्ठता के सिद्धांत को वैधानिक रूप से एक विधायी जनादेश के रूप में शामिल किया गया था।

21. सत्तर-सातवें और अस्सी-पाँचवें की वैधता

7 एस. सी. आर. के अनुसरण में अधिनियमित संविधान और विधान में संशोधन।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इन संशोधनों को नागराज में इस न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी। संविधान पीठ ने विश्लेषण किया कि क्या कैच-अप नियम को परिणामी वरिष्ठता के साथ बदलने से संविधान के तहत मूल संरचना और समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। संशोधनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते

हुए, इस न्यायालय ने माना कि पकड़ नियम और परिणामी वरिष्ठता सेवा न्यायशास्त्र पर आधारित न्यायिक रूप से विकसित अवधारणाएं हैं। इसलिए, अनुच्छेद *16 (4 ए)* के तहत सक्षम करने की शक्ति का प्रयोग बुनियादी विशेषताओं का उल्लंघन नहीं करने के लिए किया गया था। संविधान के बारे में:

"*79.* उपरोक्त निर्णयों को पढ़ते हुए, हमारा विचार है कि "पकड़" नियम और "परिणामी वरिष्ठता" की अवधारणा आरक्षण की सीमा को नियंत्रित करने के लिए न्यायिक रूप से विकसित अवधारणाएं हैं। इन अवधारणाओं का स्रोत सेवा न्यायशास्त्र में है। ये

अवधारणाओं को स्वयंसिद्ध की स्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है जैसे

धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिक संप्रभुता, आदि। यह नहीं कहा जा सकता कि

अनुच्छेद *16 (1)* की संरचना को नष्ट या निरस्त कर दिया गया है। यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुच्छेद *14,15* और *16* के तहत "समानता संहिता" का उल्लंघन "कैच-अप" नियम को हटाकर किया जाता है। ये अवधारणाएँ प्रथाओं पर आधारित हैं। हालाँकि, ऐसी प्रथाओं को संवैधानिक सिद्धांत का दर्जा नहीं दिया जा सकता है ताकि वे संसद की संशोधन शक्ति से परे हों। सेवा न्यायशास्त्र के सिद्धांत संवैधानिक सीमाओं से अलग हैं। इसलिए, हमारे विचार में न तो "पकड़" नियम और न ही "परिणामी वरिष्ठता" की अवधारणा अनुच्छेद *16* के खंड *(1)* और *(4)* में निहित है जैसा कि विरपाल में सही ढंग से माना गया है।
सिंह चौहान "। *38*

22. संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद *16 (4 ए)* एक सक्षम करने वाला अनुच्छेद है।

प्रावधान। राज्य पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन, अगर वह ऐसा करना चाहता है, तो उसे तीन पहलुओं पर मात्रात्मक डेटा एकत्र करना होगा:

वर्ग का पिछड़ेपन;

((i) *((ख)*

सार्वजनिक रूप से उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता

रोजगार; और

(iii)

अनुच्छेद *335* द्वारा अनिवार्य सेवा की सामान्य दक्षता
प्रभावित नहीं होगा।

38 पृष्ठ *259* पावित्र और ओ. आर. एस. पर सूत्र *6*।

वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

23. इस दृष्टिकोण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत निर्णय के पंख उद्धरणों से उभरते हैं:

" 107. ..... यदि राज्य के पास पिछड़ेपन और अपर्याप्तता को दर्शाने के लिए मात्रात्मक डेटा है तो राज्य दक्षता के रखरखाव को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति में आरक्षण कर सकता है जिसे अनुच्छेद *335* द्वारा इंगित आरक्षण देने में राज्य के विवेक पर एक संवैधानिक सीमा माना जाता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है,

दक्षता, पिछड़ेपन, अपर्याप्तता की अवधारणाएँ

प्रतिनिधित्व की पहचान और माप की आवश्यकता होती है।

117 ..... प्रत्येक मामले में न्यायालय को संतुष्ट होना पड़ता है कि राज्य ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण देने में अपनी राय का प्रयोग किया है और जिसके लिए संबंधित राज्य को प्रत्येक मामले में न्यायालय के समक्ष आवश्यक मात्रात्मक डेटा रखना होगा और न्यायालय को संतुष्ट करना होगा कि इस तरह के आरक्षण आवश्यक हो गए हैं।

संविधान के अनुच्छेद *335* के तहत अनिवार्य सेवा की सामान्य दक्षता को प्रभावित किए बिना किसी विशेष वर्ग या पदों के वर्गों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता। *40*
123. ..... इस संबंध में संबंधित राज्य को प्रत्येक मामले में सम्मोहक कारणों का अस्तित्व दिखाना होगा, अर्थात्
-

पिछड़ेपन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और समग्रता आरक्षण का प्रावधान करने से पहले प्रशासनिक दक्षता। जैसा कि ऊपर कहा गया है, विवादित प्रावधान एक सक्षम प्रावधान है। राज्य पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है। हालाँकि, यदि वे अपने विवेक का प्रयोग करना चाहते हैं और ऐसा प्रावधान करना चाहते हैं, तो राज्य को मात्रात्मक डेटा एकत्र करना होगा

वर्ग के पिछड़ेपन और अपर्याप्तता को दिखाना

अनुच्छेद *335* के अनुपालन के अलावा सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग का प्रतिनिधित्व। यह स्पष्ट किया जाता है कि भले ही राज्य के पास सम्मोहक कारण हों, जैसा कि ऊपर कहा गया है, राज्य को यह देखना होगा कि इसके आरक्षण प्रावधान से अति नहीं हो ताकि *50* प्रतिशत की अधिकतम सीमा का उल्लंघन हो या क्रीमी को समाप्त किया जा सके।

स्तर या अनिश्चित काल के लिए आरक्षण का विस्तार करें। *" 41.*

पृष्ठों पर *270-271* पृष्ठों पर *276-277*

संविधान पीठ ने कहा कि संवैधानिक संशोधन समानता के मूल सिद्धांतों को निरस्त नहीं करते हैं:

" 110 ..... शक्ति की चौड़ाई की सीमाएँ, अर्थात्, *50* प्रतिशत की अधिकतम सीमा *(*संख्यात्मक बेंचमार्क*)*, क्रीमी का सिद्धांत

परत, बाध्यकारी कारण, अर्थात्, पिछड़ेपन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और समग्र प्रशासनिक दक्षता को विवादित संशोधनों द्वारा मिटाया नहीं जाता है। उचित समय पर, हमें चुनौती दिए जाने पर आरक्षण प्रदान करने वाले विभिन्न राज्यों द्वारा अधिनियमित कानून पर विचार करना होगा। उस समय हमें यह देखना होगा कि क्या सत्ता के प्रयोग की सीमाओं का उल्लंघन किया जाता है। राज्य सीमा के अधीन आरक्षण प्रदान करने के अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है, अर्थात्, समग्र प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए पिछड़ेपन, पदों *(*पदों*)* के एक वर्ग में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के सम्मोहक कारण मौजूद होने चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि भले ही राज्य के पास आरक्षण देने के कारण हों, जैसा कि ऊपर कहा गया है, यदि विवादित कानून शक्ति की चौड़ाई पर उपरोक्त मूल सीमाओं में से किसी का उल्लंघन करता है, तो वही होगा

अलग रखे जाने योग्य "। *42*

ये टिप्पणियां उन मापदंडों पर जोर देती हैं जिन्हें अनुच्छेद *16 (4* ए*)* के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाए जाने पर लागू किया जाना चाहिए। इस तरह का कानून बनाने के लिए राज्य की विधायी शक्ति संरक्षित है। कानून बनाने की शक्ति का प्रयोग "सम्मोहक कारणों" के अस्तित्व से सशर्त होता है; पिछड़ेपन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और समग्र प्रशासनिक दक्षता। निर्णय में कहीं और, संविधान पीठ ने इन तीन मापदंडों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए "नियंत्रण कारक" के रूप में माना। उन्हें अनुच्छेद *16* में "अवसर की समानता की संरचना" के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक आवश्यकताएं माना गया था। संविधान पीठ ने राज्यों के व्यक्तिगत अधिनियमों की वैधता को अलग से निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया

इस न्यायालय की पीठें। *24.* बी. के. पवित्रा प्रथम मामले में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने आरक्षण अधिनियम *2002* को चुनौती देने पर विचार किया जिसमें परिणामी प्रावधान किए गए थे।

वरिष्ठता इस आधार पर कि नागराज में जो अभ्यास किया जाना आवश्यक था, वह राज्य द्वारा नहीं किया गया था और मलाईदार परत को बाहर करने का कोई प्रावधान नहीं था। की वैधता

42 पृष्ठ *272* बी. के. पावित्र और ओ. आर. एस. वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

आरक्षण अधिनियम *2002* को एक खंड पीठ द्वारा बरकरार रखा गया था

कर्नाटक उच्च न्यायालय। बी. के. पवित्रा *I* में, इस न्यायालय ने आरक्षण अधिनियम *2002* की धारा *3* और *4* को अनुच्छेद *14* और *16* के अधिकार से बाहर बताते हुए निरस्त कर दिया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून में

बदप्पनवर, अजीत सिंह द्वितीय और विरपाल सिंह लागू रहे।

संविधान *(85* वां संशोधन*)* अधिनियम *2001* के बावजूद। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि कर्नाटक सरकार ने नागराज में निर्धारित परीक्षणों का पालन नहीं किया था और प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता दिखाने के लिए कोई सामग्री या डेटा प्रदान करने में विफल रही थी। इसके अलावा, समग्र प्रशासनिक दक्षता के मुद्दे पर कोई विचार नहीं किया गया। प्रमुख चुनौती यह थी कि नागराज में निर्णय के संदर्भ में "पिछड़ेपन", "प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता" और "समग्र दक्षता" को निर्धारित करने की कवायद नहीं की गई थी।

25. सूरज भान मीणा बनाम राजस्थान राज्य मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम

राजेश कुमार *44* और एस पन्नीर सेल्वम बनाम तमिलनाडु राज्य *45 ("*पन्नीर सेल्वम*")*, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने पुष्टि की कि नागराज में "प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता", "पिछड़ेपन" और "समग्र दक्षता" का निर्धारण करने के लिए निर्धारित अभ्यास संविधान के अनुच्छेद *16 (4* ए*)* के तहत सक्षम शक्ति का सहारा लेने के लिए आवश्यक है।

संविधान। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कर्नाटक सरकार अभिलेख पर ऐसी सामग्री प्रस्तुत करने में विफल रही है जो यह दर्शाती है कि अनुच्छेद *16 (4* ए*)* के तहत शक्ति के प्रयोग की अनिवार्य आवश्यकता थी। इसलिए, नागराज में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं किया गया। आरक्षण अधिनियम *2002* की धारा *3* और *4* को निरस्त करते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

"*29.* एस. पन्नीर सेल्वम मामले में उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि "प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता" का निर्धारण करने के लिए अभ्यास,

"अनुच्छेद *16 (4-*ए*)* के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए पिछड़ेपन और समग्र दक्षता आवश्यक है। केवल यह तथ्य कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के लिए पदोन्नति पदों में कोई आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं है, अपने आप में परिणाम देने के लिए पर्याप्त नहीं है

पदोन्नति पाने वालों के लिए वरिष्ठता जो अन्यथा कनिष्ठ हैं और इस तरह उन लोगों को वरिष्ठता से वंचित कर दिया जाता है जिन्हें बाद में आरक्षण नीति के कारण पदोन्नति दी जाती है। यह राज्य का काम है कि वह अभिलेख पर सामग्री रखे

43 43 (2011) 1 एससीसी *467*

44 (2012) 7 एससीसी *1*

45 (2015) 10 एससीसी *292 [2019] 7* एस. सी. आर.

यह कि इस तरह की शक्ति के प्रयोग की अनिवार्य आवश्यकता थी और राज्य का निर्णय इस अध्ययन सहित सामग्री पर आधारित था कि समग्र दक्षता से समझौता नहीं किया जाता है। वर्तमान मामले में ऐसी कोई कवायद नहीं की गई है। उच्च न्यायालय ने गलती से कहा कि यह याचिकाकर्ताओं का काम है कि वे यह साबित करें कि आरक्षण के कारण पदोन्नति पाने वाले कनिष्ठ व्यक्तियों को परिणामी वरिष्ठता देने से समग्र दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। याचिका कि एक ही समय में पदोन्नत व्यक्तियों को निचले संवर्ग में अपनी वरिष्ठता बनाए रखने की अनुमति दी गई थी, इस तथ्य की अनदेखी करती है कि एक वरिष्ठ व्यक्ति हो सकता है

बाद में पदोन्नत किया गया और उसी समय रोस्टर पॉइंट आरक्षण के कारण नहीं। उसे अपनी वरिष्ठता से वंचित करने से उसकी आगे पदोन्नति की संभावनाएँ प्रभावित होती हैं। आगे यह दलील कि वरिष्ठता एक मौलिक अधिकार नहीं था, वर्तमान में समान रूप से बिना किसी योग्यता के है

संदर्भ। अनुच्छेद *16 (4-ए)* के तहत अभ्यास के अभाव में, यह "पकड़" नियम है जो पूरी तरह से लागू होता है। प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है

सवाल यह है कि क्या संबंधित निगम ने इसे अपनाया था

परिणामी वरिष्ठता का नियम। *9946* "

अदालत ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय उन लोगों को प्रभावित नहीं करेगा जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जिन्होंने वित्तीय लाभ प्राप्त किए हैं। यह आगे था

निर्देश दिया कि परिणामी वरिष्ठता के आधार पर मौजूदा कर्मचारियों को दी गई पदोन्नति की समीक्षा की जानी चाहिए और निर्णय के संदर्भ में वरिष्ठता सूची को संशोधित किया जाना चाहिए। आगे की कार्रवाई करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था। निर्णय की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं को वर्तमान कार्यवाही के साथ जोड़ा गया है। *26.* बी. के. पवित्रा प्रथम मामले में इस अदालत के फैसले के बाद, *22* मार्च *2017* को कर्नाटक सरकार ने रत्न प्रभा का गठन किया।

कर्नाटक राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति *47* राज्य सिविल सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के पिछड़ेपन और अपर्याप्तता और राज्य में समग्र प्रशासनिक दक्षता पर आरक्षण के प्रभाव पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

कर्नाटक। समिति को सौंपे गए कार्य थेः

" 1) संवर्ग-वार प्रतिनिधित्व के बारे में जानकारी एकत्र करें

सभी सरकारी विभागों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति;

46 पृष्ठ *641* पर सुप्रा *6* *47* जाओ। नहीं। डी. पी. ए. आर. *182* सेनेनी *2011* बी. के. पावित्र और ओ. आर. एस.

वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

2) अनुसूचित जाति के पिछड़ेपन के बारे में जानकारी एकत्र करें

जाति और अनुसूचित जनजाति; और
3) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान के कारण प्रशासन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करें।

27. 5 मई *2017* को, रत्न प्रभा समिति ने 'पिछड़ेपन, अपर्याप्तता पर रिपोर्ट' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

कर्नाटक में प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता। कर्नाटक सरकार ने अपने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से *8* जून *2017* को कर्नाटक के विधि आयोग को रत्न प्रभा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की। कानून.

आयोग ने यह राय देने की कोशिश की कि क्या डेटा एकत्र किया गया है और क्या कारण हैं। रत्न प्रभा समिति द्वारा सौंपा गया एक वैध आधार है कानून को मान्य करते हुए और *27* जुलाई *2017* को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

28. इस बीच, याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका दायर की

यह तर्क देते हुए कि बी. के. पवित्रा प्रथम मामले में इस न्यायालय के कर्नाटक राज्य को वरिष्ठता सूची की समीक्षा करने के निर्देशों का पालन नहीं किया गया था। कर्नाटक राज्य ने अनुपालन के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन दायर किए। *20* मार्च *2018* को, इस न्यायालय ने याचिकाओं को खारिज कर दिया बी. के. पवित्रा *I* में निर्णय के अनुपालन के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन और कोई भी परिणामी कार्रवाई करने के लिए एक महीने का समय दिया गया। कर्नाटक राज्य ने बाद में इस न्यायालय के समक्ष अनुपालन शपथ पत्र दायर किया जिसमें कहा गया कि बी. के. पवित्रा प्रथम में निर्णय द्वारा निर्देशित अभ्यास को पूरा किया गया था।

29. रत्न प्रभा समिति की रिपोर्ट के आधार पर,

कर्नाटक सरकार ने आधार पर पदोन्नत सरकारी कर्मचारियों के लिए परिणामी वरिष्ठता का कर्नाटक विस्तार शुरू किया आरक्षण *(*राज्य की सिविल सेवाओं में पदों के लिए*)* विधेयक *2017*। यह विधेयक विधानसभा द्वारा *17* नवंबर *2017* को और विधान परिषद द्वारा *23* नवंबर *2017* को पारित किया गया था। *16* दिसंबर *2017* को कर्नाटक के राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद *200* के तहत भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रख लिया। विधेयक को *14* जून *2018* को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और *23* जून *2018* को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

30. आरक्षण अधिनियम *2018* की धारा *3,4* और *5* में निम्नलिखित प्रावधान हैं -

निम्नलिखित हैः

"3. आरक्षण के आधार पर पदोन्नत सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण। - इसके बावजूद

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने पर, आरक्षण आदेश में प्रदत्त पदोन्नति में आरक्षण की नीति के अनुसार पदोन्नत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सरकारी कर्मचारी परिणामी वरिष्ठता के हकदार होंगे। वरिष्ठता का निर्धारण कैडर में सेवा की अवधि के आधार पर किया जाएगाः

बशर्ते कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ अनारक्षित श्रेणी से संबंधित लोगों की वरिष्ठता, जिन्हें एक ही समय में एक सामान्य आदेश द्वारा संवर्ग में पदोन्नत किया जाता है, निम्न संवर्ग में उनकी वरिष्ठता के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

बशर्ते कि रोस्टर अंकों की क्रम संख्या निर्दिष्ट की गई हो आरक्षण आदेश में केवल एक समय में पदोन्नति के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या की गणना को सुविधाजनक बनाने का उद्देश्य है और ऐसे रोस्टर

अंकों का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सरकारी कर्मचारियों की अंतर-वरिष्ठता और उसी समय पदोन्नत अनारक्षित श्रेणी से संबंधित सरकारी कर्मचारियों की अंतर-वरिष्ठता निर्धारित करना नहीं है और ऐसी अंतर-वरिष्ठता का निर्धारण उस संवर्ग में उनकी वरिष्ठता द्वारा किया जाएगा जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाता है, जैसा कि इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची में दर्शाया गया है।

4. 27 अप्रैल *1978* के बाद से ही परिणामी वरिष्ठता का संरक्षण दिया जा चुका है। - किसी भी बात के बावजूद

इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित पावित्र और ओ. आर. एस. से संबंधित सरकारी कर्मचारियों को पहले से ही परिणामी वरिष्ठता प्रदान की गई है।

वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।*]*

जिन जनजातियों को अप्रैल के सत्ताईसवें दिन से आरक्षण आदेश में प्रदान की गई पदोन्नति में आरक्षण की नीति के अनुसार पदोन्नत किया गया था, वे वैध होंगी और उनकी रक्षा की जाएगी और उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा।

5. समीक्षा के लिए प्रावधान। - संबंधित पदों पर सभी पदोन्नति राज्य सिविल सेवाएँ भर्ती और वरिष्ठता की विधि से संबंधित आरक्षण आदेशों और अन्य नियमों के प्रावधानों के दायरे में और उनके अनुसार होंगी। नियुक्ति प्राधिकरण मौजूदा वरिष्ठता को संशोधित और फिर से तैयार करेगा।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि पदोन्नति उसी के अनुसार की जाती हैः

बशर्ते कि ऐसी समीक्षा के बाद, जहां भी यह पाया जाता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सरकारी कर्मचारियों को आरक्षण आदेशों में प्रदान किए गए आरक्षण की सीमा से अधिक या इसके विपरीत आरक्षण और बैकलॉग रिक्तियों के खिलाफ पदोन्नत किया गया था, योग्यता की उचित तिथियां निर्धारित करके समय-समय पर जारी किए गए आरक्षण आदेशों के अनुसार रोस्टर बिंदुओं के संदर्भ में समायोजित और फिट किया जाएगा। मामले में, यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्ति जिन्हें पहले ही पदोन्नत किया जा चुका है

आरक्षण प्रावधानों की सीमा से अधिक या इसके विपरीत आरक्षण या बैकलॉग रिक्तियों को समायोजित और उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। रोस्टर अंकों के खिलाफ उन्हें जारी रखा जाएगा

संबंधित प्रशासनिक द्वारा सृजित किए जाने वाले अतिरिक्त पद

विभाग, वित्त विभाग की सहमति मानते हुए, उन संवर्गों में जिनमें वे वर्तमान में काम कर रहे हैं, जब तक कि उन्हें उस संवर्ग में पदोन्नति के लिए पात्रता की तारीख नहीं मिल जाती।

धारा *9* में *27* अप्रैल *1978* से अन्य के संबंध में की गई कार्रवाई के सत्यापन का प्रावधान हैः

" 9. इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई कार्रवाई का वैधीकरण-इस अधिनियम की धारा *3* और *4* के विपरीत किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम की धारा *3* और *4* के संबंध में की गई या की गई कोई कार्रवाई। इस अधिनियम की धारा *3* और *4* के अनुसार पदोन्नति के संबंध में, *[2019] 7* एस. सी. आर. से पहले की गई या

की गई किसी पदोन्नति और की गई किसी कार्रवाई या चीज, की गई सभी कार्यवाहियों और *27* अप्रैल, *1978* से की गई किसी भी कार्रवाई के संबंध में।

इस अधिनियम का प्रकाशन वैध और प्रभावी माना जाएगा।

इस अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत पदोन्नति; और *(*बी*)* कोई भी अदालत ऐसे किसी भी आदेश या आदेश को लागू नहीं करेगी जो इस तरह के किसी भी आदेश की समीक्षा का निर्देश दे।
इस अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत मामले।

धारा *1 (2)* में प्रावधान है कि आरक्षण अधिनियम *2018 17* जून *1995 (*सत्तर की प्रभावी तिथि*)* से लागू हुआ।

सातवाँ और अस्सी-पाँचवाँ संवैधानिक संशोधन*)*।

31. ये कार्यवाही आरक्षण अधिनियम *2018* के अधिकारों पर हमला करने के लिए शुरू की गई थी। जिस प्रमुख तर्क का आग्रह किया गया है, वह यह है कि आरक्षण अधिनियम *2018* बी. के. पवित्रा प्रथम में इस न्यायालय के फैसले के आधार को नहीं छीनता है और यह अधिकार से परे है। सभी मामलों को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है और एक साथ जोड़ दिया गया है।

32. 27 जुलाई *2018* को, जब मामलों के समूह को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, तो इस न्यायालय द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि यथास्थिति को बदला नहीं जा सकता है

मामले पर विचार किया जाना बाकी है। कर्नाटक राज्य के महाधिवक्ता ने मौखिक रूप से सहमति व्यक्त की और यथास्थिति के आदेश को स्वीकार कर लिया। कर्नाटक सरकार ने *3* अगस्त *2018* को एक परिपत्र जारी किया जिसमें कहा गया था कि

यथास्थिति बनाए रखने और पदोन्नति की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करने का निर्देश / सरकार के अगले आदेश तक डिमोशन। ये निर्देश सभी स्वायत्त निकायों, विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक उद्यमों को जारी किए गए थे।

आयोगों, निगमों, बोर्डों और अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले संस्थानों को।

33. जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता में *(*जरनैल*)* ए

इस न्यायालय की संविधान पीठ ने विचार किया कि क्या नागराज में निर्णय को एक बड़ी पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता है क्योंकि:

(1) इसके लिए राज्य को मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता होती है।

इंद्र साहनी में न्यायपीठ का निर्णय;
क्रीमी लेयर सिद्धांत एससी और एसटी पर लागू नहीं किया गया था।

((ख)

इंद्र साहनी; और

49 2018 (10) एस. सी. सी. *396* बी. के. पावित्र और ओ. आर. एस.

वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करने में, नागराज के साथ संघर्ष करता है

(iii)

ई वी चिन्नैया बनाम एपी राज्य *0 ("*चिन्नैया*")* में निर्णय।

34. जरनैल में संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया किः

चिन्नायाह में निर्णय, संक्षेप में, यह मानता है कि एक राज्य कानून *5 1*

((i)

अनुसूचित जातियों को उप-श्रेणियों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस तरह की कवायद अनुच्छेद *341 (2)* का उल्लंघन होगी क्योंकि केवल संसद का एक अधिनियम राष्ट्रपति की सूची में बदलाव कर सकता है न कि राज्य विधानसभाएं। चिन्नाया ने किसी भी ऐसे पहलू पर ध्यान नहीं दिया जिस पर नागराज में संवैधानिक संशोधनों को बरकरार रखा गया था। इसलिए, नागराज के लिए निर्णय का विज्ञापन करना आवश्यक नहीं था
चिन्नाया में। चिन्नाया ने पूरी तरह से अलग तरीके से काम किया

समस्या और संवैधानिक संशोधनों के साथ नहीं, जो थे

नागराज *52* में निपटा गया;

नागराज में संविधान पीठ का निर्णय, जहाँ तक यह है

((ख)

और इस आधार पर उसे खराब घोषित करना होगा *5 3 53;* और
संवैधानिक न्यायालय, आरक्षण के सिद्धांत को लागू करते समय

(iii)

अनुच्छेद *341* और *34254* के साथ-साथ अनुच्छेद *14* और *16* पर एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण पर मलाईदार परत को बाहर करने के लिए उनके अधिकार क्षेत्र में होगा। मलाईदार परत सिद्धांत एक आवश्यक

पहलू है।
समानता संहिता।

35. 12 अक्टूबर *2018* को, कर्नाटक राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि चूंकि राज्य विधानमंडल द्वारा एक कानून अधिनियमित किया गया है और जरनैल में संविधान पीठ के फैसले को देखते हुए, राज्य अब महाधिवक्ता के मौखिक आश्वासन पर आगे नहीं बढ़ेगा और इसके लिए बाध्य नहीं होगा। दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील ने आग्रह किया कि

आरक्षण अधिनियम *2018* केवल बी. के. पवित्रा *I* के फैसले के प्रभाव को रद्द करने के लिए था। वकील ने आग्रह किया कि श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम ब्रोच बरो सहित इस न्यायालय के फैसलों को देखते हुए

50 (2005) 1 एस. सी. सी. *394 5 1* न्यायालय आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति के प्रावधानों पर विचार कर रहा था।

(आरक्षण का तर्कसंगतकरण*)* अधिनियम *2000*

52 अनुच्छेद *49*, पृष्ठ पर अनुच्छेद *22 422-423 53* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *424* पर अनुच्छेद *24* *54* आई. बी. आई. डी., अनुच्छेद *26* पृष्ठ *425-426 55 (1969) 2* एस. सी. सी. *283 [2019] 7* एस. सी. आर.

नगरपालिका *55 ("*पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड*")* और मदन मोहन पाठक बनाम भारत संघ *("*मदन मोहन पाठक*") "*, यह विधायिका के लिए इस न्यायालय के फैसले को अप्रभावी बनाने के लिए खुला नहीं था

इसकी नींव या आधार को खोए बिना। चूंकि मामला एक तात्कालिक प्रकृति का था, इसलिए कार्यवाही को *23* अक्टूबर *2018* को सूचीबद्ध किया गया था।

अंतिम सुनवाई की शुरुआत।

36. 27 फरवरी *2019* को कर्नाटक राज्य ने एक सरकारी आदेश *57* जारी किया जिसमें निर्देश दिया गया था कि:

"प्रस्तावना में वर्णित परिस्थितियों में, निम्नलिखित

निर्देश एतद्वारा इन शर्तों के अधीन जारी किए जाते हैं कि जिन अधिकारियों/अधिकारियों को वापस कर दिया गया है, उन्हें उनके द्वारा रखे गए कैडरों में उनकी वापसी से तुरंत पहले फिर से तैनात किया जाएगा और यदि उन कैडरों में खाली पद उपलब्ध नहीं हैं, तो उन्हें समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाएगा। यह भी आदेश दिया गया है कि वर्तमान में उन संवर्गों में काम कर रहे किसी भी श्रेणी से संबंधित अधिकारियों/अधिकारियों को वापस नहीं किया जाएगा।

सरकारी आदेश इन कार्यवाहियों के परिणाम के अधीन बनाया गया था। *1* मार्च *2019* को, इस न्यायालय ने *27* फरवरी *2019* के सरकारी आदेश के संचालन पर रोक लगा दी। इस न्यायालय ने कहा कि चूंकि मामला

सुनवाई के अंतिम चरण में था, इसलिए जब मामला न्यायालय के कब्जे में था तो वर्तमान स्थिति में बदलाव करना उचित नहीं होगा।

ग. प्रस्तुतियाँ

सी. आई. याचिकाकर्ता

37. आरक्षण अधिनियम *2018* की संवैधानिक वैधता की चुनौती पर निर्णय लेते हुए, हमने इन विद्वानों की दलीलें सुनी हैं - याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. राजीव धवन। डॉ. राजीव धवन ने अपनी दलीलों को प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित मुद्दों पर जोर दिया है जो इस न्यायालय के निर्धारण के लिए उत्पन्न होते हैं:

प्र. क्या आरक्षण अधिनियम *2018* वैध है*?*

(क) क्या यह आकस्मिक रूप से इस निर्णय को निरस्त नहीं करता है*?*

निर्णय के आधार को बदले बिना बी. के. पवित्रा प्रथम में न्यायालय*?*

56 (1978) 2 एस. सी. सी. *50* बी. के. पवित्रा और ओ. आर. एस. वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

(ख)

क्या यह इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करता है*?*

वरिष्ठता पर बदप्पनवर*?*

((ग)

क्या आरक्षण के अधिनियम की पृष्ठभूमि है*?*
अधिनियम *2018* बी. के. पवित्रा *I* में निर्णय को रद्द करने के एक स्पष्ट इरादे को प्रकट करता है*?*

((घ)

राज्यपाल द्वारा विधेयक का संदर्भ था

संविधान के अनुच्छेद *200* के तहत राष्ट्रपति को कर्नाटक
संविधान और उसके बाद की घटनाएँ जो संवैधानिक रूप से मान्य थीं*?* इस संदर्भ में, क्या विधेयक की सहमति के बिना इसे लागू किया जा सकता था

राज्यपाल*?*

क्या आरक्षण अधिनियम *2018* सिद्धांतों के अनुरूप है*?*

बी.

नागराज में संविधान पीठ के फैसलों में उल्लिखित
और जरनैल*?* क्या *5* मई *2017* की रत्न प्रभा समिति की रिपोर्ट अधिनियम की वैधता और इसके कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए एक पर्याप्त और उचित आधार है*?*

क्या आरक्षण अधिनियम *2018* वर्तमान रिट में लागू होता है*?*

एस.

याचिकाएँ *(*बी. के. पवित्रा और शिवकुमार द्वारा स्थापित*)* उन विभागों को जहाँ अधिक प्रतिनिधित्व है या सार्वजनिक निगमों में जो रत्न प्रभा के दायरे में नहीं आते हैं।
रिपोर्ट या कानून*?*

38. जबकि हम अपने विश्लेषण के दौरान डॉ. धवन द्वारा आग्रह की गई प्रस्तुतियों पर विचार करेंगे, इस स्तर पर निम्नलिखित शीर्षों के तहत प्रस्तुतियों के मुख्य पहलुओं का विज्ञापन करना उचित होगाः

A. न्यायिक शक्ति का दुरूपयोग

39. डॉ. धवन ने आग्रह किया है कि आरक्षण अधिनियम *2018* को बी. के. पवित्रा *I* में निर्णय को रद्द करने के अलावा जल्दबाजी में लागू किया गया था, जबकि कार्यान्वयन का मुद्दा अभी भी लंबित था। बी. के. पवित्रा प्रथम में निर्णय *19* फरवरी *2017* को दिया गया था। *22* मार्च *2017* को, पिछड़ेपन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और दक्षता पर आरक्षण के प्रभाव पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव की नियुक्ति का एक सरकारी आदेश जारी किया गया था। रिपोर्ट *5* मई *2017* को प्रस्तुत की गई थी। *26* जुलाई *2017* को रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया।

राज्य मंत्रिमंडल द्वारा जिसने *[2019] 7* एस. सी. आर. की जांच करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14 नवंबर *2017* को पारित किया गया और *17* नवंबर *2017* को पारित किया गया। यह विधेयक *23* नवंबर *2017* को राज्य विधान परिषद द्वारा पारित किया गया था और *6* दिसंबर *2017* को राज्यपाल को प्रस्तुत किया गया था। राज्यपाल ने इस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा था। *15* फरवरी *2018,9* मार्च *2018* और *18* अप्रैल *2018* को गृह मंत्रालय में केंद्र सरकार ने राज्य से स्पष्टीकरण मांगा। सरकार जो *16* मार्च *2018* और *23* अप्रैल *2018* को प्रदान की गई थी। इस विधेयक को *14* जून *2018* को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया और यह *23* जून *2018* को लागू हुआ।

40. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर डॉ. धवन ने कहा किः

((i)

बी. के. पवित्रा प्रथम को निरस्त करने की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं थी।

" राजनीतिक आवश्यकताओं को छोड़कर;

आरक्षण अधिनियम *2002* के प्रावधानों की तुलना

((ख)

आरक्षण अधिनियम *2018* के साथ इंगित करता है किः

(क*)* आरक्षण अधिनियम *2018* मूल रूप से समान है

आरक्षण अधिनियम *2002;*

(ख*)* बी. के. पवित्रा प्रथम में निर्णय के आधार पर परिवर्तन रत्न प्रभा समिति की रिपोर्ट के तथ्य पर है*;*

(ग*)* "अनिवार्य आवश्यकताओं" का उल्लेख किया गया है लेकिन उनका अस्तित्व है।

प्रदर्शित नहीं किया जाता है*;*

(घ*)* आरक्षण अधिनियम *2018* का शीर्षक इन तक सीमित है -

परिणामी वरिष्ठता जिसका कानून में उल्लेख नहीं है*;*

(ङ*)* धारा *5* असीमित बैकलॉग और सृजन की अनुमति देती है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अतिरिक्त पदों की संख्या*;*

(च*)* धारा *5* वित्त की अनुमति मानती है।

विभाग और एक "अतिरिक्त" की कल्पना करता है, जो कानून को अमान्य कर देगा*;* और

(छ*)* धारा *9* बेशर्मी से *17* जून *1995* की तारीख से आगे निकल जाती है और यह अभिनिर्धारित करती है कि भविष्य में

मामले निषिद्ध हैं।

बी के पावित्र और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

B. शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन

41. शक्तियों का पृथक्करण एक संवैधानिक विभाजन का प्रतिपादन करता है

विधायी और न्यायिक कार्यों के बीच। इस संदर्भ में निवेदन इस प्रकार हैः

(अ*)*

विधायी शक्ति न्यायिक शक्ति से अलग है।
विधायिका कानूनी रूप से न्यायिक शक्ति पर कब्जा नहीं कर सकती है।

(ख)

किसी भी न्यायिक निर्णय को पलटने का प्रयास करके उस पर अपील करना;

((ग)

कोई भी कानून जो किसी न्यायिक निर्णय को उलटने का प्रयास करता है,

विधानमंडल की विधायी क्षमता के भीतर

संविधान की सातवीं अनुसूची;

((घ)

इस तरह के किसी भी कानून को कानून के आधार को बदलना होगा।

(ई)

अदालत का निर्णय हमेशा बाध्यकारी होगा जब तक कि कानून या

कानून में अंतर्निहित शर्तें जिन्हें अमान्य माना गया था, उन्हें मौलिक रूप से इतना बदल दिया जाता है कि एक अलग परिणाम सामने आएगा।
सुनिश्चित करें;

जबकि एक कानून पूर्वव्यापी, एक अंतरिम या अंतिम निर्देश हो सकता है।

(च)

विशेष रूप से जब अधिकार प्रदान किए जाते हैं तो उनका पालन किया जाना चाहिए;
एक नए कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह उल्लंघन करता है।

(जी)

मौलिक अधिकार; और

(ज)

जब तक कि किसी ऐसे विधान का आधार जो अधिकार के बाहर पाया जाता है

यदि इसमें परिवर्तन किया गया है, तो केवल एक नए कानून का अधिनियमन कानून का एक निर्लज्ज अतिनिर्णय होगा, जो अस्वीकार्य है।

42. डॉ. धवन आग्रह करते हैं कि आरक्षण अधिनियम *2018* तब पारित नहीं होगा जब इसका मूल्यांकन *(i)* पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड, *(ii)* मदन मोहन पाठक, *(iii)* एस. आर. भागवत बनाम मैसूर राज्य *58, (iv)* में इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के संदर्भ में किया जाएगा।

59 (2003) 5 एससीसी *298* *60 (1996) 2* एस. सी. सी. *449*

61 (1993) पूरक *(1)* एस. सी. सी. *96*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

43. तथ्यों पर उपरोक्त सिद्धांतों की प्रयोज्यता की व्याख्या करते हुए,

डॉ. धवन ने आग्रह किया कि बी. के. पवित्रा प्रथम मामले में इस अदालत के फैसले के बाद राज्य सरकार ने *9* मई *2017* और *8* सितंबर *201764* को समय बढ़ाने के लिए आवेदन दायर किए। इस न्यायालय ने वरिष्ठता सूचियों को संशोधित करने के लिए *30* नवंबर *2017* तक और परिणामी कार्रवाई के लिए *15* जनवरी *2018* तक का समय बढ़ाया। *15* जनवरी *2018* को, राज्य सरकार ने बी. के. पवित्रा *I* में निर्णय को लागू करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए इस न्यायालय के समक्ष कदम रखा। *29* जनवरी *2018* को, इस न्यायालय ने अंततः *15* मार्च *2018* तक का समय दिया। *17* मार्च *2018* को, राज्य ने समय बढ़ाने के लिए इस न्यायालय के समक्ष कदम रखा और *20* मार्च *2018* को कुछ अवमानना याचिकाओं और अन्य आवेदनों का निपटारा करते हुए, परिणामी कार्रवाई करने के लिए एक महीने का समय दिया गया। *25* अप्रैल *2018* को, इस न्यायालय ने राज्य को एक और हलफनामा *(1* मई *2018* तक*)* दायर करने का निर्देश दिया, जो दर्शाता है कि पदोन्नति और पदावनति विधिवत रूप से प्रभावी हो गई है। *9* मई *2018* को, इस अदालत ने राज्य को इस आशय का एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया कि बी. के. पवित्रा प्रथम के फैसले का पूरी तरह से पालन किया गया था और सुनवाई पोस्ट की गई थी

4 जुलाई *2018* के लिए। *28* जून *2018* को, कर्नाटक राज्य ने इस न्यायालय को सूचित किया कि *"23* जून *2018* को राजपत्र में नए कानून के अधिनियमन और इसके प्रकाशन के कारण आगे की प्रक्रिया रुकी हुई है"। *7* अगस्त *2018* को कर्नाटक राज्य ने आरक्षण को लागू करने के लिए इस न्यायालय से अनुमति लेने के लिए एक अंतरिम आवेदन दायर किया।

बी. के. पवित्रा *I.* इस पृष्ठभूमि में, यह प्रस्तुत किया गया है कि राज्य ने बी. के. पवित्रा *I* को निरस्त करने की कवायद शुरू की है जो न्यायिक शक्ति का स्पष्ट अतिक्रमण है। *C.* नागराज और जरनैल के साथ अनुपालन की कमी

44. डॉ. धवन ने रत्न प्रभा समिति की रिपोर्ट की आलोचना की

इस आधार पर कि नागराज और जरनैल के अनुपालन में नहीं था। नागराज का मानना है कि:

(i) बैकलॉग तीन साल से अधिक नहीं होना चाहिए। *((ख)*

अत्यधिक आरक्षण के अभ्यास को अमान्य कर देगा

शक्ति*;*

और

(iii)

निर्देशित शक्ति का एक सिद्धांत है जिसके तहत पालन करने में विफलता होती है

उपरोक्त शर्तों के परिणामस्वरूप विपरीत भेदभाव होगा।

64 एम. ए. सं.

730-756 2017 पावित्र और ओ. आर. एस. वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]45.* प्रस्तुतिकरण के अनुसार, नागराज में निर्णयः

इस कार्यप्रणाली को लागू करता है कि सत्तर-सातवें, अस्सी-पहले, अस्सी-दूसरे और अस्सी-छठे संशोधन केवल सक्षम थे और वैध थे। सक्षम करने की शक्ति के वैध प्रयोग के लिए दो शर्तें हैं:

(i) पिछड़ेपन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और समग्र प्रशासनिक कारणों का अस्तित्व।

मात्रात्मक डेटा की आवश्यकता वाली दक्षता; तथा

(ii) अत्यधिकता, जो यह मानती है कि पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है, मलाईदार परत को मिटा नहीं दिया गया है और आरक्षण को अनिश्चित काल तक नहीं बढ़ाया गया है।

आई. आर. कोएल्हो में नागराज की कार्यप्रणाली को मंजूरी दी गई थी।

v टी. एन. *65* और जरनैल राज्य; और

जरनैल में लिया गया निर्णय, अपनाई गई कार्यप्रणाली को बरकरार रखते हुए में नागराज ने माना कि एक संवैधानिक धारणा है जो पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा की आवश्यकता को दूर करती है

एससी और एसटी और इसलिए नागराज के उस हिस्से को माना गया था

इंद्र साहनी में निर्णय के विपरीत। का आवेदन

क्रीमी लेयर परीक्षण अनुसूचित जातियों के लिए एक आवश्यकता मानी गई थी और

एस. टी. और नागराज में प्रतिपादित अन्य सिद्धांत या अनुप्रयोग वैध ठहराए गए थे।

46. इस पृष्ठभूमि में, रत्न प्रभा समिति की रिपोर्ट है -

घ निम्नलिखित आधारों पर

पिछड़ेपन पर अध्याय आवश्यक नहीं है;

प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता की *30* पृष्ठों से अधिक जांच की जाती है।

एकत्र किए गए आंकड़े इकतीस सरकारों में *32* वर्षों से अधिक के हैं।

विभाग;

1986 में कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है;

आँकड़ा इंगित करता है कि अनुसूचित जनजातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व किया जाता है

1999 2015 तक लेकिन *31* वर्षों का औसत *2.7* है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कोई आंकड़ा एकत्र नहीं किया गया है। बोर्ड, निगम, स्थानीय निकाय, अनुदान-सहायता संस्थान, अन्य के बीच, और यह माना जाता है कि डेटा प्रकृति में प्रतिनिधि है;

(vii) लोक निर्माण विभाग *("*पीडब्ल्यूडी*")* और कर्नाटक पावर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड *("*केपीटीसीएल*")* में प्रतिनिधित्व।

पर्याप्त है;

(viii) एकत्र किया गया डेटा रिक्तियों की उपलब्धता के संबंध में है न कि पदों के संबंध में, सभरवाल के मामले में निर्धारित आवश्यकताओं के विपरीत;

(ix)

डेटा स्वीकृत पदों पर है न कि उन पदों पर जिन्हें

भरा हुआ;

(x)

डेटा कैडर आधारित नहीं है, बल्कि ग्रेड ए, बी, सी और डी पर आधारित है।

भले ही जरनैल को डेटा के आधार पर होने की आवश्यकता है
कैडर;

(xi) रिपोर्ट में गलती से यह माना गया कि ग्रेड ए, बी, सी और डी

कैडरों के अनुरूप;

(xii) रिपोर्ट स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि "कुछ विभागों में,

पीडब्ल्यूडी और केपीटीसीएल जैसे निगम खत्म हो सकते हैं।

अनिवार्य प्रतिशत का प्रतिनिधित्व ";

(xiii) प्रशासनिक दक्षता के बारे में:

(क*)* आँकड़ा सामान्य विचारों पर आधारित होता है जैसे -

आर्थिक विकास;

(ख) प्रशासनिक मामलों में दी गई दक्षताएँ,

नीति और सेवाएँ सामान्य हैं; और

(ग) रिलायंस जिसे रखा गया है वह प्रदर्शन पर है।

रिपोर्ट करते हैं।

(xiv) राज्य ने राजपत्रित ग्रेड ए और बी के लिए चयन द्वारा नहीं बल्कि विभिन्न विभागों में विश्वविद्यालयों के टॉपर्स के माध्यम से रिक्तियों को भरकर पिछले दरवाजे से प्रवेश करने का एक अजीब तरीका अपनाया है।

पद.

ओ. राष्ट्रपति के लिए विधेयक का आरक्षण

47. डॉ. धवन ने आग्रह किया कि द्वारा दायर जवाबी हलफनामे से

राज्य सरकार, यह स्पष्ट है किः

((i)

राज्य सरकार का विचार था कि विधायी व्यवस्था को देखते हुए
राज्य विधानमंडल की क्षमता, "विधेयक की आवश्यकता नहीं थी

राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित किया जाना; बी. के. पावित्र और ओ. आर. एस.

वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

((ख)

विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए उपयुक्त
बी. के. पवित्रा प्रथम में निर्णय और "मुद्दे का महत्व और

मामले में शामिल संवैधानिक व्याख्या "के तहत

अनुच्छेद *200;*

((iv) राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले विधेयक पर राज्य सरकार

यह कहना जारी रखा कि विधेयक न तो अनुच्छेद *200* के दूसरे परंतुक को आकर्षित करता है और न ही यह किसी ऐसे मामले से संबंधित है जो सातवीं अनुसूची की सूची *III* में आने वाली प्रविष्टि पर संघ के कानून के प्रतिकूल है। इसलिए, राज्य सरकार ने राय दी कि

ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करने की कोई स्थिति नहीं है। इसलिए यह आग्रह किया गया है कि यह हो सकता हैः

(क) राज्यपाल द्वारा *6* दिसंबर *2017* को राष्ट्रपति को दिए गए संदर्भ में केवल इतना कहा गया था कि चूंकि एक संवैधानिक व्याख्या की आवश्यकता थी, इसलिए विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित था; हालाँकि कोई विशिष्ट मुद्दा नहीं भेजा गया था; और
(ख) राज्य सरकार ने विधेयक को सदन को भेज दिया।

राष्ट्रपति, उसी समय रिकॉर्ड कर रहे थे कि कोई नहीं था

संदर्भित करने का कारण।

(v)

केंद्र सरकार ने संदर्भ के लिए कारण आमंत्रित किए जिनके लिए

राज्य सरकार द्वारा अपने स्पष्टीकरण में प्रतिक्रियाएं दी गईं;

(vi) इस प्रक्रिया में राज्यपाल को पूरी तरह से पारित कर दिया गया था; और

(€ vii) राज्यपाल के पास अनुच्छेद *200* के तहत विशेष अधिकार है -

संदर्भ और एक विशिष्ट संदर्भ तैयार करना चाहिए, जो नहीं किया गया था। यह आग्रह किया गया था कि केंद्र सरकार ऐसा संदर्भ नहीं बना सकती जो राज्य द्वारा नहीं दिया गया हो।

48. डॉ. धवन ने अपनी दलीलों को मजबूत करने के लिए इन पर भरोसा किया

उन्होंने कैसर-आई-हिंद प्राइवेट लिमिटेड बनाम नेशनल टेक्सटाइल में निर्णय लिए

निगम लिमिटेड ", ग्राम पंचायत जमालपुर बनाम

मालविंदर सिंह *67 ("*ग्राम जमालपुर की ग्राम पंचायत*"),*

होचस्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम बिहार राज्य *68 (*होचस्ट*)*

6 (2002) 8 एस. सी. सी *182*

7 (1985) 3 एस. सी. सी. *661*

8 (1983) 4 एससीसी *45 [2019] 7* एस. सी. आर.

फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड*)* और नबाम रेबिया और बामंग फेलिक्स बनाम अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष *69 (*नबाम रेबिया*)*।

डॉ. धवन ने आग्रह किया किः

राज्यपाल की अनुपस्थिति में कोई वैध संदर्भ नहीं था

((i)

संदर्भ के मामले में विशिष्टता*;*

((ख)

राज्य सरकार ने लगातार संकेत दिया कि कोई नहीं था
विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने का कारण*;*

(iii) केंद्र सरकार एक संदर्भ नहीं बना सकती थी जहाँ

कोई अस्तित्व में नहीं था*;* और

((iv) संदर्भ असंवैधानिक था और

राज्यपाल नहीं मिला।

ई. परिणामी वरिष्ठता सहित वरिष्ठता

49. डॉ. धवन की दलीलें इस प्रकार हैं:

वरिष्ठता का निर्धारण वरिष्ठता नियम *1957* द्वारा किया जाता है।

((i)

((ख)

बदप्पनवर में निर्णय में कहा गया कि कोई विशिष्ट निर्णय नहीं था

वरिष्ठता नियमों में परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने वाला नियम

1957 ;

18 अगस्त *2006* को वरिष्ठता नियम *1957* में संशोधन

(iii)

निर्णय को अस्थिर करने के लिए कोई परिवर्तन नहीं किया

बदप्पनवर*;*

(iv) आरक्षण अधिनियम *2002* ने बदप्पनवर को निरस्त करने का प्रयास किया।

और अंततः बी. के. पवित्रा प्रथम में अमान्य कर दिया गया*;*

आरक्षण अधिनियम *2018* में परिणामी वरिष्ठता का उल्लेख किया गया है

(v)

इसका शीर्षक अभी तक धारा *5* इसका कोई संदर्भ नहीं देता है और वास्तव में
वरिष्ठता नियम *1957* को निहितार्थ द्वारा सुदृढ़ करता है। धारा *5* में नियमों का संदर्भ केवल वरिष्ठता नियम *1957* के संदर्भ में हो सकता है जैसा कि संशोधित किया गया है। वरिष्ठता नियम *1957* को हटा दिया जाएगा।

27 अप्रैल *1978* के प्रशासनिक आदेश*;*

(vi) 27 अप्रैल *1978* का सरकारी आदेश विशेष रूप से विज्ञापन देता है।

वरिष्ठता नियमों के नियम *4* या *4*-ए *(*जैसा भी मामला हो*)*

1957 ;

69 (2016) 8 एसएससी *1* पावित्र और ओआरएस।

वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

बैकलॉग को भरकर और सृजन करके कोई वरिष्ठता व्यक्त नहीं की जा सकती है।

अतिरिक्त या अतिरिक्त पद*;* और धारा *5* के परंतुक को निरस्त किया जा सकता है क्योंकि

इसकी अतिशयता।

50. वस्तुतः डॉ. धवन इस प्रकार हैं:

प्रत्येक प्रशासनिक कार्रवाई या कानून नागराज के अनुरूप होना चाहिए जैसा कि जरनैल में समझाया गया है।

बी. के. पवित्रा प्रथम में निर्णय के बाद, कर्नाटक राज्य

जल्दबाजी में आरक्षण अधिनियम *2018* को लागू किया गया किसी भी बाध्यकारी आवश्यकता का प्रदर्शन करना*;*

कर्नाटक के राज्यपाल ने ऐसा करने के सटीक कारणों का वर्णन किए बिना विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लिया। विधेयक को आगे बढ़ाते समय भी राज्य सरकार ने कहा कि राष्ट्रपति को संदर्भित करने का कोई कारण नहीं है। बाद में आदान-प्रदान किए गए प्रश्न एक वैध संदर्भ नहीं होंगे*;*

रत्न प्रभा समिति की रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण है और प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और प्रभाव को स्थापित नहीं करती है। प्रशासनिक दक्षता*;*

आरक्षण अधिनियम *2018* आरक्षण अधिनियम *2002* के समान है, सिवाय इसके कि *(i)* धारा *5* आरक्षण को अनिवार्य करती है*;* और *(ii)* धारा *9* जो अतीत और पूर्व के सभी निर्णयों को निरस्त करती है।

भविष्य में समस्याएं*;*

वरिष्ठता नियम *1957* में परिणामी वरिष्ठता को शामिल नहीं किया गया है और आरक्षण अधिनियम *2002* को निरस्त करने से बदप्पनवर में निर्णय अच्छा कानून बना हुआ है।

अनियंत्रित बैकलॉग वैध नहीं है;

एक उचित अभ्यास पद पर आधारित होना चाहिए न कि रिक्ति पर, यह होना चाहिए

कैडर पर आधारित होना चाहिए न कि समूह ए से डी पर;

राज्य का जवाबी हलफनामा प्रक्रिया की खामियों को स्वीकार करता है जो अभ्यास को उपचारात्मक प्रभाव से इनकार करते हैं; और

आरक्षण अधिनियम *2018* पारित करने में विफल रहा है और नागराज और जरनैल में निर्णयों का पालन नहीं कर रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

51. श्री शेखर नाफडे, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया

टोपीः

(i) बी. के. पवित्रा *I* में निर्णय ने अंतिमता प्राप्त कर ली है और कानून में बाद में परिवर्तन न्यायपालिका के सिद्धांत को निरस्त नहीं कर सकता है।

((ii) जैसा कि पंडित एम. एस. एम. शर्मा के मामले में इस न्यायालय के फैसले में कहा गया है।

v डॉ. कृष्ण सिन्हा ", चाहे पहले का निर्णय सही हो या गलत, रेस के सिद्धांत की प्रयोज्यता के लिए सामग्री नहीं है।

न्यायपालिका;

(iii) जरनैल में बाद का निर्णय समीक्षा का आधार नहीं है।

और, किसी भी स्थिति में, राज्य द्वारा बी. के. पवित्रा प्रथम की समीक्षा की जाएगी।

झूठ नहीं बोलते;

((iv) सी. पी. सी. के आदेश एक्स. एल. वी. आई. आई. के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय के बाद के निर्णय में कानून के प्रश्न पर उलटना समीक्षा का आधार नहीं है।

(v)

कानून की त्रुटि समीक्षा का कोई आधार नहीं है *(*पश्चिम बंगाल राज्य*)*
वी कमल सेनगुप्ता *");*

(vi) आरक्षण अधिनियम *2018* एक रिपोर्ट पर आधारित है जो तथ्यात्मक डेटा प्रस्तुत करता हैः इसे पहले के दौर में प्रस्तुत किया जा सकता था। विधायिका ने न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने का सहारा लिया है;
(vii) आरक्षण अधिनियम *2018* के प्रावधान वस्तुतः हैं -

आरक्षण अधिनियम *2002* के समान ही*;*

(viii) विधायी हस्तक्षेप का आधार आंकड़ों का संग्रह थाः बी. के. पवित्रा *I* में अपने निर्णय की समीक्षा करने के लिए न्यायालय के समक्ष नई सामग्री रखने का प्रयास है। कानून में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

(ix) 1978 से आरक्षण अधिनियम *2018* की पूर्वव्यापीता है

मनमाना*;*

(x)

कानून के आधार में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आधार परिवर्तन है

तथ्यात्मक मैट्रिक्स में जो समीक्षा के लिए आधार के रूप में उपलब्ध नहीं है*;*

(xi)

रत्न प्रभा समिति की रिपोर्ट में कोई सार संग्रह नहीं किया गया है

प्रशासन की दक्षता पर पदोन्नति में आरक्षण के प्रभाव पर सामग्री*;*

0 ए. आई. आर. *1960* एस. सी. *1186 (2008) 8* एस. सी. सी. *612* पावित्र और ओ. आर. एस.

वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

संविधान के अनुच्छेद *200* और अनुच्छेद *254 (2)* का दूसरा परंतुक राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधेयक को आरक्षित रखने की राज्यपाल की संवैधानिक शक्ति से पूर्ण है। रत्न प्रभा समिति की रिपोर्ट क्रीमी लेयर के उस पहलू से संबंधित नहीं है जिस पर विधिवत विचार किया गया था।

जरनैल*;*

रत्न प्रभा समिति समूहों पर आधारित थी न कि कैडरों पर। आंकड़ों में प्रत्यक्ष भर्तियों के साथ-साथ पदोन्नति भी शामिल है, जबकि

वर्तमान मामला केवल पदोन्नति के बारे में है*;* और

आँकड़े केवल इकतीस सरकारी विभागों से एकत्र किए गए थे न कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से।

52. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील श्री पुनीत जैन ने डॉ. धवन की दलीलों के पूरक के रूप में निम्नलिखित मुद्दों को उठाया है जो इस न्यायालय के विचार के लिए उत्पन्न होते हैं:

आरक्षण अधिनियम *2018* की धारा *3* केवल रिक्ति आधारित रोस्टर प्वाइंट पदोन्नति के लिए पूर्वव्यापी रूप से परिणामी वरिष्ठता का विस्तार करना चाहती है और पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए अपनी सक्षम शक्ति का प्रयोग करने वाले राज्य से संबंधित नहीं है। द.

अनुच्छेद *16 (4* ए*)* राज्य को परिणामी वरिष्ठता के साथ या उसके बिना पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने का विवेकाधिकार प्रदान करता है। नागराज ने आदेश दिया है कि इसके प्रयोग से पहले राज्य के सम्मोहक कारण

और संतुष्टि मौजूद होनी चाहिए। अनुच्छेद *16 (4* ए*)* के तहत शक्तियां। पन्नीर सेल्वम में निर्णय को देखते हुए, परिणामी वरिष्ठता का स्वतः प्रदान किया जा सकता है

अब नहीं रखा जा सकता है; और

यह तथ्य कि *85* वां संशोधन *17* जून *1995* से पूर्वव्यापी किया गया है, राज्य को पूर्वव्यापी रूप से शक्तियों का प्रयोग करके और परिणामस्वरूप निहित अधिकारों को छीनकर पहली बार एक प्रावधान करने में सक्षम नहीं बना सकता है जो सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों पर वैध रूप से अर्जित हुए थे।

नहीं। *DPAR 29 SBC 77 [2019] 7 S. C. R.*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उत्तरदाताओं और हस्तक्षेपकर्ताओं के लिए प्रस्तुतियाँ

53. कर्नाटक राज्य के लिए उपस्थित श्री बसव प्रभु एस

विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस प्रकार प्रस्तुत कियाः

बी के पवित्रा *I* के आधार को बदल दिया गया है।

आरक्षण अधिनियम *2018* ने आधार को हटा दिया है

बी. के. पवित्रा प्रथम में निर्णय और वरिष्ठता का संरक्षण

पूर्वव्यापी प्रभाव जो कानून में अनुमेय हैः

(क*)* आरक्षण अधिनियम *2018* बी. के. पवित्रा *I* में निर्णय को सरल बनाने या रद्द करने का प्रयास नहीं करता है।

रोस्टर प्वाइंट पदोन्नति के लिए परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने के लिए डेटा एकत्र करने के बाद कानून बनाया गया था

(i) के सम्मोहक कारणों का अस्तित्व

पिछड़ेपन; *(ii)* प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता; और *(iii)* समग्र दक्षता। इसलिए, आरक्षण अधिनियम *2018* बी. के. पवित्रा *I* में निर्णय के आधार को हटा देता है;

(ख*)* राज्य विधानमंडल पूर्वव्यापी या पूर्वव्यापी संचालन के साथ एक कानून बनाने के लिए सक्षम है। कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता है -

इसके अमान्य होने का कारण नहीं बनता *(*चेविटी वेंकन्ना यादव बनाम तेलंगाना राज्य *(*चेविटी वेंकन्ना यादव*))*, उत्कल ठेकेदार और जॉइनरी *(*पी*)* लिमिटेड बनाम राज्य
उड़ीसा *74 ("*उत्कल ठेकेदार और जॉइनरी *(*पी*)* लिमिटेड*")* और हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम नारायण सिंह *75*

(" नारायण सिंह ");

(ग) आरक्षण अधिनियम *2018* की धारा *3* और *4 17* जून *1995* को लागू हुई, जिस तारीख को संविधान में *77* वें और *85* वें संशोधन लागू हुए, जिससे परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति में आरक्षण किया जा सका। आरक्षण अधिनियम *2018* परिणामी सुरक्षा प्रदान करता है।

27 अप्रैल *1978* से दी गई वरिष्ठता *(*तारीख

7) 1 एस. सी. सी. *283 7)* सप.

एस. सी. सी. *751* वित्रा और ओ. आर. एस. वी. भारत और ओआरएस का संघ

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

आरक्षण आदेश*)* एकत्र किए गए आंकड़ों के आलोक में जो

प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शाता है*;*

(घ) विरपाल सिंह के मामले में निर्णय के संदर्भ में, पकड़ नियम *10* फरवरी *1995 (*यानी सभरवाल में फैसले की तारीख*)* से लागू किया जाना था।

अजीत सिंह द्वितीय के निर्णय के अनुसार, *1* मार्च *1996* से पहले कैच-अप नियम का पालन किए बिना दी गई पदोन्नति सुरक्षित है। बदप्पनवर रक्षा करता है

के आधार पर आरक्षित उम्मीदवारों की पदोन्नति

परिणामी वरिष्ठता जो *1* मार्च से पहले हुई थी

1996 ;

(ई) जबकि न्यायिक समीक्षा अदालतों को किसी क़ानून को असंवैधानिक घोषित करने की अनुमति देती है यदि वह संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करता है, अदालतों को विधायी शक्ति के प्रयोग में अंतर्निहित औचित्य या विवेक की जांच करने से रोक दिया जाता है। कानून बनाने में विधायिका के उद्देश्यों का न्यायिक मूल्यांकन करने में असमर्थ हैं; और

(च) वरिष्ठता निहित या अर्जित अधिकार नहीं है और इसलिए

विधायिका के लिए इससे निपटने के लिए एक कानून बनाना खुला है।

आरक्षण अधिनियम *2018* कानून की एक ही शैली का नहीं है

मदन मोहन पाठक के निर्णय में कहा गया है:

(a) मदन मोहन पाठक ने एक चुनौती दी

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को एक संसदीय कानून की संवैधानिक वैधता के लिए, जिसने बोनस के भुगतान के लिए कर्मचारियों के साथ अप्रभावी समझौता करने का प्रयास किया। निर्णय उस मामले से

संबंधित नहीं है जिसमें न्यायिक निर्णय में देखे गए कानून की अयोग्यता का आधार हटा दिया जाता है। बाद के कानून द्वारा; और

(ख) मदन मोहन पाठक वास्तव में इस बात पर ध्यान देते हैं कि किसी कार्रवाई को अमान्य ठहराने वाले घोषणात्मक निर्णय के मामले में, दोष को दूर करने के लिए वैध कानून बनाने की अनुमति है।

(क) प्रस्तुति की अपर्याप्तता; *(ख)* पिछड़ेपन; और *(ग)* नागराज और बी. के. पवित्रा-*1* में उल्लिखित समग्र प्रशासनिक निपुणता; *(2019) 7* एस. सी. आर.।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((iv) इंद्र साहनी के निर्णय में कहा गया है कि

क्या नागरिकों का एक पिछड़ा वर्ग पर्याप्त रूप से नहीं है

राज्य के अधीन सेवाओं में प्रतिनिधित्व व्यक्तिपरक संतुष्टि का विषय है।

(v) नागराज इस स्थिति पर भी ध्यान देते हैं कि एक धारणा है

कि राज्य योग्यता को परिभाषित करने और मापने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है और उन तीन कारकों की पहचान करने और मापने के लिए कोई निश्चित पैमाना नहीं है जिन पर मात्रात्मक डेटा एकत्र किया जाना है;

(vi) जरनैल के निर्णय में यह भी कहा गया है कि निर्धारण का परीक्षण

पदोन्नति पदों में प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता को समझदारी से छोड़ दिया जाता है

राज्यों के लिए; और

(vii) आरक्षण अधिनियम *2018* राज्य द्वारा लागू किए जाने के बाद लागू किया गया था।

तीन सम्मोहक कारणों के अस्तित्व के बारे में संतुष्ट।

बी. रत्न प्रभा समिति ने 'सम्मोहक कारणों' का गठन करने वाले सभी तीन पहलुओं से निपटा हैः

1. पिछड़ेपन

(i) जरनैल में निर्णय ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जातियों के पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है और

एसटीएस। नागराज में टिप्पणी वृहद पीठ के विपरीत है।

इंद्र साहनी में निर्णय।

फिर भी, किसी भी मामले में, रत्न प्रभा समिति ने विचार किया

((ख)

अभ्यास इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि आवश्यकता
पिछड़ेपन की संतुष्टि होती है।

2. प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता

((i)

रत्न प्रभा समिति की रिपोर्ट के अध्याय *2* पर विचार किया गया

प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और इसके सारांश को दर्ज करता है

पैराग्राफ *2.5* और *2.6* में निष्कर्ष*;*

((ख)

डेटा। पैरा *2.4*। *1* यह इंगित करता है कि सरकार ने निष्कर्ष निकालने के लिए समूह ए, बी, सी और डी के आंकड़ों को ध्यान में रखा
प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता*;*

(iii)

इंद्र साहनी और सभरवाल में निर्णय स्पष्ट हैं।

यह अभिधारणा करते हुए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति जो पावित्र और ओ. आर. एस हैं।

वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

सामान्य श्रेणी के पदों/रिक्तियों के खिलाफ नियुक्त नहीं किया जाता है

अधिक प्रतिनिधित्व का पता लगाने के लिए गणना की जाएगी*;* और यह एक सामान्य अनुभव की बात है कि अधिकांश समूह डी पदों जैसे कि नगरपालिका सफाईकर्मियों के लिए, केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ही आवेदन करते हैं। समूह डी पदों में अधिक प्रतिनिधित्व जो

सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के परिणामों से दूर रहना

समूह डी के कर्मचारियों को पदोन्नति से इनकार करने का कोई आधार नहीं है

आरक्षित श्रेणी के विरुद्ध भर्ती की गई।

प्रशासनिक दक्षता

प्रशासनिक दक्षता*;* पदोन्नति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर की जाती है। *[* नियम *1977* के नियम *19 (3) (ए)]* केवल वे उम्मीदवार जो

योग्यता/उपयुक्तता के मानदंडों को वरिष्ठता के आधार पर बढ़ावा दिया जाता है। चूँकि यह मानदंड रोस्टर पदोन्नति के संबंध में भी लागू होता है, प्रशासन की दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है; और

पदोन्नति पर, एक उम्मीदवार को सेवा में पुष्टि होने से पहले एक वैधानिक कार्यकाल पूरा करना आवश्यक है। यह रोस्टर प्वाइंट पदोन्नति सहित सभी उम्मीदवारों पर लागू होता है और यह सुनिश्चित करता है कि

प्रशासन की दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

ग. इस आधार पर चुनौती कि आरक्षण अधिनियम

में परिणामी वरिष्ठता के लाभ को बाहर नहीं किया गया है

जरनैल में निर्णय के संदर्भ में मलाईदार परत का टी हैएसएसः

एक अवधारणा के रूप में मलाईदार परत को केवल प्रवेश स्तर पर या नियुक्ति पर लागू किया जा सकता है और अनुदान देते समय इसका कोई आवेदन नहीं होता है।

पदोन्नति में आरक्षण और परिणामी के लिए अनुमति

वरिष्ठता। आरक्षण अधिनियम *2018* केवल इसके लिए प्रावधान करता है -

परिणामी वरिष्ठता और प्रवेश स्तर/नियुक्ति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दिए गए आरक्षण की सीमा निम्नानुसार नहीं है -

चुनौती; यह मानते हुए भी कि मलाईदार परत की अवधारणा को पदोन्नति के चरण में लागू किया जा सकता है, यह *[2019] 7* एस. सी. आर. के प्रदान करने के लिए लागू नहीं है।

परिणामी वरिष्ठता। परिणामी वरिष्ठता कोई अतिरिक्त नहीं है।

लाभ लेकिन पदोन्नति का परिणाम;

(iii) किसी पद पर नियुक्ति या कैरियर में प्रगति के आधार पर

पदोन्नति को मलाईदार परत के अधिग्रहण के रूप में नहीं माना जा सकता है

स्थिति. वास्तव में, जरनैल में निर्णय यह स्पष्ट करता है कि मलाईदार परत की अवधारणा केवल प्रवेश चरण पर लागू होती है;

(iv) नागराज का मानना है कि मलाईदार परत का अपवर्जन है

सक्षम करने की शक्ति के प्रयोग के लिए एक पूर्व शर्त

अनुच्छेद *16 (4* ए*)* पदोन्नति या परिणामी प्रदान करने के लिए

वरिष्ठता;

(v)

बी. के. पवित्रा प्रथम के निर्णय में आरक्षण को चुनौती
अधिनियम *2002* को इस आधार पर स्वीकार किया गया था कि राज्य ने

अपर्याप्तता निर्धारित करने के लिए एक अभ्यास किया

प्रतिनिधित्व, पिछड़ेपन और समग्र दक्षता

प्रशासन। बी. के. पवित्रा प्रथम ने परिणामी वरिष्ठता के लिए मलाईदार वकील सिद्धांत की प्रयोज्यता की याचिका को स्वीकार नहीं किया;

और

(vi) आरक्षण आदेश *1978* के तहत पदोन्नति में आरक्षण

प्रथम श्रेणी के पद की निम्नतम श्रेणी तक सीमित हैं।

D. इस चुनौती का कोई आधार नहीं है कि आरक्षण

अधिनियम *2018* आनुपातिकता परीक्षण को पूरा नहीं करता है और अधिक प्रतिनिधित्व में परिणाम देता है।

उस आरक्षण का प्रावधान करने वाले आरक्षण आदेश *1999* को ध्यान में रखते हुए

((i)

एससी और एसटी के पक्ष में पदोन्नति केवल तब तक जारी रहेगी जब तक

उनका प्रतिनिधित्व *15* प्रतिशत और *3* प्रतिशत तक पहुंच गया है।
क्रमशः, यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई अति प्रतिनिधित्व न हो;

और

चूंकि आरक्षण अधिनियम *2018* केवल परिणामी प्रावधान करता है

((ख)

वरिष्ठता और नियुक्ति या पदोन्नति में आरक्षण के लिए नहीं, यह दावा नहीं किया जा सकता है कि वरिष्ठता के उद्देश्य से आरक्षण रिक्ति-आधारित है और पद-आधारित नहीं है, सभरवाल में निर्णय के विपरीत। पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाता है

सरकारी आदेश *1978* जो रोस्टर बिंदु प्रदान करता है

पदोन्नति और रोस्टर बिंदु वरिष्ठता नहीं। *13* अप्रैल *1999* के सरकारी आदेश में बी. के. पावित्र और ओ. आर. एस. को बनाए रखते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति *(*मौजूदा बैकलॉग भरने के बाद*)* करने का प्रावधान है।

वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

15 प्रतिशत और *3* प्रतिशत की सीमा तक उनका प्रतिनिधित्व

कुल कार्य शक्ति *(*और रिक्तियों को नहीं*)*।

ई. कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा आरक्षण अधिनियम *2018* को आरक्षित रखने में कोई संवैधानिक दुर्बलता नहीं थी।

राष्ट्रपति का विचार। राज्यपाल ने विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखते हुए संविधान के अनुच्छेद *200* के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया।

राज्यपाल अनुच्छेद *200 (i)* के तहत किसी विधेयक को मंजूरी देने की घोषणा कर सकता है*;* या *(ii)* मंजूरी रोकने की घोषणा कर सकता है*;* या *(iii)* राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक सुरक्षित रख सकता है। विधेयक को आरक्षित रखने की राज्यपाल की शक्ति

राष्ट्रपति का विचार अनुच्छेद *254 (2)* के तहत प्रतिकूलता के अस्तित्व के अधीन नहीं है। राज्यपाल की कार्रवाई न्यायोचित नहीं है। *(* होचस्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड*)*

च. राज्यपाल की सहमति पर एक बार भी विचार नहीं किया जाता है।

राष्ट्रपति ने एक विधेयक को मंजूरी दे दी है।

न तो अनुच्छेद *200* और न ही अनुच्छेद *201* में यह विचार किया गया है कि विधेयक को राज्यपाल द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद फिर से राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति। कर्नाटक सामान्य खंड अधिनियम *1899* की धारा *5 (1) (iv)* में कहा गया है कि कर्नाटक विधानमंडल द्वारा पारित एक अधिनियम उस दिन से लागू होगा जिस दिन राज्यपाल या, यथास्थिति, राष्ट्रपति की सहमति दी जाती है और पहली बार आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। इसलिए, एक बार जब राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है, तो राज्यपाल द्वारा आगे की सहमति की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

G. कर्नाटक पावर ट्रांसपोर्ट में प्रस्तुतिकरण

निगम लिमिटेड, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता के संवर्ग में वरिष्ठता में आरक्षण के परिणामस्वरूप, *2005* और *2016* के बीच अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अधिक प्रतिनिधित्व गलत है। *(i)* के. पी. टी. सी. एल. में अधीक्षण अभियंता और प्रधान अभियंता के पदों पर पदोन्नति के लिए कोई आरक्षण नहीं है। पदोन्नति और परिणामी वरिष्ठता में आरक्षण केवल सहायक कार्यकारी अभियंता के पद तक उपलब्ध है। वास्तव में, यदि सहायक कार्यकारी अभियंता के पद तक पदोन्नति पर परिणामी वरिष्ठता प्रदान नहीं की जाती है, तो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का अत्यधिक कम प्रतिनिधित्व होगा। रत्न प्रभा समिति की रिपोर्ट में, पैराग्राफ *2.4* में, तीस *[2019] 7* एस. सी. आर. में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या पर ध्यान दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य सरकार का एक सरकारी विभाग। यह नोट किया गया है

कि *80.35* प्रतिशत स्वीकृत पद छह प्रमुख सरकारी विभागों अर्थात् शिक्षा, गृह, स्वास्थ्य, राजस्व, न्यायिक और वित्त में केंद्रित हैं। प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता का विश्लेषण और आकलन करने के लिए इकतीस सरकारी विभागों से संबंधित आंकड़ों को समग्रता में लिया गया था। छोटे विभागों के आंकड़े राज्य नागरिक निकाय के प्रतिनिधि नहीं हो सकते हैं।

समग्र रूप से सेवाएं।

54. हस्तक्षेप करने वालों *(*कर्नाटक एससी*/*एसटी इंजीनियर वेलफेयर एसोसिएशन*)* की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सुश्री इंदिरा जयसिंहउन्होंने तर्क दिया कि आरक्षण अधिनियम *2018* संवैधानिक रूप से वैध है। सुश्री

ऐसिंग ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह कियाः

केरल राज्य बनाम एन. एम. थॉमस *77* में इस न्यायालय के निर्णय

((i)

(" एन. एम. थॉमस*)* और नागराज ने पुष्टि की कि अनुच्छेद *16 (4)* अनुच्छेद *16 (1)* की एक जोरदार घोषणा है। 'आनुपातिक समानता' के सिद्धांत में पर्याप्त समानता शामिल है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति अन्याय को दूर करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई में परिलक्षित होती है। सामाजिक न्याय का संबंध लाभों और बोझों के वितरण से है। आरक्षण अधिनियम *2018*, परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने में, दृष्टि को आगे बढ़ाता है

मौलिक समानता और वैध है*;*

((ख)

संविधान के अनुच्छेद *16 (4)* का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज के सभी वर्गों को राज्य के तहत सेवाओं में समान रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाए। आरक्षण अधिनियम *2018* इस मुख्य उद्देश्य को रेखांकित करता है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के हितों को बढ़ावा देता है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद *46* में निर्धारित किया गया है।
संविधान*;*

अनुच्छेद *16 (4* ए*)* एक सक्षम प्रावधान है जो

(iii)

नागराज में निर्धारित और जरनैल द्वारा संशोधित शर्तों को पूरा करने के अधीन, परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए नियम बनाना या कानून बनाना।

6 डब्ल्यू. पी. में *2018* की आई. ए. संख्या *90623* में। *(*ग*) 2018* की सं. *764*

7 (1976) 2 एस. सी. सी *310*

बी. ओ. बी. सी. पावित्र और ओ. आर. एस. वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

जरनैल में निर्णय के बाद, राज्य को केवल प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और प्रशासन की दक्षता पर डेटा दिखाने की आवश्यकता होती है। कर्नाटक राज्य ने अनुच्छेद *16 (4* ए*)* के तहत सक्षम करने की शक्ति का प्रयोग करते हुए आरक्षण लागू किया।

परिणामी वरिष्ठता, आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित प्रतिशत तक नहीं पहुंचेगा; यह दिखाने के लिए कोई सांख्यिकीय अध्ययन प्रदान नहीं किया गया है कि अनुदान

प्रशासन में। यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की नियुक्ति से दक्षता में कमी आएगी। व्यक्तिगत स्तर पर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी व्यक्तियों को 'अच्छा' का न्यूनतम मानक भी प्राप्त करना चाहिए;

राज्य द्वारा मात्रात्मक आंकड़ा एकत्र करने में विफलता के आधार पर आरक्षण अधिनियम *2002* को निरस्त कर दिया गया था। आरक्षण अधिनियम *2018* को रत्न प्रभा समिति की रिपोर्ट में एकत्र और अध्ययन किए गए आंकड़ों के आधार पर लागू किया गया है। इसलिए, बी. के. पवित्रा प्रथम में निर्णय के आधार को हटा दिया गया है। इसके अलावा,

बी. के. पवित्रा प्रथम में कोई आदेश जारी नहीं किया गया था;

राज्य द्वारा किए जाने के लिए आवश्यक आंकड़ों का संग्रह सामाजिक विज्ञान का विषय है और विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। डेटा संग्रह गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। जब तक राज्य द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली वैज्ञानिक रूप से मजबूत है, तब तक एकत्र किए गए आंकड़ों का मूल्यांकन राज्य का विशेषाधिकार है। न्यायालय न्यायिक समीक्षा में केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब डेटा की पूर्ण अनुपस्थिति हो या जिस डेटा पर भरोसा किया गया हो वह अप्रासंगिक हो; और *[2019] 7* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(viii) इंद्र साहनी में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत

मलाईदार परत का बहिष्कार केवल ओ. बी. सी. पर लागू होता है और इसका विस्तार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर नहीं हो सकता है। नागराज में कोई सवाल ही नहीं उठा

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में मलाईदार परत का अपवर्जन। इसलिए, निर्णय इस सिद्धांत के लिए एक प्राधिकरण नहीं है कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में मलाईदार परत को बाहर करने के लिए बाध्य हैं। जरनैल में इस न्यायालय का निर्णय इस बारे में था - क्रीमी लेयर के संबंध में एक कानून बनाने के लिए संसद की क्षमता और इसके बहिष्कार पर एक सामान्य प्रस्ताव निर्धारित नहीं किया। मलाईदार परत की अवधारणा, यदि लागू हो, तो केवल लागू की जा सकती है।

प्रवेश स्तर पर और पदोन्नति में नहीं।

55. श्री दिनेश द्विवेदी ", पर उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील

हस्तक्षेपकर्ता की ओर से *(*कर्नाटक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभियंता कल्याण*)*

एसोसिएशन*)* ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह कियाः

(1)

नागराज में निर्णय इस बात से संबंधित था कि आरक्षण है या नहीं।

संविधान *(77* वां संशोधन*)* अधिनियम *1995* द्वारा अनुच्छेद *16 (4* ए*)* में अंतःस्थापित पदोन्नति और संविधान *(85* वां संशोधन*)* अधिनियम *2001* द्वारा अंतःस्थापित अनुच्छेद *16 (4* ए*)* के तहत परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने के लिए सक्षम प्रावधान ने संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया है। द.

नागराज में निर्णय आरक्षण से संबंधित था

पदोन्नति और पदोन्नति में आरक्षण को परिणामी वरिष्ठता के अनुदान के बराबर नहीं माना गया। इस दृष्टिकोण से, चार नियंत्रक

कारक, अर्थात् *(i)* पिछड़ेपन*; (ii)* प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता*; (iii)* मलाईदार परत का उन्मूलन*;* और *(iv)* उत्पादन की दक्षता।

प्रशासन की प्रासंगिकता केवल पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए अनुच्छेद *16 (4* ए*)* के तहत सक्षम करने की शक्ति के प्रयोग के लिए है न कि परिणामी अनुदान देने के लिए सक्षम करने की शक्ति के प्रयोग के लिए।

वरिष्ठता*;* पदोन्नति में आरक्षण राज्य में शुरू किया गया था

*((*ख*)*

27 अप्रैल *1978* के सरकारी आदेश द्वारा कर्नाटक और अभी भी परिचालन में है। आरक्षण अधिनियम *2018* परिणामी वरिष्ठता के अनुदान को निर्धारित करता है जो पदोन्नति में आरक्षण के पूर्व अस्तित्व और संचालन पर आधारित है। वर्तमान कार्यवाही में *27* अप्रैल *1978* के सरकारी आदेश को चुनौती देने के अभाव में, याचिकाकर्ता को आरक्षण अधिनियम *2018* में परिणामी वरिष्ठता के अनुदान को चुनौती देने से रोक दिया गया है।

डब्ल्यू. पी. में *2018* की आई. ए. सं. *102966* में *(*ग*) 2018* पावित्र और ओ. आर. एस. की सं. *791*।

वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

विरपाल सिंह में निर्णय एक ऐसे नियम से संबंधित था जो विशेष रूप से वरिष्ठता के सामान्य नियम से हटकर कैच-अप नियम के अनुप्रयोग के लिए प्रदान किया गया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कोई राज्य निरंतर कार्यपालन के आधार पर या रोस्टर प्वाइंट पदोन्नति के मामले में वरिष्ठता के कैच-अप नियम के आधार पर परिणामी वरिष्ठता निर्धारित कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद *14* और *16 (1)* का सामंजस्यपूर्ण अध्ययन यह निर्धारित नहीं करता है कि रोस्टर पॉइंट पदोन्नति के मामले में कैच-अप नियम लागू होना चाहिए। इस प्रकार, एक संतुलन संविधान के अनुच्छेद *14,16 (1)* और *16 (4)* में कहा

गया है कि पकड़ बनाने का नियम अनिवार्य नहीं है। अजीत सिंह प्रथम, अजीत सिंह द्वितीय और बदप्पनवर मामले में इस अदालत के फैसलों को संविधान के सत्तत्तरवें और अस्सी-पाँचवें संशोधनों द्वारा स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद विरपाल सिंह में सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं।

मैदान पर शासन करना जारी रखें। *85* वें संशोधन का उद्देश्य परिणामी वरिष्ठता को एक संवैधानिक सिद्धांत बनाना और परिणामी वरिष्ठता को वरिष्ठता के सामान्य नियम के रूप में पुनर्जीवित करना था।
विरपाल सिंह में प्रतिपादित सिद्धांतों को नागराज में निर्णय द्वारा मजबूत किया गया है जिसमें कहा गया है कि पकड़ नियम और परिणामी वरिष्ठता सेवा न्यायशास्त्र के सिद्धांत हैं और इन्हें संवैधानिक स्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है। परिणामी वरिष्ठता और समकक्षता के बीच चयन करने का विवेकाधिकार राज्य के पास निहित है। आरक्षण अधिनियम *2018*, परिणामी वरिष्ठता के लिए निर्धारित करने में, राज्य द्वारा विवेक का एक वैध अभ्यास है; और सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

वैकल्पिक रूप से, नागराज और जरनैल में चार नियंत्रण कारकों द्वारा निर्धारित परीक्षण आरक्षण अधिनियम *2018* के अधिनियमन से पहले संतुष्ट हो गए हैं। इस संबंध में राज्य की संतुष्टि इस न्यायालय द्वारा समीक्षा के अधीन नहीं की जा सकती है।

56. श्री लक्ष्मीनारायण, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है

इस मुद्दे का जवाब दिया गया कि क्या अनुच्छेद *16 (4 ए)* के तहत आरक्षण एक कार्यकारी आदेश द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

इंदिरा साहनी में न्यायाधीशों की बहुलता के लिए बोलते हुए न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेडी के फैसले में सकारात्मक। अनुच्छेद *16 (4)* में 'प्रावधान' शब्द की व्याख्या अनुच्छेद *16* के खंड *(3)* और *(5)* में 'कानून' शब्द के विपरीत की गई थी। अनुच्छेद *16 (4)* में 'कोई भी' शब्द और 'प्रावधान' शब्द को उनका उचित अर्थ दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद *16 (4)* के पक्ष में एक विशेष प्रावधान के रूप में संपूर्ण है

नागरिकों का पिछड़ा वर्ग। संविधान द्वारा पिछड़े वर्गों को विशेष रूप से योग्य वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है

व्यवहार और स्वयं संविधान द्वारा विशेष व्यवहार की प्रकृति को निर्दिष्ट करने के बाद, यह माना जाना चाहिए कि अनुच्छेद *16 (4)* के बाहर उनके पक्ष में कोई और वर्गीकरण या विशेष उपचार की अनुमति नहीं है। इंद्र साहनी के निर्णय के आलोक में, अब यह एक तय सिद्धांत है कि आरक्षण का प्रावधान विधायिका द्वारा, वैधानिक नियमों द्वारा और कार्यकारी आदेशों द्वारा किया जा सकता है।

कर्नाटक में पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान अनुच्छेद *16 (4)* के तहत सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आधार पर *27* अप्रैल *1978* के सरकारी आदेश द्वारा पेश किए गए थे। प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर *30* अगस्त *1979* की रिपोर्ट के बाद, पहले और

दूसरे रोस्टर अंक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थे। परिणामी वरिष्ठता का सिद्धांत *27* अप्रैल *1978* के सरकारी आदेश के खंड *(vii)* और *1* जून *1978* के सरकारी आदेश के खंड *(d)* द्वारा

अपनाया गया है। *27* अप्रैल *1978* के सरकारी आदेश का खंड *(vii),* जैसा कि यह मूल रूप से था, यह प्रावधान करता है कि "किसी भी अवसर पर" पदोन्नत व्यक्तियों के बीच अंतर वरिष्ठता नियम *4* के तहत निर्धारित की जाएगी।

और वरिष्ठता नियम *1957* के *4 (ए);* अवित्रा और ओआरएस।

वी. भारत और ओआरएस का संघ

जे.*]*

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड,

आरक्षित पदोन्नतियों के बीच वरिष्ठता का निर्धारण और वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर सामान्य उम्मीदवारों को वरिष्ठता नियमों के नियम *4* के तहत "प्रत्येक अवसर पर" निर्धारित किया जाएगा।

1957 ;

"प्रत्येक अवसर पर" अभिव्यक्ति के साथ "किसी भी अवसर पर" अभिव्यक्ति का प्रतिस्थापन अभिव्यक्ति के इरादे को दर्शाता है

सरकार आरक्षित वर्ग को परिणामी वरिष्ठता प्रदान करेगी

रोस्टर के आधार पर पदोन्नत श्रेणी के उम्मीदवार*;*

विधायिका ने नीति से संबंधित प्रावधान अधिनियमित किए

राज्य सिविल सेवाओं और सार्वजनिक सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण

निम्नलिखित क्षेत्र उपक्रमः

(क*)* नियम *8* के प्रावधान सहित नियम *1977* को बरकरार रखा गया।

भक्त रामगौड़ा में इस न्यायालय द्वारा*;*

(बी*)* कर्नाटक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग *(*नियुक्ति का आरक्षण*)*

आदि*,)* अधिनियम *1990;*

(ग*)* कर्नाटक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग *(*नियुक्ति का आरक्षण*)*

आदि*,)* नियम *1992;* और

(घ*)* कर्नाटक राज्य सिविल सेवा *(*अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियां*) (*विशेष भर्ती*)*

नियम *2001*।

उपरोक्त प्रावधानों का पालन आरक्षण अधिनियमों द्वारा किया गया था

2017 में।

1 अप्रैल *1992* से कर्नाटक राज्य ने नियम *1977* में नियम *8* में प्रावधान जोड़ा जो इस प्रकार है:

"8. नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान।

नियुक्तियाँ या पद सदस्यों के लिए आरक्षित होंगे -

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को उस हद तक और उस तरीके से जो निर्दिष्ट किया जाए सरकार द्वारा अनुच्छेद *16* के खंड *(4)* के तहत

भारत का संविधान।

[2019] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नियम *8* का प्रावधान

*80 [*बशर्ते कि, नियमों में कुछ भी होने के बावजूद

किसी भी सेवा या पद के संबंध में विशेष रूप से की गई भर्ती,

पदोन्नति कोटे में बैकलॉग रिक्तियां होंगी

27 अप्रैल, *1978* से निर्धारित और कार्यान्वित।

नोट करें। - बैकलॉग रिक्ति का अर्थ है

रोस्टर प्रणाली के तहत उपलब्ध रिक्तियों की संख्या

समूह-ए पद में निम्नतम श्रेणी का स्तर जिसकी गणना की गई है

27 अप्रैल, *1978.] . "*

भक्त रामगौड़ा में शासन को बरकरार रखा गया था;*24* जून *1997* के सरकारी आदेश ने पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्ती दोनों में बैकलॉग प्रचार रोस्टर अंकों को कवर करने के लिए अतिरिक्त रोस्टर अंक प्रदान किए। *24* जून *1997* के सरकारी आदेश के पैरा *8* के खंड *(iv)* और *(v)* इस प्रकार हैं -

निम्नलिखित है:

" खंड *(IV)*।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो पहले से ही बैकलॉग के खिलाफ पदोन्नत किया गया है आवश्यकता के कारण समायोजित नहीं किया जा सकता है

उपरोक्त सूची के अनुसार रिक्तियों की पर्याप्त संख्या

ऐसे व्यक्तियों को तदनुसार समायोजित और फिट किया जाएगा।

प्रभावी होते समय मद *(iii)* में निर्दिष्ट प्रक्रिया के साथ

भावी रिक्तियों के संबंध में पदोन्नति। उस समय तक,

द्वारा बनाए जाने वाले अतिरिक्त पदों के खिलाफ जारी रखा जाए

सरकार के सचिवों को इसके द्वारा शक्ति सौंपी जाती है की सहमति मानते हुए अतिरिक्त पद बनाने के लिए

वित्त विभाग और उस हद तक सरकारी आदेश

नहीं। एफ. डी. *1* टी. एफ. पी. *96*, दिनांक *10.07.1996*, माना जाएगा कि

तदनुसार संशोधित किया गया।

खंड *(*वी*)*

उपरोक्त मद *(iii)* और *(iv)* में दर्शाए गए अनुसार पदोन्नति को समायोजित और उपयुक्त करते समय, सामान्य श्रेणी के बीच अंतर-से वरिष्ठता,

जी. एस. आर. *64*, दिनांक *01.04.1992* डब्ल्यू. ई. एफ. *01.04.1992* पावित्र और ओ. आर. एस. द्वारा अंतःस्थापित।

वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

अनुसूचित जाति श्रेणी और अनुसूचित जनजाति श्रेणी का निर्धारण कर्नाटक सरकारी कर्मचारी वरिष्ठता नियम *1957* के नियम *4* या नियम *4* ए के अनुसार किया जाएगा। रोस्टर अंक केवल उन रिक्तियों की संख्या की गणना के लिए हैं जो उपलब्ध हो जाती हैं।

प्रत्येक अवसर पर अलग-अलग श्रेणियाँ और वे नहीं करते हैं

वरिष्ठता निर्धारित करें "।

उपरोक्त खंडों ने परिणामी गणना में रोस्टर पदोन्नति को बढ़ावा देने के बाद अंतर-संबंधित मूल्यांकन के उद्देश्य को दोहराया।

दो समूहों के बीच।

राज्य सरकार को प्रतिशत निर्धारित करने का अधिकार है अनुच्छेद *16 (4)* के तहत किसी विशेष पिछड़े वर्ग की कुल आबादी और राज्य की सेवाओं में उसके प्रतिनिधित्व के आधार पर आरक्षण। एक बार आरक्षण का निर्धारित प्रतिशत निर्धारित हो जाने के बाद, पर्याप्तता की संख्यात्मक परीक्षा पूरी हो जाती है।

आरक्षण का प्रतिशत राज्य सेवाओं में पिछड़े वर्गों का वांछित प्रतिनिधित्व है और यह निर्धारित अनुपात के आधार पर जनसांख्यिकीय अनुमान के अनुरूप है।

उनकी जनसंख्या के संबंध में;

रोस्टर अंकों का संचालन और संवर्ग की संख्या को भरना यह सुनिश्चित करता है कि आरक्षण प्रति व्यक्ति *50* की सीमा के भीतर रहे।

प्रतिशत; आरक्षित उम्मीदवार जिन्हें नियुक्त या पदोन्नत किया गया है

कैडर में अलग-अलग ग्रेड होते हैं और आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। संवर्ग के भीतर विभिन्न श्रेणियों में। *27* अप्रैल *1978* के सरकारी आदेश में निहित आरक्षण नीति को *17* अप्रैल *1993* और *11* मई *1993* को फिर से जारी किया गया है।

इंद्र साहनी में निर्णय;

अनुच्छेद *16* के खंड *(1)* और *(4)* दोनों एक ही क्षेत्र में कार्य करते हैं। दोनों में अवसर की समानता प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित हैं

राज्य के अधीन सेवाएँ। प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता पर राज्य द्वारा राय का गठन व्यक्तिपरक *[2019]* विषय है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संतुष्टि और परीक्षा यह है कि क्या राज्य के समक्ष अपनी राय को सही ठहराने के लिए कुछ सामग्री थी। न्यायिक समीक्षा के अभ्यास में, न्यायालय कार्यपालिका के निर्णय और विवेक का उचित सम्मान करेगा। भले ही कुछ त्रुटियाँ हों

राज्य सरकार की ओर से, जिसके परिणामस्वरूप किसी भी तरह से पूरी कवायद अमान्य नहीं होगी;

(xiv) प्रशासन की कुशलता का अर्थ है शासन जो प्रदान करता है

जनता की प्रतिक्रियाशील सेवा। केवल योग्यता ही कार्यकुशलता का घटक नहीं है। एक बार जब किसी कर्मचारी को पदोन्नत किया जाता है, तो दक्षता का आकलन किया जाता है।

वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर;

(xv) एक उपचारात्मक कानून पर अतिक्रमण का गठन नहीं करता है

राज्य विधानमंडल द्वारा न्यायिक शक्ति। इसी तरह, यह विधायिका के लिए पूर्वव्यापी और पूर्वव्यापी दोनों के साथ एक कानून बनाने के लिए खुला है।

संभावित प्रभाव;

(xvi) राष्ट्रपति के समक्ष उपलब्ध सामग्री की पर्याप्तता की जांच करने के लिए न्यायिक समीक्षा का विस्तार नहीं किया जा सकता है और जब तक कि, शक्ति या आचरण पर धोखाधड़ी से जुड़ी कोई स्थिति न हो।

अप्रत्यक्ष उद्देश्य, अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी;

(xvii) क्रीमी लेयर का सिद्धांत इन-सर्विस पर लागू नहीं होता है।

उम्मीदवार; और

(xviii) राज्य ने बी. के. पवित्रा *I* में बताई गई कमी को सुधारते हुए, डेटा संग्रह का अभ्यास करते हुए, डेटा का विश्लेषण करने के बाद राज्य द्वारा बनाई गई राय उसकी व्यक्तिपरक संतुष्टि में निहित है। *27* अप्रैल *1978* की आरक्षण नीति, जिसमें सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान शामिल किए गए थे, आज तक जारी है।

व्यवधान।

57. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री निधेश गुप्ता ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया:

संविधान के अनुच्छेद *16 (4)* में 'राज्य की राय में' वाक्यांश

((i)

संविधान इंगित करता है कि पर्याप्तता के संबंध में मुद्दा

प्रतिनिधित्व राज्य की व्यक्तिपरक संतुष्टि के भीतर है। अदालत की भूमिका इस बात की जांच करने तक सीमित है कि क्या सरकार द्वारा बनाई गई राय उसके पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर थी। जबकि राज्य कार्रवाई की आवश्यकता वाली परिस्थितियों के अस्तित्व की समीक्षा की जा सकती है, गठित राय न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है। इन प्रस्तावों को के पावित्र और ओआरएस में स्वीकार किया गया है।

वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

इंद्र साहनी, बेरियम केमिकल्स लिमिटेड बनाम कंपनी लॉ बोर्ड *31 (*बेरियम केमिकल्स लिमिटेड*)* मामले में इस न्यायालय के निर्णय,

रोहतास इंडस्ट्रीज बनाम एस. डी. अग्रवाल *82* और रुस्तम कावासजी
कूपर बनाम भारत संघ *83;*

अनुच्छेद *16 (4)* में 'किसी भी वर्ग या पदों के वर्गों के लिए' अभिव्यक्ति

(ख)

यह बहुत स्पष्ट करता है कि वाक्यांश एक 'वर्ग' या 'समूह' को संदर्भित करता है न कि एक कैडर को। अनुच्छेद *16 (4* ए*)* में 'राज्य के तहत सेवाएं' वाक्यांश में 'सेवा' शब्द का उपयोग इस तर्क का समर्थन करता है। सभरवाल और नागराज में लिए गए निर्णय स्पष्ट करते हैं कि रोस्टर के संचालन में कैडर की ताकत को लागू किया जाना है। सभरवाल में 'संपूर्ण संवर्ग संख्या' का संदर्भ इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि आरक्षण सीमा तक आरक्षण पहुँच गया है या नहीं, यह निर्धारित करने में पूरे संवर्ग संख्या को ध्यान में रखा जाना

चाहिए। इस दृष्टिकोण से, 'संपूर्ण संवर्ग शक्ति' है *(i)*
पूरी सेवा में प्रतिनिधित्व की स्थिति का पता लगाने के लिए संदर्भ बिंदु; *(ii)* यह निर्धारित करने के लिए कि क्या रोस्टर के आवेदन में कोटा सीमा तक आरक्षण प्राप्त हो गया है; और *(iii)* रोस्टर के संचालन में कैडर की संख्या लागू की गई है। यह आग्रह किया गया कि यदि प्रतिशत की गणना रिक्तियों के आधार पर की जाती है, तो वास्तविक नियुक्तियां की जा सकती हैं।

निर्धारित कोटा से अधिक। इंद्र साहनी, नागराज और जरनैल में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा गया है।

iii) इंद्र साहनी में निर्णय क्रीमी लेयर सिद्धांत के संबंध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है। किसी भी मामले में, भले ही यह सिद्धांत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर लागू होता है, यह केवल नियुक्तियों के चरण में लागू होगा न कि पदोन्नति के पदों के लिए; और*(iv)*

पीडब्ल्यूडी में प्रतिशत जो मामूली रूप से ऊपर हैं

निर्धारित कोटा उन आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को शामिल करने के लिए है जिनका चयन सामान्य योग्यता के आधार पर किया गया था। यह इसके विपरीत है।
सभरवाल में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के लिए, इंद्र साहनी और रितेश साह बनाम वाई. एल. यमुल *84*।

58. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ अब विचार के लिए आती हैं।

59. अन्य वकील, जिन्होंने तर्क दिया और अपना लिखित प्रस्तुत किया

कुछ बारीकियों के साथ प्रस्तुतियाँ, समान तर्कों को दोहराती हैं।

आईआर *1967* एससी *295*

1969) 1 एससीसी *3251970) 1* एस. सी. सी. *248*

1996) 3 एससीसी *253 [2019] 7* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

D. विधेयक को स्वीकृति

60. राज्यपाल के अलावा, राज्यों की विधानसभाओं में कुछ राज्यों के लिए एक द्विसदनीय विधायिका और कुछ राज्यों के लिए एकसदनीय विधायिका होती है।

अन्य। *85* *61.* अनुच्छेद *200* वह प्रावधान है जो राज्यपाल को किसी विधेयक को मंजूरी देने, मंजूरी रोकने या राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रखने की शक्ति प्रदान करता है:

"200. जब विधान सभा द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाता है

किसी राज्य के या विधान परिषद वाले राज्य के मामले में, जिसे राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है, इसे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल यह घोषणा करेगा कि या तो वह विधेयक को मंजूरी देता है या वह उससे सहमति रोकता है या वह विधेयक को राज्यपाल के विचार के लिए सुरक्षित रखता है।

अध्यक्षः

बशर्ते कि राज्यपाल, जितनी जल्दी हो सके,
सहमति के लिए उसे विधेयक प्रस्तुत करें, यदि यह धन विधेयक नहीं है तो विधेयक को एक संदेश के साथ वापस करें जिसमें अनुरोध किया जाए कि सदन या सदन विधेयक या किसी निर्दिष्ट प्रावधान पर पुनर्विचार करेंगे।

और, विशेष रूप से, ऐसे किसी भी संशोधन को पेश करने की वांछनीयता पर विचार करेगा जिसकी वह अपने संदेश में सिफारिश कर सकता है और जब कोई विधेयक इस तरह से वापस किया जाता है, तो सदन या सदन तदनुसार विधेयक पर पुनर्विचार करेंगे, और यदि विधेयक सदन या सदनों द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित किया जाता है और राज्यपाल को सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल उससे सहमति नहीं रोकेगाः
बशर्ते कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को मंजूरी नहीं देगा, लेकिन राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखेगा, जो राज्यपाल की राय में, यदि यह कानून बन जाता है, तो उच्च न्यायालय की शक्तियों का इतना अवमूल्यन करेगा कि उस स्थिति को खतरे में डाल देगा जिसे वह न्यायालय इस संविधान द्वारा भरने के लिए बनाया गया है।

*(क) [*आंध्र प्रदेश*],* बिहार, *[*मध्य प्रदेश*], [*महाराष्ट्र*], [*कर्नाटक*], [[*तमिलनाडु, तेलंगाना*]] [*और उत्तर प्रदेश*]* राज्यों में दो सदन*; (*ख*)* अन्य राज्यों में एक सदन। *(2)* जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल के दो सदन हैं, वहाँ एक को विधान परिषद और दूसरे को विधान सभा के रूप में जाना जाएगा और जहाँ केवल एक सदन है, वहाँ इसे विधान सभा के रूप में जाना जाएगा।

बी के पावित्र और ओआरएस। वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

अनुच्छेद *201* इस बात से संबंधित है कि जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है तो क्या होगा।

बशर्ते कि, जहां विधेयक धन विधेयक नहीं है, वहां राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को सदन या, यथास्थिति, राज्य के विधानमंडल के सदनों को ऐसे संदेश के साथ वापस करे, जिसका उल्लेख अनुच्छेद *200* के पहले परंतुक में किया गया है और जब कोई विधेयक इस प्रकार वापस किया जाता है, तो सदन या सदन ऐसा संदेश प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर तदनुसार उस पर पुनर्विचार करेंगे और यदि इसे सदन या सदनों द्वारा संशोधन के साथ या उसके बिना फिर से पारित किया जाता है, तो इसे प्रस्तुत किया जाएगा।
राष्ट्रपति के पास उनके विचार के लिए फिर से।

विधानमंडल के सदनों द्वारा *(*या एकमात्र सदन द्वारा जहां केवल एक विधान सभा है*)* एक विधेयक पारित होने पर, इसे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। राज्यपाल *(i)* विधेयक को स्वीकृति दे सकता है*; (ii)* स्वीकृति रोक सकता है*;* या *(iii)* विधेयक को विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है।

राष्ट्रपति।

62. जहां कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है, वहां राज्यपाल उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है जिस पर सदन या सदन, यथास्थिति, विचार कर सकते हैं।

उच्च न्यायालय की शक्तियों का इस तरह से अपमान करना जो संविधान के तहत उसकी स्थिति को खतरे में डालता है। दूसरे परंतुक में निहित विवरण के भीतर आने वाले विधेयकों को छोड़कर *(*जहां राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रखना चाहिए*)*, राज्यपाल को कार्रवाई के पाठ्यक्रमों में से एक का पालन करने का विवेकाधिकार प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद *200* के मूल भाग में स्पष्ट किया गया है। उन विधेयकों के अलावा जो दूसरे परंतुक द्वारा कवर किए जाते हैं, जहां राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करने के लिए बाध्य है, अनुच्छेद *200* का मूल भाग विशेष रूप से इंगित नहीं करता है कि किन परिस्थितियों में राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है।

राष्ट्रपति। संविधान ने यह विवेकाधिकार राज्यपाल को सौंपा है।

मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के विपरीत या स्वतंत्र रूप से कार्य करने की राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति की प्रकृति और दायरा।

नबाम रेबिया में अनुच्छेद *163* के तहत चर्चा की गई थी, न्यायमूर्ति जे एस खेहर *(*तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में*)* ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

"154. इसलिए, हमारा विचार है कि जहां तक राज्यपाल के पास निहित विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग का संबंध है, वह उन स्थितियों तक सीमित है, जिनमें एक संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि राज्यपाल को इन मामलों में कार्य करना चाहिए।

अपने विवेक से। इसके अतिरिक्त, एक राज्यपाल अपने विवेक से अपने कार्यों का प्रयोग कर सकता है, ऐसी स्थितियों में जहां संबंधित संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या को अन्यथा नहीं माना जा सकता है।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा *(*उस समय विद्वान न्यायाधीश के रूप में*)* ने कहा,

इस प्रकारः

"375. ..... राज्यपाल से संविधान के प्रावधानों *(*और इसके प्रावधानों के अधिनियमन के पीछे के इतिहास*)*, कानून और अपने कार्यों को विनियमित करने वाले नियमों के अनुसार कार्य करने की उम्मीद की जाती है। यह भूलना आसान है कि राज्यपाल एक संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख हैं-फिर भी हर किसी की तरह, उन्हें खेल के नियमों के अनुसार खेल खेलना पड़ता है, चाहे वह कार्यपालिका *(*मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह*)* या विधानमंडल *(*अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम*)* के संबंध में हो। यह

इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यपाल के पास कोई शक्तियाँ नहीं हैं-वह करता है, लेकिन ये भी संविधान द्वारा या तो विशेष रूप से या द्वारा चित्रित किए गए हैं
आवश्यक निहितार्थ। *"9 87*

63. निर्माताओं ने सावधानीपूर्वक उन परिस्थितियों को परिभाषित करने से परहेज किया जिसमें राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। अपनी प्रकृति से ही शक्ति प्रदान करना विशिष्ट श्रेणियों तक सीमित नहीं हो सकता है। संविधान के कार्यकरण में ऐसी आवश्यकताएँ उत्पन्न हो सकती हैं जो राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक को आरक्षित करने की शक्ति का सहारा लेने को उचित ठहराती हैं। उनका पूर्वानुमान किसी भविष्यवक्ता की दृष्टि से नहीं किया जा सकता है। शक्ति एक को प्रदान की गई है

संवैधानिक कार्यात्मक, यह इस अपेक्षा से सशर्त है कि इसका प्रयोग सावधानीपूर्वक चिंतन करने और वैध चिंताओं को हल करने के लिए किया जाएगा।

86 पृष्ठ *159* पर सुप्रा *69*

87 पृष्ठ *244* बी. के. पावित्र और ओ. आर. एस. वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

विधान की वैधता के संबंध में। राज्यपाल को संवैधानिक विवेकाधिकार सौंपना इस विश्वास पर आधारित है कि अधिकार का प्रयोग संवैधानिक राजनीतिक कौशल द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। संघीय ढांचे में, इस संवैधानिक विवेकाधिकार को प्रदान करने का उद्देश्य लोकतांत्रिक संघवाद को विफल करना नहीं है। राज्य विधानसभाएँ अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने वालों की लोकप्रिय इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे उस इच्छा के सामूहिक अवतार हैं। राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधेयक को आरक्षित करने का कार्य सावधानीपूर्वक विचार करने पर किया जाना चाहिए, जब राज्यपाल द्वारा संवैधानिक प्रावधान के बारे में संदेह किया जा रहा हो।

पारित किए गए विधेयक की वैधता।

64. डॉ. धवन ने अपनी प्रस्तुतियों के दौरान, उस शक्ति पर विस्तार से चर्चा की है जो राज्यपाल को अनुच्छेद *254 (2)* के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक को आरक्षित करने के लिए सौंपी गई है। अनुच्छेद *254 (2)* एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी मामले पर किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा अधिनियमित एक कानून में कोई भी प्रावधान है जो प्रतिकूल है।
या तो संसद द्वारा बनाए गए किसी पूर्व कानून या उस मामले के संबंध में किसी मौजूदा कानून के लिए। ऐसी स्थिति में, राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून उस राज्य में तभी प्रभावी हो सकता है जब उसे विचार के लिए आरक्षित होने पर राष्ट्रपति की सहमति मिल गई हो।

65. जब राष्ट्रपति की सहमति के लिए किसी विधेयक का आरक्षण किसी मौजूदा कानून के प्रतिकूल होने के आधार पर किया गया हो।

या संसद द्वारा अधिनियमित एक कानून, इस न्यायालय के ऐसे निर्णय हैं जो यह मानते हैं कि राष्ट्रपति को इस कारण से अवगत कराया जाना चाहिए कि

अनुमति मांगी गई। ग्राम जमालपुर की ग्राम पंचायत में, *1953* में पंजाब विधानमंडल द्वारा अधिनियमित एक कानून ने शामलात-देह भूमि में सभी निजी हितों को समाप्त कर दिया और उन्हें ग्राम पंचायतों में निहित कर दिया।

कृषि सुधार का मामला। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पंजाब अधिनियम को इस आधार पर राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित नहीं रखा गया था कि यह *1950* में संसद द्वारा अधिनियमित पहले के अधिनियम के प्रतिकूल था, लेकिन सहमति एक अलग और विशिष्ट उद्देश्य के लिए मांगी गई थी। इसमें पृष्ठभूमि में, संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि राष्ट्रपति की सहमति से राज्य सरकार को संसद द्वारा बनाए गए कानून पर राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून को प्राथमिकता देने में कोई लाभ नहीं होगा। संविधान पीठ ने कहाः

" 12 ..... संविधान के अनुच्छेद *254 (2)* के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी निष्क्रिय औपचारिकता का विषय नहीं है। राष्ट्रपति को, कम से कम, इस कारण से अवगत कराया जाना चाहिए कि उनकी सहमति क्यों मांगी गई है यदि, *[2019] 7* एस. सी. आर.

ऐसा करने का कोई विशेष कारण है। यदि सहमति मांगी जाती है और सामान्य शब्दों में दी जाती है ताकि सभी उद्देश्यों के लिए प्रभावी हो, तो वैध रूप से अलग-अलग विचार उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन यदि, तत्काल मामले की तरह, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कानून के लिए राष्ट्रपति की सहमति मांगी जाती है, तो सहमति की प्रभावशीलता सीमित होगी - उस उद्देश्य को और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। *88*

66. कैसर-आई-हिंद प्राइवेट लिमिटेड में भी इसी तरह का सिद्धांत अपनाया गया था। मामला महाराष्ट्र और जनता में किराया कानून से संबंधित है। संसद द्वारा अधिनियमित परिसर *(*अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली*)* अधिनियम *1971*। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जिसके बाद सहमति दी गई थी

बॉम्बे रेंट एक्ट, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट और प्रेसीडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट के बीच विरोधाभास को देखते हुए, यह मानना सही नहीं था कि राज्य का कानून एक अन्य संसदीय अधिनियम पर प्रबल होगा, जिसके लिए कोई सहमति नहीं मांगी गई थी। उस संदर्भ में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 65 ..... 2. (क*)* अनुच्छेद *254 (2)* "राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षण" और "सहमति" पर भी विचार करता है। विचार के लिए आरक्षण एक खाली औपचारिकता नहीं है। संसद द्वारा बनाए गए पूर्ववर्ती कानून और विचाराधीन राज्य विधान के बीच की विषमता और इस तरह के कानून होने के कारणों की ओर राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है।

संसद द्वारा अधिनियमित।

(ख*)* अनुच्छेद *254* के खंड *(2)* में प्रयुक्त "सहमति" शब्द का संदर्भ में अर्थ होगा -

राज्य "। *89*

67. ये निर्णय विशेष रूप से अनुच्छेद *254* के संदर्भ में हैं। अनुच्छेद *254 (1)* अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित करता है कि समवर्ती सूची द्वारा शासित किसी मामले में, किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कोई कानून संसद द्वारा अधिनियमित कानून के साथ अपनी प्रतिकूलता की सीमा तक शून्य होगा। अनुच्छेद *254* का खंड *(2)* उस परिणाम को खारिज करता है।

जहाँ कानून राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया है।

और स्वीकृति प्राप्त की है। अनुच्छेद *254 (1)* को खंड *(2)* के अधीन बनाया गया है, जिससे इस बात पर जोर दिया जाता है कि राष्ट्रपति की सहमति से एक

संसद द्वारा अधिनियमित कानून के साथ राज्य कानून की अस्वीकृति

समवर्ती सूची में आने वाला मामला। यह इस संदर्भ में है कि निर्णय

88 पृष्ठों पर सुप्रा *67 668-669* *89* पृष्ठों *215-216* बी के पावित्र और ओआरएस पर सुप्रा *66*।

वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

इस न्यायालय का मानना है कि संसदीय विधान में निहित एक विशिष्ट प्रावधान के साथ एक प्रतिकूलता के संबंध में राष्ट्रपति की सहमति मांगी जानी चाहिए ताकि राष्ट्रपति द्वारा उचित विचार करने में सक्षम बनाया जा सके।

जिस आधार पर सहमति मांगी गई है, उसका अध्यक्ष। अनुच्छेद *200* में संवैधानिक शक्ति का स्रोत है जो राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक आरक्षित करने के लिए प्रदान की जाती है। अनुच्छेद *254 (2)* राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून को आरक्षित रखने के लिए राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार का एक उदाहरण है।

एक निर्दिष्ट स्थिति में राष्ट्रपति का विचार-जहां यह समवर्ती सूची में आने वाले मामले पर किसी मौजूदा कानून या संसदीय कानून के प्रतिकूल है। अनुच्छेद *254 (2)* में निर्दिष्ट संभाव्यता, राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक को आरक्षित करने के लिए अनुच्छेद *200* के तहत राज्यपाल को सौंपी गई शक्ति के दायरे को समाप्त नहीं करती है। समवर्ती सूची में आने वाले मामलों में प्रतिकूलता के अलावा

राज्य और संसदीय विधान, एक राज्यपाल के पास विचार के लिए एक विधेयक को आरक्षित करने के लिए ठोस संवैधानिक कारण हो सकते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद *200,* अपने दूसरे परंतुक में आदेश देता है कि एक विधेयक जो उच्च न्यायालय की शक्तियों का हनन करता है, उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए। बिलों के अलावा जो इसके अंतर्गत आते हैं

दूसरे परंतुक में दिए गए विवरण के अनुसार, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए वैध रूप से भेज सकता है।

कानून की वैधता के बारे में वैध संदेह। अपनी प्रकृति से, इस न्यायालय के लिए उन स्थितियों पर विचार करना संभव नहीं होगा जिनमें अनुच्छेद *200* के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। होक्स्ट में इस न्यायालय के फैसले में यह देखा गया था। इसे न्यायिक जांच से अलग करते हुए, न्यायालय ने कहाः

"86 ..... राज्य विधानमंडल द्वारा पारित एक विधेयक भी हो सकता है जिसमें संविधान के किसी भी प्रावधान की प्रयोज्यता के बारे में वास्तविक संदेह हो सकता है जिसके लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है ताकि यह एक अधिनियम के रूप में प्रभावी हो सके। ऐसे मामले में, यह राज्यपाल को अपने विवेकाधिकार का उपयोग करना है और यह तय करना है कि क्या उन्हें विधेयक को मंजूरी देनी चाहिए या भविष्य में किसी भी जटिलता से बचने के लिए इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। भले ही यह अंततः पता चलता है कि राज्यपाल के लिए एक विधेयक को आरक्षित रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी

राष्ट्रपति के विचार पर, फिर भी उन्होंने ऐसा किया और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की, इस प्रकार पारित अधिनियम को उचित सहमति के अभाव के आधार पर असंवैधानिक नहीं माना जा सकता है। मामले का यह पहलू, जैसा कि अब कानून है, जांच के लिए खुला नहीं है *[2019] 7* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अदालतों द्वारा। तत्काल मामले में, वित्त विधेयक जो अंततः विचाराधीन अधिनियम बन गया, एक समेकित अधिनियम था जो

विभिन्न विषयों और शायद राज्यपाल ने महसूस किया कि यह था
इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित रखना आवश्यक है। हमारे पास है।

यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि राष्ट्रपति की सहमति न्यायोचित नहीं है, और हम उनके कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी कमजोरी को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं।

इस तरह की सहमति देने का निर्णय "। *9 0*

68. होक्स्ट इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है कि राष्ट्रपति की सहमति गैर-न्यायसंगत है। होक्स्ट ने यह भी कहा कि भले ही, जैसा कि यह पता चला है, राज्यपाल के लिए राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक को आरक्षित रखना आवश्यक नहीं था, फिर भी यदि इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित किया गया था और प्राप्त किया गया था, तो अधिनियमित कानून को 'उचित' सहमति के अभाव में असंवैधानिक नहीं माना जा सकता है।

69. उपरोक्त निर्णय अनिवार्य रूप से उन प्रस्तुतियों का उत्तर देते हैं जिनका डॉ. धवन ने आग्रह किया था। के क्रम में प्रस्तावित कानून

ऊपर बताए गए उदाहरणों को याचिकाकर्ताओं की ओर से आग्रह किए गए प्रस्तुतिकरणों को अस्वीकार करना चाहिए। एक बार विधेयक *(*जिसके कारण आरक्षण अधिनियम *2018* बना*)* राज्यपाल द्वारा आरक्षित कर दिया गया था राष्ट्रपति के विचार के बाद, यह राष्ट्रपति के लिए था कि वह विधेयक को मंजूरी दे या रोक दे। राष्ट्रपति ने विधेयक को मंजूरी देने के बाद अनुच्छेद *201* की आवश्यकताओं को पूरा किया। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति की वैधता गैर-न्यायोचित है। राज्यपाल ने वर्तमान मामले में विधेयक को *6* दिसंबर को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखते हुए

2017 इस प्रकार देखा गयाः

"बी. के. पवित्रा मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को पदोन्नति देने के मुद्दे पर विचार करते हुए संविधान के अनुच्छेद *16 (4* ए*)* के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता, पिछड़ेपन और समग्र दक्षता के परीक्षण को लागू करने की आवश्यकता को देखा है और राज्य सरकार को वरिष्ठता सूची को संशोधित करने का निर्देश दिया है

समय सीमा के भीतर।
राज्य सरकार ने उस स्थिति से उबरने के लिए जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में दोषपूर्ण पाया गया था

एक विधेयक लेकर आओ, जिसे अब मेरी सहमति के लिए भेजा गया है।
उपरोक्त मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले और मुद्दे के महत्व को ध्यान में रखते हुए और संवैधानिक

90 पृष्ठों *100-101* बी. के. पावित्र और ओ. आर. एस. पर सुप्रा *68*।

वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

इस मामले में शामिल व्याख्या, मैं इस मामले को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना उचित समझता हूं। तदनुसार,

विधेयक अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित है।

200 भारत के संविधान "।

70. राज्य सरकार का अपने स्पष्टीकरण के दौरान यह विचार था कि विधेयक को इसके लिए आरक्षित रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रपति के विचार पर, क्योंकि उनके विचार में, राज्यपाल ने यह निष्कर्ष दर्ज नहीं किया था कि यह असंवैधानिक था, या इस विषय पर मौजूदा केंद्रीय विधान का उल्लंघन करता था या यह विधायी क्षमता से परे था या मौलिक अधिकारों से अपमानित था। संविधान के तहत सभी प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं सरकार के अनुसार थीं विधिवत पालन किया गया। राज्य सरकार की यह आपत्ति राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दिए जाने पर संदेह नहीं कर सकती है। कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद, याचिकाकर्ताओं की ओर से जिन प्रस्तुतियों का आग्रह किया गया था, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

ई. क्या आरक्षण अधिनियम *2018* बी. के. को निरस्त या रद्द करता है*?*

पवित्रा प्रथम

71. बी. के. पवित्रा *I* में निर्णय की नींव नागराज में प्रतिपादित सिद्धांत है कि अनुच्छेद *16 (4* ए*)* में निहित सक्षम शक्ति के प्रयोग को बनाए रखने के लिए, राज्य को मात्रात्मक डेटा एकत्र करके एक "बाध्यकारी आवश्यकता" का प्रदर्शन करने की आवश्यकता हैः *((i)* प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता*; (ii)* पिछड़ेपन*;* और *(iii)* समग्र दक्षता। बी. के. पवित्रा प्रथम के फैसले में कहा गया कि पदोन्नति में आरक्षण और परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने से पहले कर्नाटक राज्य द्वारा ऐसी कोई कवायद नहीं की गई थी। इस आधार पर कि राज्य ने नागराज में उल्लिखित तीन मापदंडों पर मात्रात्मक डेटा एकत्र नहीं किया था, आरक्षण अधिनियम *2002* को

असंवैधानिक माना गया था। नागराज में संविधान पीठ ने अनुच्छेद *16 (4* ए*)* की वैधता को इस आधार पर बरकरार रखा कि सक्षम करने वाली शक्ति का सहारा लेने से पहले राज्य

मात्रात्मक डेटा एकत्र करने और ऊपर उल्लिखित तीन मापदंडों को पूरा करने का अभ्यास करना होता है। बी. के. पवित्रा प्रथम ने अनिवार्य रूप से माना कि इस कवायद को करने में राज्य की ओर से विफलता थी, जो पदोन्नति में आरक्षण देने और परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने के लिए सक्षम करने की शक्ति के प्रयोग के लिए एक पूर्व शर्त थी।

72. बी. के. पवित्रा *I* में निर्णय ने राज्य को परिमाणीय डेटा एकत्र करने की कवायद करने से नहीं रोका ताकि अनुच्छेद *16 (4* ए*)* के तहत सक्षम करने की शक्ति के प्रयोग के लिए शर्तों को पूरा किया जा सके। विधायिका के पास कानून बनाने की पूर्ण शक्ति है।

73. इन सिद्धांतों को इस न्यायालय से उभरते उदाहरणों की एक पंक्ति में लगातार दोहराया गया है। उत्कल ठेकेदारों में और जॉइनरी *(*पी*)* लिमिटेड, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 15. ..... विधायिका, किसी भी समय, संविधान के अनुच्छेद *245* और *246* द्वारा प्रदत्त पूर्ण शक्ति का प्रयोग करते हुए, एक वैध कानून बनाकर न्यायिक निर्णय को अप्रभावी बना सकती है। पूर्वव्यापी कानून के खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी कानून को पारित करने की विधायिका की शक्ति इसे संभावित और साथ ही पूर्वव्यापी रूप से पारित करने की शक्ति को अभिनिर्धारित करती है। यह निश्चित रूप से विधायी क्षमता के अधीन है और अन्य संवैधानिक क्षमताओं के अधीन है

सीमाएँ। विधायी अधिनियम द्वारा उनके आधार को बदलकर सक्षम न्यायालयों के निर्णयों या आदेशों को अप्रभावी बनाना। यह
सभी प्रमाणक कृत्यों का एक सर्वविदित स्वरूप है। इस तरह के मान्य करने वाले कानून जो प्रभावहीनता या कार्रवाई या कार्यवाही की अयोग्यता के कारणों को हटा देते हैं, उन्हें न्यायिक शक्ति पर अतिक्रमण नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, विधायिका एक खुली घोषणा द्वारा, बिना अधिक के, किसी भी न्यायिक निर्णय को सीधे रद्द, उलट या अलग नहीं कर सकती है।

(इस संदर्भ में भी देखें - भुवनेश्वर सिंह बनाम भारत संघ *22*, भारतीय एल्यूमीनियम कंपनी बनाम केरल राज्य

एल्यूमीनियम कंपनी*)*, नारायण सिंह *94* और चेविटी वेंकन्ना यादव*)*।

92 (1994) 6 एससीसी *77* *93 (1996) 7* एस. सी. सी. *637*

94 (2009) 13 एस. सी. सी. *165* बी. के. पावित्र और ओ. आर. एस.

74. विधायिका के पास उस कानून को मान्य करने की शक्ति है जो दुर्बलता को ठीक करके अमान्य पाया जाता है। इस शक्ति के प्रयोग की एक घटना के रूप में, विधायिका प्रावधान बनाने के लिए एक मान्य कानून बना सकती है

*(*संयुक्त प्रांत बनाम प्रथम अतीका बेगम *95 '5* और राय रामकृष्ण बनाम बिहार राज्य*)* पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसले में इन सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया था। निर्णय एक कानून के बीच अंतर करता है जो केवल यह घोषणा करता है कि अदालत का निर्णय बाध्य नहीं करेगा *(*जो विधायिका के लिए अस्वीकार्य है*)* और एक कानून जो मूल रूप से पहले के कानून के आधार को बदल देता है ताकि निर्णय परिवर्तित परिस्थितियों में नहीं दिया गया होता। इस भेद को निम्नलिखित उद्धरण में विस्तार से बताया गया है:

"4. ..... मान लीजिए कि विधायी क्षमता, केवल यह घोषणा करना पर्याप्त नहीं है कि न्यायालय का निर्णय इसके लिए बाध्यकारी नहीं होगा, न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्णय को उलटने के समान है जो विधानमंडल के पास नहीं है या प्रयोग नहीं करता है। अदालत का निर्णय हमेशा बाध्यकारी होना चाहिए जब तक कि जिन शर्तों पर यह आधारित है, उनमें इतना मौलिक परिवर्तन नहीं किया जाता है कि परिवर्तित परिस्थितियों में निर्णय नहीं दिया जा सकता था। आम तौर पर, एक अदालत एक कर को अमान्य रूप से लगाया जाता है क्योंकि कर लगाने की शक्ति की कमी है या क़ानून या नियम या दोनों अमान्य हैं या पर्याप्त रूप से अधिकार क्षेत्र नहीं बनाते हैं। इस प्रकार घोषित कर की वैधता

अवैध केवल तभी किया जा सकता है जब अवैधता या अयोग्यता के आधार को हटाया जा सके और वास्तव में हटा दिया जाए और कर

इस प्रकार कानूनी बना दिया गया। *"9 9 7*

75. टी एन बनाम अरूरन शुगर लिमिटेड *"*के मामले में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने न्यायालय द्वारा पाए गए दोष को ठीक करने के लिए पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाने की विधायिका की शक्ति को मान्यता दी। यह माना गया कि

ऐसा करने में, विधायिका ने किसी रिट को रद्द नहीं किया या न्यायिक शक्ति का अतिक्रमण नहीं किया। कानून में कमी को दूर करने में विधायिका ने अपने अधिकार के दायरे में काम किया। इस न्यायालय ने कहा:

"16 ..... यह विधायिका के लिए खुला है कि वह अदालत द्वारा बताए गए दोष को दूर करे या अधिनियम की परिभाषा या किसी अन्य प्रावधान को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित करे। इस प्रक्रिया में यह नहीं हो सकता है

95 ए. आई. आर. *1941* एफ. सी. *16*

96 (1964) 1 एससीआर *897*

97 पृष्ठों पर सुप्रा *55 286-287* *98 (1997) 1* एस. सी. सी. *326 [2019] 7* एस. सी. आर.

उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की शक्ति पर विधायिका द्वारा अतिक्रमण किया गया है। एक अदालत के निर्देश को हमेशा बाध्य होना चाहिए जब तक कि जिन शर्तों पर यह आधारित है, उन्हें इतना मौलिक रूप से परिवर्तित नहीं किया जाता है कि परिवर्तित परिस्थितियों में ऐसे निर्णय नहीं हो सकते हैं।

दिया गया है। इसमें विचाराधीन निर्णय में बताए गए क़ानून में दोष को हटाना, साथ ही उस अधिनियम के प्रावधानों में परिवर्तन या प्रतिस्थापन करना शामिल होगा, जिस पर ऐसा निर्णय आधारित है, पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ। *9 9*

यही सिद्धांत विरेन्द्र सिंह हुड्डा बनाम हरियाणा राज्य मामले में इस न्यायालय के निर्णय में तैयार किया गया था।

" 59 ..... निहित अधिकारों को पूर्वव्यापी कानून द्वारा किसी निर्णय के आधार को हटाकर छीन लिया जा सकता है जब तक कि संशोधन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। हम स्वीकार नहीं कर सकते

व्यापक प्रस्ताव. कि न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के प्रभाव को विधायिका द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से कानून बनाकर रद्द नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, सवाल उन रिटों के प्रभाव को रद्द करने का नहीं है जो उच्च न्यायालय या इस न्यायालय द्वारा जारी किए जा सकते हैं। सवाल उस आधार को हटाने का है जिसके परिणामस्वरूप ऐसी रिट जारी की गई थी। यदि आधार को एक वैध कानून के अधिनियमन द्वारा रद्द कर दिया जाता है जिसका प्रभाव किसी व्यक्ति को वंचित करने का होता है

एक रिट के तहत उपार्जित लाभ, इस तरह के लाभ से इनकार पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ एक कानून बनाने की शक्ति के लिए आकस्मिक है। इस तरह

शक्ति के प्रयोग को न्यायिक अधिकार हड़पना नहीं माना जा सकता है।

शक्ति। *"1 1*

76. एक अदालत द्वारा एक घोषणा कि एक कानून संवैधानिक रूप से अमान्य है, विधायिका के अधिकार को आधार को सुधारने के लिए बाधित नहीं करता है

जिसे घोषणा अयोग्यता के आधारों को ठीक करके जारी किया गया था।

दोष को ठीक करते समय, अयोग्यता की घोषणा के अंतर्निहित कारणों को समझना आवश्यक है। कारणों का आधार है घोषणा। विधायिका उस आधार को सुधारने के बिना अयोग्यता की घोषणा को केवल ओवरराइड नहीं कर सकती है जिसके आधार पर कानून को अधिकार से बाहर माना गया था। एक कानून को इस आधार पर अमान्य माना जा सकता है कि जिस विधायिका ने कानून बनाया था, उसके पास कोई विधायी क्षमता नहीं थी -

99 पृष्ठ *340* पर आई. बी. आई. *100 (2004) 12* एस. सी. सी. *588*

101 पृष्ठ *616* बी. के. पावित्र और ओ. आर. एस. पर लिखा है। वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

स्वयं एक ऐसे विषय पर योग्यता जिस पर इसे विधायी क्षमता का अभाव माना गया है। हालांकि, एक विधायिका जिसके पास इस विषय पर कानून बनाने की विधायी क्षमता है, वह निश्चित रूप से कदम उठा सकती है और उस क्षेत्र में कानून बना सकती है जिस पर उसके पास विधायी क्षमता है। उदाहरण के लिए, जहां किसी कानून को अमान्य कर दिया गया है

इस विषय पर एक नया कानून बनाने के लिए, सार में मुद्दा यह है कि क्या पुनः अधिनियमित कानून ने नियमों के उल्लंघन को दूर करने के लिए ध्यान रखा है। मौलिक अधिकार जिनके आधार पर पूर्ववर्ती कानून को अमान्य माना गया था। इसलिए असली परीक्षा यह है कि क्या विधायिका ने उस आधार को सुधारने के लिए अपने अधिकार की सीमा के भीतर काम किया है जिसके आधार पर पहले के कानून को संवैधानिक दुर्बलता से पीड़ित माना गया था।

77. याचिकाकर्ताओं ने मदन मोहन पाठक के फैसले पर काफी हद तक भरोसा किया है, जहां एक कानून-द लाइफ है।

बीमा निगम *(*बस्तियों का संशोधन*)* अधिनियम *1976* संसद द्वारा एक ऐसे समझौते को अप्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था जो बोनस के भुगतान के लिए एल. आई. सी. और उसके कर्मचारियों के बीच हुआ था।

कर्मचारियों ने इस कानून को चुनौती दी थी। उस मामले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय का एक निर्णय था जिसने अनिवार्य आदेश जारी करके एक औद्योगिक समझौते के तहत वार्षिक नकद बोनस के कर्मचारियों के अधिकार को प्रभावी बना दिया था। मैंडमस ने पक्षकारों को विवाद के लिए बाध्य किया। इसी पृष्ठभूमि में संविधान पीठ ने

यह मत व्यक्त किया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के प्रभाव को औद्योगिक निपटान को ओवरराइड करने वाले कानून को लागू करके रद्द नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय ने कहाः

" 9 ..... यहाँ कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय, जिस पर याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा किया जाता है, केवल एक घोषणात्मक निर्णय नहीं है जिसमें एक ढोंग या कर को अमान्य माना गया है, ताकि एक सत्यापन क़ानून *[2019] 7* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पूर्वव्यापी प्रभाव से कानून में संशोधन करने वाले निर्णय द्वारा बताए गए दोष को दूर कर सकते हैं और ऐसे ढोंग या कर को मान्य कर सकते हैं। लेकिन यह एक निर्णय है जो जीवन बीमा निगम को इस तरह के बोनस की राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हुए अनिवार्य रिट जारी करके निपटान के तहत याचिकाकर्ताओं के वार्षिक नकद बोनस के अधिकार को प्रभावी बनाता है। यदि तथ्यात्मक या कानूनी स्थिति के पूर्वव्यापी परिवर्तन के कारण, निर्णय को गलत माना जाता है, तो उपचार अपील या समीक्षा के माध्यम से हो सकता है, लेकिन जब तक निर्णय बना रहता है, तब तक इसकी उपेक्षा या उपेक्षा नहीं की जा सकती है और जीवन बीमा निगम द्वारा इसका पालन किया जाना चाहिए। इसलिए हमारा विचार है कि किसी भी स्थिति में, चाहे विवादित अधिनियम संवैधानिक रूप से मान्य हो या नहीं, जीवन बीमा निगम कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश का पालन करने और वर्ष *1* अप्रैल, *1975* से मार्च के लिए वार्षिक नकद बोनस का भुगतान करने के लिए बाध्य है।

31 , 1976 तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए "। *1 02*

78. मदन मोहन पाठक में निर्णय इसलिए है

वर्तमान मामले के तथ्यों से अलग। उपरोक्त टिप्पणियों ने इस संवैधानिक स्थिति को मान्यता दी कि किसी कार्रवाई को अमान्य ठहराने वाले घोषणात्मक निर्णय के मामले में, दोष को दूर करने के लिए एक मान्य कानून की अनुमति है। इस सिद्धांत को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि बी. के. पवित्रा *I* में निर्णय ने आरक्षण अधिनियम *2002* को घोषित किया

अमान्य और अयोग्यता की घोषणा के परिणामस्वरूप, कुछ निर्देश जारी किए गए। यदि जिस आधार पर आरक्षण अधिनियम *2002* को अमान्य माना गया था, उसे एक मान्यकारी कानून द्वारा ठीक किया जाता है, तो इस मामले में आरक्षण अधिनियम *2018*, एक अनुमेय विधायी अभ्यास का गठन करेगा। मदन मोहन पाठक में जिन आधारों को शामिल किया गया था, वे वर्तमान मामले में उपलब्ध नहीं होंगे।

79. मदन मोहन पाठक के फैसले को इस अदालत के कई फैसलों में स्पष्ट किया गया है। इनमें शामिल हैं:

(i) श्री रंगा मैच इंडस्ट्रीज बनाम भारत संघ *1 0 3*, जहां यह आयोजित किया गया था कि:

" 14. उक्त राय के अनुपात की सराहना करते हुए, यह आवश्यक है
इस बुनियादी तथ्य को ध्यान में रखना कि निगम और उसके कर्मचारियों के बीच समझौता किसी कानून या व्यवस्था पर आधारित नहीं था।

102 पृष्ठ *67* पर सुप्रा *56*

103 1994 सप.

(2) एस. सी. सी. *726* पावित्र और ओ. आर. एस. वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

वैधानिक प्रावधान। उप-धारा *18* की धारा *(1)* और *(3)*

औद्योगिक विवाद अधिनियम केवल इस प्रकार की बाध्यकारी प्रकृति प्रदान करता है।

बस्तियाँ; वे बस्तियों का आधार नहीं हैं।

पक्षों के बीच समझौता करने का निर्देश दिया गया था

उच्च न्यायालय द्वारा लागू किया गया। दूसरे शब्दों में, यह नहीं था

एक मामला जहां उच्च न्यायालय ने या तो एक वैधानिक को खारिज कर दिया

न ही यह एक ऐसा मामला था जहाँ एक वैधानिक प्रावधान था एक विशेष तरीके से व्याख्या की गई या निर्देशित किया गया

लागू किया गया। यह भी एक मामला नहीं था जहां वैधानिक

प्रावधान, जिस पर निर्णय आधारित था, में संशोधन किया गया था

या दोष को दूर करने/सुधारने के लिए बदला गया। *1 04*

(जोर दिया गया*)*

((ii) इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी, जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था किः

" 49. मदन मोहन पाठक बनाम। भारत संघ *(1978) 2* एससीसी *50*

: 1978 एससीसी *(*एल एंड एस*) 103: (1978) 3* एस. सी. आर. *334]*

जे. भगवती द्वारा की गई टिप्पणियों से, बहुमत के अनुसार, यह है

स्पष्ट करें कि इस न्यायालय का इरादा यह निर्धारित करने का नहीं था कि

संसद के पास किसी भी परिस्थिति में संशोधन करने की शक्ति नहीं है

अदालत द्वारा बताए गए दोष को हटाने वाला कानून। समान रूप से, मुख्य न्यायाधीश बेग के अवलोकन में समझा जाना है

संदर्भ है कि जब तक द्वारा जारी मैंडमस का प्रभाव न्यायालय को कानूनी और संवैधानिक रूप से अप्रभावी नहीं बनाया गया है,

राज्य निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है। इस प्रकार समझ में आया कि

अप्राप्य है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विद्वान प्रमुख

न्याय का उद्देश्य उस कानून को निर्धारित करना था जिसे अनिवार्य रूप से जारी किया गया था

न्यायालय द्वारा बनाए गए वैध कानून द्वारा न्यायालय को बिल्कुल भी अप्रभावी नहीं बनाया जा सकता है विधायिका, अदालत द्वारा बताए गए दोष को हटाना। *105*

(जोर दिया गया*)*

(iii)। कृषि आयकर अधिकारी बनाम गुडरिक समूह

", यह कहाँ आयोजित किया गया थाः

2 एससीसी *50: 1978* एससीसी *(*एल एंड एस*) 103: (1978) 3* एससीआर *334]* नहीं होगा वर्तमान मामले में तथ्यों को इस सरल कारण से लागू करें कि

i पृष्ठों पर *736-737 r 93* पृष्ठ *660 15) 8 SCC 399 [2019] 7 S. C. R.*

धारा *4*-बी और धारा *78*-सी द्वारा जो पूर्ववत किया गया है, वह किसी उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश नहीं है। जो पूर्ववत किया गया है वह बक्सा डूअर्स टी कंपनी के फैसले का आधार है।

लिमिटेड मामला *[(1989) 3* एस. सी. सी. *211: 1989* एस. सी. सी. *(*कर*) 394]* ग्रामीण रोजगार उपकर और शिक्षा उपकर के लेवी को पूर्वव्यापी रूप से बदलकर। *107 (* जोर दिया गया*)*
80. मदन मोहन पाठक एक ऐसी स्थिति में शामिल थे जहाँ एक

एक औद्योगिक समझौते के तहत बोनस के भुगतान के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जारी एक आदेश को ओवरराइड करने के लिए संसदीय कानून बनाया गया था। इस मामले में ऐसी स्थिति शामिल नहीं थी जहां एक कानून को अधिकार से बाहर माना गया था और कानून की अयोग्यता की घोषणा के आधार को ठीक करने की मांग की गई थी।

81. डॉ. धवन ने बी. के. पवित्रा प्रथम के कानूनी आधार की ओर इशारा किया जैसा कि निष्कर्ष से निम्नलिखित उद्धरण में दिया गया है:

"30. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम इन अपीलों को अनुमति देते हैं, विवादित निर्णय को दरकिनार करते हैं और विवादित अधिनियम के प्रावधानों को इस हद तक घोषित करते हैं कि 'पकड़' नियम को समाप्त कर दिया जाए और संविधान के अनुच्छेद *14* और *16* के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने वाले रोस्टर अंकों के खिलाफ पदोन्नति पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को धारा *3* और *4* के तहत परिणामी वरिष्ठता प्रदान की जाए। *108*

डॉ. धवन पूरी तरह से सही हैं, अगर हम सम्मान के साथ ऐसा कह सकते हैं,

प्रस्तुत करते हुए कि "जो दिखाया जाना है वह यह है कि क्या आरक्षण अधिनियम *2018* कानून में अनुच्छेद *14* और *16* के अनुरूप है"। इसके लिए आरक्षण अधिनियम *2018* की संवैधानिकता की जांच की आवश्यकता है। इसके लिए इस न्यायालय को इस आधार पर चुनौती की जांच करने की आवश्यकता होगी कि अनुच्छेद *14* और *16* में निहित समानता संहिता का उल्लंघन हुआ है।

ई. आई. बी. के. पवित्रा प्रथम का आधार है जिसे लागू करने में ठीक किया गया है

आरक्षण अधिनियम *2018* *82.* आरक्षण अधिनियम *2018* के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इसके अधिनियमन से पहले के विधायी इतिहास को संदर्भित करता है। बी. के. पवित्रा-*1* में आरक्षण अधिनियम *2002* को इस आधार पर अमान्य ठहराए जाने के बाद रत्न प्रभा समिति का गठन किया गया था कि राज्य द्वारा प्रावधान करने की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं दिखाई गई थी।

107 पृष्ठ *407* पर आईबीआईडी *108* पृष्ठ *641* पावित्र और ओ. आर. एस. पर सुप्रा *5*।

वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

नागराज में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रासंगिक डेटा एकत्र करके और गाकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति के मामलों में सहायता।

इसके परिणामस्वरूप रत्न प्रभा समिति का गठन किया गया।

बी. के. में आरक्षण अधिनियम *2002* को अमान्य माना गया है।

ट्रे *I.*

83. उद्देश्यों और कारणों का विवरण नीचे दिया गया है, क्योंकि यह सामग्री हैः

09.02.2017 बी. के. पवित्रा और अन्य बनाम संघ के मामले में *2011* की सिविल अपील संख्या *2368* में भारत और अन्य और संबंधित

परिणामी वरिष्ठता के मुद्दे से निपटने के दौरान मामले

2002 की रिट याचिका संख्या *61* में संविधान पीठ के निर्णय के अनुपात को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किया गया है कि अनुच्छेद *16 (4* ए*)* के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए 'प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता' 'पिछड़ेपन' और 'समग्र दक्षता' का निर्धारण करने के लिए एक उचित अभ्यास आवश्यक है। अदालत ने माना कि अनुपस्थिति में

अनुच्छेद *16 (4* ए*)* के तहत इस अभ्यास के लिए "पकड़" नियम लागू होगा। यह देखने के बाद न्यायालय ने घोषणा की कि

2002 के कर्नाटक अधिनियम *10* की धारा *3* और *4* के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद *14* और *16* के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। माननीय

उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि वरिष्ठता सूचियों में संशोधन किया जाए

तीन महीने के भीतर पूरा किया गया और आगे

माननीय सर्वोच्च के निर्देशों का पालन करने के लिए बी. के. पवित्रा और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य के मामले में *2011* की सिविल अपील संख्या *2368* में सरकार ने सरकारी आदेश संख्या *2368* के माध्यम से आदेश जारी किया है। डी. पी. ए. आर. *182* एस. आर. आर. *2011* दिनांक *06.05.2017* वरिष्ठता सूचियों को संशोधित करने के लिए सभी नियुक्ति अधिकारियों को;

उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, सरकार आवश्यकता पर विचार कर रही है और निर्णय पर ध्यान दे रही है

एम. नागराज की संविधान पीठ ने *2002* की रिट याचिका संख्या *61* में अध्ययन करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम सौंपा है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन पर

राज्य में जनजातियाँ, राज्य सिविल सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और पदोन्नति में आरक्षण का प्रभाव

राज्य प्रशासन, अतिरिक्त मुख्य सचिव को *[2019] 7* एस. सी. आर.

सरकारी आदेश सं। डी. पी. ए. आर. *182* एस. आर. आर. *2011* दिनांक *22.03.2017;*

सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की सहायता से एकत्र किए गए वैज्ञानिक, मात्रात्मक और प्रासंगिक आंकड़ों को इकट्ठा किया है और मात्रात्मक आंकड़ों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन, राज्य सिविल सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और राज्य प्रशासन में पदोन्नति में आरक्षण के प्रभाव पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है

सरकार; यह रिपोर्ट राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन, राज्य सिविल सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और राज्य की समग्र दक्षता की पुष्टि करती है।

विस्तार से प्रशासन प्रभावित या बाधित नहीं हुआ है

राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण और पदोन्नति में आरक्षण जारी रखना। सीमा के भीतर समग्र दक्षता को प्रभावित या बाधित नहीं करेगा

प्रशासन; "

84. वैधानिक व्याख्या का पहला सिद्धांत हमें इस दृष्टिकोण की ओर मार्गदर्शन करता है कि निस्संदेह, उद्देश्यों और कारणों का विवरणः

(i) एक के सादे अर्थ को सीमित करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है

विधान *1 09 109;*

((ii) यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि कोई प्रावधान वैध है या नहीं; और
(iii) उन परिस्थितियों के बारे में निश्चित नहीं हो सकता है जिनमें यह था

1 1 1 पास किया।

[इस संदर्भ में वेलफेयर एसोसिएशन बनाम रंजीत *1 1 2* देखें*]*।

85. किसी कानून की प्रस्तावना उस गड़बड़ी पर विचार करने के लिए एक वैधानिक सहायता हो सकती है जिसे कानून संबोधित करना चाहता है। जबकि यह प्रबल नहीं हो सकता है

कानून के प्रावधानों के अनुसार, यह एक अस्पष्टता *1 1 3 113* को हल करने में सहायता हो सकती है।*9* भाईजी बनाम उप-मंडल अधिकारी, थांडला *(2003) 1* पृष्ठ *700* पर एस. सी. सी. *692,* ए. मंजुला भाषिनी बनाम ए. पी. मोनेन का कुर। वित्त निगम। लिमिटेडः *(2009) 8* एस. सी. सी. *431* पैरा *34,40* ओ. केरल राज्य *(*विद्युत*)* बोर्ड बनाम भारतीय एल्यूमीनियमः *(1976) 1* एससीसी *466*।

1 के. एस. परिपूर्णन बनाम केरल राज्यः *(1994) 5* एस. सी. सी. *593*

2 2 (2003) 9 एस. सी. सी. *358 3 3* बुराकुर कोयला कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघः ए. आई. आर. *1961* एस. सी. *954* पृष्ठों *956-957* बी. के. पावित्र और ओ. आर. एस. पर।

वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

86. डॉ. धवन ने अपनी प्रस्तुतियों के दौरान आरक्षण अधिनियम *2018* में निहित "नए प्रावधानों" पर जोर दिया है। ये

उनके अनुसारः

(i) धारा *2 (*डी*)* जो 'बैकलॉग' को परिभाषित करती है*;*
((ii) धारा *5* जिसके तहत नियुक्ति प्राधिकारी को संशोधित करना है।

और मौजूदा वरिष्ठता सूचियों को फिर से तैयार करें*;*

*((*ग*)* धारा *7* जो कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति से संबंधित है*;*

(iv) धारा *8* जो आरक्षण को निरस्त करने का प्रावधान करती है।

अधिनियम *2002;* और

(v) धारा *9* जो एक प्रमाणक प्रावधान है।

87. आवश्यक मुद्दा जिसे अब इस न्यायालय द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या बी. के. पवित्रा प्रथम में निर्णय का आधार

ठीक हो गया। नागराज में संविधान पीठ के निर्णय में कहा गया है कि इससे पहले कि राज्य अनुच्छेद *16* के खंड *(4* ए*)* और *(4* बी*)* में निहित सक्षम शक्ति का सहारा ले सके, उसे तीन पहलुओं पर "बाध्यकारी कारणों" के अस्तित्व को प्रदर्शित करना चाहिएः *(i)* पिछड़ेपन*; (ii)* प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता*;* और *(iii)* समग्र प्रशासनिक दक्षता। जरनैल में, संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि उपरोक्त कारकों में से पहला-"पिछड़ेपन" का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है। उस हद तक नागराज को इंद्र साहनी की बड़ी पीठ के फैसले के विपरीत माना गया था।

ई. *2.* रत्न प्रभा समिति की रिपोर्ट
88. बी. के. पवित्रा प्रथम में निर्णय *9* फरवरी को दिया गया था।

2017. रत्न प्रभा समिति की स्थापना *22* मार्च *2017* को की गई थी। *4* अगस्त *2017* को एक मंत्रिमंडल उप-समिति द्वारा इसकी रिपोर्ट की जांच की गई और अंततः *7* अगस्त *2017* को मंत्रिमंडल द्वारा इसे मंजूरी दी गई। रत्न प्रभा समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित को सौंपी गई थीः *(i)* सभी सरकारी विभागों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के संवर्गवार प्रतिनिधित्व के बारे में जानकारी एकत्र करना*; (ii)* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के पिछड़ेपन के बारे में जानकारी एकत्र करना।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति*;* और *(iii)* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पदोन्नति के कारण प्रशासन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना। *89.* रिपोर्ट के लिए डॉ. धवन की चुनौती मूल रूप से निम्नलिखित विशेषताओं पर आधारित हैः

(i) बासठ सरकारी विभागों में से केवल इकतीस थे

((ख)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों के लिए कोई आंकड़ा एकत्र नहीं किया गया था।

निगम, स्थानीय निकाय, अनुदान सहायता संस्थान और

स्वायत्त निकाय;

((iii) पीडब्ल्यूडी और केपीटीसीएल में प्रतिनिधित्व अत्यधिक है; *() (iv) (v) () 0 (vi)*

डेटा रिक्ति आधारित है और आवश्यकता के अनुसार पद आधारित नहीं है।

सभरवाल;

डेटा स्वीकृत पदों पर है न कि भरे हुए पदों पर।

डेटा ग्रेड ए, बी, सी और डी पर आधारित है और कैडर आधारित नहीं है।

और

(vii) दक्षता पर, केवल आर्थिक का एक सामान्य संदर्भ है

कर्नाटक राज्य का विकास।

90. उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर, याचिकाकर्ताओं ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति का आह्वान किया है। डॉ. धवन ने जोर देकर कहा कि निर्णय में

नागराज ने अनुच्छेद *16* में लगातार किए गए संवैधानिक संशोधनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

प्रासंगिक आंकड़ों का विश्लेषण करना। यह प्रस्तुत किया जाता है कि रत्न प्रभा समिति की रिपोर्ट में खामियां इंगित करेंगी कि सम्मोहक कारण जो सक्षम करने की शक्ति के प्रयोग की नींव का गठन करते हैं

अनुच्छेद *16* में निहित अनुपस्थित हैं, जिसके परिणामस्वरूप आरक्षण अधिनियम *2018* अमान्य हो जाना चाहिए। *91.* इससे पहले कि हम रत्न प्रभा समिति की रिपोर्ट पर हमले के गुण-दोष पर विचार करें, यह आवश्यक है कि हम उन मापदंडों को निर्धारित करें जिन पर न्यायिक समीक्षा का प्रयोग किया जा सकता है। अनिवार्य रूप से, याचिकाकर्ताओं को इस न्यायालय से जिस अभ्यास की आवश्यकता है, वह नागराज में निर्धारित दो पहलुओं पर राज्य द्वारा डेटा के अंतर्निहित संग्रह की जांच करना है, जैसा कि अब जरनैल द्वारा स्पष्ट किया गया है: *((i)* प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता और *(ii)* प्रशासन में दक्षता पर प्रभाव।

अनुच्छेद *16* के खंड *(4)* में सशक्तीकरण के लिए एक सक्षम प्रावधान है।

राज्य नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों में आरक्षण करेगा "जिसका राज्य की राय में, राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है"। खंड *(4 ए)* में एक सक्षम प्रावधान है जो राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में राज्य के तहत सेवाओं में पदों या पदों के वर्गों में परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने की अनुमति देता है। खंड

(4 क) "जो राज्य की राय में बी. के. पावित्र और ओ. आर. एस. नहीं हैं" अभिव्यक्ति का भी उपयोग करता है।

वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व "। इंद्र साहनी में, संतुष्टि की प्रकृति का अर्थ लगाते हुए जिसे करना पड़ता है

राज्य द्वारा पहुँचा जाए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 798 ..... खंड *(4)* की भाषा यह स्पष्ट करती है कि यह प्रश्न कि क्या नागरिकों के पिछड़े वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

राज्य के अधीन सेवाओं में कार्य करना राज्य की व्यक्तिपरक संतुष्टि के भीतर का मामला है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि उक्त आवश्यकता से पहले "राज्य की राय में" शब्द होते हैं।
यह राय राज्य द्वारा अपने दम पर बनाई जा सकती है, अर्थात उस सामग्री के आधार पर जो उसके पास पहले से है या वह

आयोग/समिति, व्यक्ति या प्राधिकरण के माध्यम से ऐसी सामग्री एकत्र करें। बस इतना ही आवश्यक है कि कुछ ऐसी सामग्री होनी चाहिए जिस पर राय बनाई गई हो। वास्तव में, इस मामले में अदालत

राज्य की राय का उचित सम्मान करना चाहिए, जिसका अर्थ वर्तमान संदर्भ में कार्यपालिका है। कार्यपालक है

समाज में मौजूदा स्थितियों को जानना चाहिए, क्योंकि यह संसद में लोगों के प्रतिनिधियों के बीच से है / विधायिका। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि बनाई गई राय पूरी तरह से न्यायिक जांच से परे है। का दायरा और पहुँच

व्यक्तिपरक संतुष्टि के भीतर मामलों में न्यायिक जांच

बेरियम में कार्यपालिका को अच्छी तरह से और व्यापक रूप से बताया गया है।

केमिकल्स वी. कंपनी लॉ बोर्ड *[1966* एस. सी. आर. *311:* ए. आई. आर. *1967* एस. सी. *295]* जिसे यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि उक्त सिद्धांत अनुच्छेद *16 (4)* जैसे संवैधानिक प्रावधान के मामले में समान रूप से लागू होते हैं जो स्पष्ट रूप से विशेष तथ्य *(*अपर्याप्त प्रतिनिधित्व*)* को राज्य/कार्यपालिका के व्यक्तिपरक निर्णय के भीतर रखता है। *114 (* जोर दें।

आपूर्ति की गई*)*

इंद्र साहनी में निर्णय से उपरोक्त उद्धरण दो पारस्परिक पूरक और सुदृढ़ीकरण सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। पहला सिद्धांत यह है कि राज्य की कार्यकारी शाखा मौजूदा परिस्थितियों से अवगत है। विधायिका अपने

निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। एक सक्षम विधायिका द्वारा अधिनियमित कानून की संवैधानिकता का अनुमान खुद को संवैधानिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांत से जोड़ता है कि विधायिका उन लोगों के प्रति जवाबदेह है जो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। सामूहिक रूप से, कार्यपालिका और विधायिका को सामाजिक सुरक्षा का संवैधानिक कर्तव्य सौंपा गया है।

114 पृष्ठ *728 [2019] 7* एस. सी. आर. पर सुप्रा *13*।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कल्याण। इस न्यायालय ने अमालगामेटेड टी एस्टेट्स कंपनी लिमिटेड *v* में समझाया केरल राज्य *1 1 5 115*, संवैधानिकता के सिद्धांतों के लिए तर्कः

*" 11.*किसी कानून को संवैधानिक मानने का कारण यह है कि विधायिका विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों की स्थानीय स्थितियों और परिस्थितियों और विशेष जरूरतों का सबसे अच्छा न्यायाधीश है। *(टी)* विधायिका विशेष वर्गों की जरूरतों का सबसे अच्छा न्यायाधीश है और बुराई की डिग्री का अनुमान लगाने के लिए ताकि अस्तित्व में पाई गई आवश्यकता के अनुसार अपने कानून को समायोजित किया जा सके। *116*

इस सिद्धांत को वी सी शुक्ला बनाम राज्य *(*दिल्ली प्रशासन*) 1 1 7* में दोहराया गया थाः

" 11 ..... इसके अलावा, जो विधायिका लोगों की जरूरतों और आवश्यकताओं को समझने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है, उसे चयन या भेदभाव करने के लिए पर्याप्त अक्षांश दिया जाना चाहिए।

और जब तक ऐसा चयन मनमाना नहीं है और अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसका तर्कसंगत आधार है, तब तक अनुच्छेद *14* आकर्षित नहीं होगा। यही कारण है कि इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि अनुमान हमेशा किसी अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में होता है और यह दिखाने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर है जो क़ानून पर हमला करता है कि संविधान की संवैधानिक अवधारणा का उल्लंघन किया गया है।

समानता "। *118*

92. हाल ही में, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम सतपाल सैनी *1 1 9 11* में इस पर जोर दिया गया थाः

" 12 ..... नीतियों को तैयार करने का कर्तव्य कार्यपालिका को सौंपा गया है जिसकी जवाबदेही विधायिका और उसके माध्यम से लोगों के प्रति है। गलत नीति अपनाने का खतरा लोकतांत्रिक में निहित है।

जनता के प्रति उत्तरदायित्व। *120*

93. सुदृढ़ करने वाले सिद्धांतों में से दूसरा जो उभरता है

इंद्रा साहनी का मानना है कि राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता पर सरकार की राय एक ऐसा मामला है जो राज्य की व्यक्तिपरक संतुष्टि का एक हिस्सा है। महत्वपूर्ण रूप से, इंद्र साहनी के उद्धरण ने बेरियम केमिकल्स लिमिटेड में निर्णय के लिए पहले के विज्ञापनों को पुनः प्रस्तुत किया, जो इस बात पर जोर देता है कि कब

116 पृष्ठ *420* पर आई. बी. आई. *117 (1980)* पूरक एस. सी. सी. *249*

118 पृष्ठ *259* पर आई. बी. आई.

119 (2017) 11 एस. सी. सी *42*

120 पृष्ठ *47* पावित्र और ओआरएस पर लिखा है।

वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

थोरिटि के पास एक राय बनाने की शक्ति निहित है, यह प्राधिकरण के लिए अपनी राय को प्रतिस्थापित करने के लिए अदालत के लिए खुला नहीं है, और न ही प्राधिकरण की राय को औचित्य या योग्यता के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। नागराज में, प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता या शत्रुता पर प्रभाव के मूल्यांकन को नियंत्रित करने वाले मापदंडों पर विचार करते हुए, संविधान पीठ ने कहाः

" 45 ..... हालांकि, बुनियादी धारणा यह है कि यह है राज्य जो परिभाषित करने और मापने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है

योग्यता को परिभाषित करने और मापने में त्रुटियों से उत्पन्न होना। इसी तरह, "आरक्षण की सीमा" की अवधारणा पूर्ण नहीं है।

अवधारणा और योग्यता की तरह यह संदर्भ-विशिष्ट है।

.....

49. आरक्षण जाति को पार करने के लिए आवश्यक है न कि इसे बनाए रखने के लिए। आरक्षण का उपयोग सीमित अर्थों में किया जाना चाहिए अन्यथा यह देश में जातिवाद को कायम रखेगा। आरक्षण एक विशेष औचित्य द्वारा लिखा जाता है। अनुच्छेद *16 (1)* में समानता व्यक्तिगत-विशिष्ट है जबकि अनुच्छेद *16 (4)* और अनुच्छेद *16 (4* ए*)* में आरक्षण सक्षम कर रहा है। हालाँकि, राज्य का विवेकाधिकार "पिछड़ेपन" और "अपर्याप्तता" के अस्तित्व के अधीन है।

सार्वजनिक रोजगार में प्रतिनिधित्व। पिछड़ेपन होना चाहिए

वस्तुनिष्ठ कारकों पर आधारित जबकि अपर्याप्तता को तथ्यात्मक रूप से होना चाहिए

मौजूद है। यही वह जगह है जहाँ न्यायिक समीक्षा आती है। हालांकि,

क्या किसी मामले में आरक्षण वांछनीय है या नहीं, के रूप में

एक नीति, हमारे लिए निर्णय लेने के लिए नहीं है जब तक कि मापदंड अनुच्छेद *16 (4)* और *16 (4* ए*)* में उल्लिखित हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, समानता, न्याय और योग्यता *(*अनुच्छेद *335)/*दक्षता

चर जिन्हें केवल द्वारा पहचाना और मापा जा सकता है

राज्य।

102 ..... समानता, न्याय और दक्षता परिवर्तनशील कारक हैं। ये कारक संदर्भ-विशिष्ट हैं। इन तीन कारकों की पहचान करने और मापने के लिए कोई निश्चित पैमाना नहीं है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। *121 (* जोर दें।

आपूर्ति की गई*)*

या *6* पृष्ठों पर *249-250 [2019] 7* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

94. पदोन्नति पदों में प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए राज्य सरकारों में विवेक का तत्व एक बार फिर निहित है जरनैल में निर्णय के निम्नलिखित उद्धरण में जोर दिया गया है:

" 35 ..... हमारे अनुसार, नागराज ने समझदारी से परीक्षा छोड़ दी है।

प्रचार में प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता का निर्धारण करना

समग्र रूप से जनसंख्या को ध्यान में रखा जाता है, ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या को कम किया जा सके
एक ऊपर जाता है। इसका सीधा सा कारण यह है कि हर बार पदोन्नति होने पर प्रशासन की दक्षता पर ध्यान देना पड़ता है। जैसा कि इंद्र साहनी में बी. पी. जीवन रेड्डी, जे. के फैसले में बताया गया है, शीर्ष पर कुछ पद हो सकते हैं, जहां आरक्षण पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इस कारण से, हम यह स्पष्ट करते हैं कि अनुच्छेद *16 (4* ए*)* को भाषा में जोड़ा गया है जो इसे पर्याप्त रूप से निर्धारित करने के लिए राज्यों पर छोड़ देगा।

प्रचार पद के आधार पर प्रतिनिधित्व कि

सवाल में है "। *122 (* जोर दिया गया*)*

95. इस पहलू पर याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए,

इस न्यायालय के लिए यह प्रासंगिक है कि प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता और दक्षता पर प्रभाव पर राज्य द्वारा डेटा के अंतर्निहित संग्रह की जांच के संदर्भ में, औचित्य और पर्याप्तता से संबंधित मामलों पर न्यायिक शक्ति का उपयोग किस चौकसी के साथ किया जाना चाहिए। न्यायालय, सबसे बढ़कर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए समानता के मूल अधिकार को लागू करने के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित एक कानून की वैधता पर विचार कर रहा है। न्यायिक समीक्षा को इसलिए यह निर्धारित करके पारंपरिक श्रेणियों को पार करना चाहिए कि क्या रत्न प्रभा समिति की रिपोर्ट में ऐसी सामग्री पर विचार किया गया है जो अप्रासंगिक या बाहरी थी या जिसने ऐसा निष्कर्ष निकाला था जिसे कोई भी उचित व्यक्ति नहीं अपना सकता था। इस क्षेत्र में, यह तथ्य कि दृष्टिकोण की एक वैकल्पिक रेखा संभव थी या यहां तक कि वांछनीय भी प्रतीत हो सकती है,

न्यायालय द्वारा निर्णय लेने वाले प्राधिकरण की धारणा के लिए आधार जो विधायी क्षेत्र में विधायी निकाय को और प्रशासनिक क्षेत्र में सरकार की कार्यकारी शाखा को सौंपा गया है।

96. प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर, रत्न प्रभा समिति की रिपोर्ट से जो सारांश निकलता है, वह इस प्रकार हैः

122 पृष्ठ *430* पावित्र और ओ. आर. एस. पर ऊपर *49.*

वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

" 2.5 : सारांशः *1)* राज्य सरकार के *31* विभागों में पिछले *32* वर्षों *(1986* को छोड़कर*)* के लिए एकत्र किए गए समय श्रृंखला आंकड़ों का विश्लेषण राज्य सरकार के विभिन्न संवर्गों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर समृद्ध जानकारी प्रदान करता है।

3) रिक्तियों या पदों को प्रत्यक्ष भर्ती *(*डी. आर.*)* और परिणामी पदोन्नति सहित पदोन्नति के माध्यम से भरा जाता है। *4)* कुल स्वीकृत पदों की तुलना में सभी *31* विभागों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों का समग्र प्रतिनिधित्व

इसमें क्रमशः *10.65* प्रतिशत और *2.92* प्रतिशत शामिल हैं। यह एससी और एसटी के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को साबित करता है। *5)* औसतन अनुसूचित जातियों के लिए संवर्ग ए में प्रतिनिधित्व *12.07* प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए *2.7* प्रतिशत है जो प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को पर्याप्त रूप से साबित करता है।

6) अध्ययन अवधि के सभी वर्षों के लिए संवर्ग बी में प्रतिनिधित्व की सीमा औसतन *9.79* प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए *2.34* प्रतिशत है।

7) यह देखा गया है कि संवर्ग 'सी' में औसतन *3* प्रतिशत से *5* प्रतिशत अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए *0* प्रतिशत से *5* प्रतिशत अधिक प्रतिनिधित्व देखा गया है।

9) संवर्ग ए, बी और सी में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व औसतन *12,9.79* और *12.04* प्रतिशत है जबकि संवर्ग डी में यह *16.91* है। *10)* ए और बी संवर्ग में अनुसूचित जनजातियों के मामले में प्रतिनिधित्व *2.7* और *2.34* प्रतिशत है। हालांकि, समूह सी और समूह डी के मामले में क्रमशः *0.14* और *0.93* प्रतिशत का अतिरिक्त प्रतिनिधित्व पाया जाता है।

11) कुछ वर्षों और विभागों में अधिक प्रतिनिधित्व का श्रेय दिया जाता है।

बैकलॉग रिक्तियों में वृद्धि क्योंकि बाद की रिक्तियां प्रति वर्ष *50* से कम नहीं होती हैं
आरक्षण की प्रतिशत सीमा।

2.6 : निष्कर्षः

आंकड़े स्पष्ट रूप से अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शाते हैं

और समूह ए, बी और सी में सिविल सेवाओं में एसटी और पर्याप्त

समूह डी में प्रतिनिधित्व "। *97.* आंकड़ों का संग्रह और उनका विश्लेषण अलग-अलग तरीकों से नियंत्रित होता है।

सामाजिक विज्ञान में अक्सर अलग-अलग दृष्टिकोण। एक जानकारीपूर्ण

अनुभवजन्य राजनीतिक विश्लेषण-मात्रात्मक गुणात्मक अनुसंधान विधियां *1 23* शीर्षक वाले विषय पर आई. एस. ई. ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान का उपयोग करने के बीच अंतर करता है। पाठ एक ओर अनुभवजन्य विश्लेषण और दूसरी ओर मानक विश्लेषण की व्याख्या करने का प्रयास करता है:

"समाज वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने और प्राप्त करने के बीच अंतर करते हैं। ज्ञान का उपयोग करें। तथ्यात्मक वास्तविकताओं से निपटने को अनुभवजन्य कहा जाता है।

विश्लेषण करें। इससे निपटना कि हमें अपने ज्ञान का उपयोग कैसे करना चाहिए

विश्व को मानक विश्लेषण कहा जाता है।

अनुभवजन्य विश्लेषण एक के विकास और उपयोग से संबंधित है

वास्तविकता का वर्णन और व्याख्या करने के लिए सामान्य, वस्तुनिष्ठ भाषा। यह. यह मात्रात्मक या गुणात्मक हो सकता है। मात्रात्मक विश्लेषण आधारित हैं।

विभिन्न की विशेषताओं की गणित-आधारित तुलना पर जिन वस्तुओं या घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं। गुणात्मक विश्लेषण आधारित हैं।

शोधकर्ता की सूचित और प्रासंगिक समझ पर

वस्तुएँ या घटनाएँ।

मानक विश्लेषण विकास और परीक्षण से संबंधित है।

निर्णय लेने में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए व्यक्तिपरक मूल्य और नैतिक नियम और

वास्तविकता के बारे में हमने जो सीखा है उसे लागू करना। हालांकि जोर

व्यापक, मानक परिप्रेक्ष्य की सराहना जिसके भीतर ज्ञान अर्जित किया जाता है, व्याख्या की जाती है, और एक के माध्यम से लागू किया जाता है

शोध की नैतिकता की चर्चा।

एक अनुभवजन्य आधार के बिना मानक विश्लेषण नेतृत्व कर सकता है

उन निर्णयों को महत्व देना जो वास्तविकता के संपर्क से बाहर हैं। अनुभवजन्य

संस्करण, रिचर्ड सी रिच, क्रेग लियोनार्ड ब्रायन्स, जारोल बी मैनहेम और लार्स बी

इनाट, लॉन्गमैन पब्लिशर्स बी. के. पावित्र और ओ. आर. एस.

वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]*

दूसरी ओर, मानक संबंधी चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता के अभाव में विश्लेषण उन टिप्पणियों के संग्रह की ओर ले जा सकता है जिनके महत्व को हम पूरी तरह से समझने के लिए तैयार नहीं हैं। राजनीतिक जाँच शुरू करने का उद्देश्य अनुभवजन्य और मानक दोनों प्रकार के विश्लेषणों पर ध्यान आकर्षित करना है- ताकि न केवल हमारे तथ्यात्मक ज्ञान को अधिकतम किया जा सके, बल्कि उन तथ्यों का उपयोग करने की हमारी क्षमता को भी बढ़ाया जा सके जिन्हें हम बुद्धिमानी से खोजते हैं।

98. रत्न प्रभा समिति द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली का समर्थन करते हुए, सुश्री इंदिरा जयसिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील

इस बात पर जोर दिया किः

इसे छोड़ दें और सिवाय इसके कि जहां राष्ट्रीय जनगणना प्रस्तावित है

((i)

आयोजित, डेटा संग्रह वैध नमूनाकरण विधियों पर आधारित है

जिन पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं*;*

अनुसंधान पद्धति गुणात्मक होने के साथ-साथ मात्रात्मक भी हो सकती है।

((ख)

– वर्तमान मामला मात्रात्मक डेटा के संग्रह से संबंधित है*;*

नमूना सर्वेक्षण के आधार पर मात्रात्मक डेटा भी एकत्र किया जाता है।

(iii)

इस मामले में, अध्ययन का उद्देश्य प्रचार पदों में प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता पर डेटा एकत्र करना था और जो नमूना चुना गया था वह एक प्रतिनिधि नमूना था जिसमें से

निष्कर्ष निकाले गए थे*;* और

((iv)

कर्नाटक राज्य द्वारा किए गए अध्ययन में, एक
पदोन्नति पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों की संख्या समूहवार एकत्र की गई थी। इन समूहों में कैडर शामिल हैं। इसलिए, यह तर्कसंगत है कि यदि किसी समूह के संबंध में डेटा एकत्र किया जाता है, तो इसमें कैडर से संबंधित डेटा भी शामिल होगा क्योंकि समूह के भीतर प्रत्येक कैडर से सांख्यिकीय रूप से पूछताछ की गई है।

99. हम उपरोक्त प्रस्तुतियों में योग्यता पाते हैं। कार्यप्रणाली

जिसे रत्न प्रभा समिति द्वारा अपनाया गया था, उसे पारंपरिक सामाजिक विज्ञान पद्धतियों से अलग नहीं दिखाया गया है। हम यह पता लगाने में असमर्थ हैं कि समिति ने अपने निष्कर्ष किसी भी बाहरी या अप्रासंगिक सामग्री पर आधारित किए हैं। नमूना लेने की पद्धतियों को अपनाने में, समिति को मनमाने ढंग से कार्य करने के लिए नहीं माना जा सकता है। यदि, जैसा कि हमने ऊपर माना है, डेटा के संग्रह के लिए नमूनाकरण एक वैध पद्धति है, तो आवश्यक परिणाम यह है कि अभ्यास नहीं किया जा सकता है केवल इस आधार पर अमान्य किया गया कि किसी विशेष विभाग या कुछ संस्थाओं से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण नहीं किया गया था। जो आँकड़े एकत्र किए गए थे, वे उन इकतीस विभागों से संबंधित थे जो चरित्र में प्रतिनिधि हैं। राज्य ने उन आंकड़ों का विश्लेषण किया है जो प्रासंगिक हैं और *[2019] 7* एस. सी. आर.

प्रतिनिधि, अपने निष्कर्ष निकालने से पहले। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर सीमाएँ हैं।

तथ्यात्मक क्षेत्र जिसमें डेटा एकत्र करना, मिलान और विश्लेषण शामिल है।

100. डॉ. धवन ने इस उद्देश्य के लिए बड़ी मेहनत से चार्ट संकलित किए हैं।

उसका तर्क। हम इस स्तर पर यह भी नोट कर सकते हैं कि डॉ. धवन द्वारा भरोसा किए गए चार्ट के जवाब में सुश्री जयसिंह को रिकॉर्ड चार्ट पर भी रखा गया है जो दर्शाता हैः

((i)

एससी और एसटी कर्मचारियों के पदच्युत होने के बाद वर्तमान प्रतिनिधित्व

कर्नाटक के पीडब्ल्यूडी में;

((ख)

पीडब्ल्यूडी में परिणामी वरिष्ठता के बिना; और
बिना कार्यकारी अभियंता के पद पर संबंधित आंकड़े

(iii)

पीडब्ल्यूडी में परिणामी वरिष्ठता।

101. हमारा विचार है कि एक बार विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार द्वारा एक राय बनाई गई है। समिति जिसने प्रासंगिक आंकड़ों को एकत्र किया, एकत्र किया और उनका विश्लेषण किया, न्यायालय के लिए यह अभिनिर्धारित करना असंभव है कि नागराज द्वारा राज्य को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक ठोस कारण स्थापित नहीं किए गए हैं।

भले ही डेटा संग्रह में कुछ त्रुटियां हों, लेकिन यह उस कानून के अमान्य होने को उचित नहीं ठहराएगा जिसे लागू करने की सक्षम विधायिका की शक्ति थी। बी. के. पवित्रा प्रथम में निर्णय के बाद, आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए रत्न प्रभा समिति को सही ढंग से नियुक्त किया गया था।

व्यायाम करें। एक बार यह अभ्यास पूरा हो जाने के बाद, न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति का पुनः मूल्यांकन करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। अभिलेख पर तथ्यात्मक सामग्री।

102. प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता का मूल्यांकन पर्याप्तता पर एक मानक के संदर्भ में किया जाना चाहिए। परंपरागत रूप से, राज्य और केंद्र सरकारों ने पर्याप्तता के उपाय के रूप में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के प्रतिशत को उनकी जनसंख्या के प्रतिशत से जोड़ा है। संविधान पीठ ने सभरवाल में इस पर ध्यान दिया, जहाँ उसने कहा:

"*4.* जब किसी विशेष संवर्ग के संबंध में आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित किया जाता है और रोस्टर आरक्षित अंकों को इंगित करता है, तो यह माना जाना चाहिए कि आरक्षित बिंदुओं पर दिखाए गए पदों को आरक्षित श्रेणियों के सदस्यों में से भरा जाना है और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार आरक्षित पदों के लिए विचार किए जाने के हकदार नहीं हैं। दूसरी ओर रिजर्व पावित्र और ओआरएस।

वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

श्रेणी के उम्मीदवार गैर-आरक्षित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और उक्त पदों पर उनकी नियुक्ति की स्थिति में उनकी संख्या को जोड़ा नहीं जा सकता है और आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जा सकता है। के संविधान का अनुच्छेद *16 (4)*

भारत राज्य सरकार को किसी भी पिछड़े के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान करने की अनुमति देता है। नागरिकों का वर्ग जो राज्य की राय में पर्याप्त रूप से नहीं है

इसका सख्ती से पालन किया जाए। निर्धारित प्रतिशत को केवल इसलिए बदला या बदला नहीं जा सकता है क्योंकि पिछड़े वर्ग के कुछ सदस्यों को पहले ही सामान्य सीटों के खिलाफ नियुक्त/पदोन्नत किया जा चुका है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रोस्टर बिंदु को उक्त वर्ग के सदस्य की नियुक्ति/पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना है। किसी भी सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को रोस्टर में एक स्थान के खिलाफ नियुक्त नहीं किया जा सकता है जो इसके लिए आरक्षित है पिछड़ा वर्ग। *"124*

इसे आगे बढ़ाते हुए, संविधान पीठ ने निर्णय दिया:

संबंधित नियुक्तियों के समय तक काम करने के लिए सूची पदोन्नति उन पदों पर होती है जो रोस्टर में उनके लिए होते हैं। "

24 पृष्ठ *750* पर

मैं पृष्ठ *751 [2019] 7* एस. सी. आर. पर हूँ।

नतीजतन, यह राज्य के लिए आरक्षण करने के लिए खुला है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति सामान्य आबादी में उनके प्रतिनिधित्व के अनुपात में।

103. याचिकाकर्ताओं की ओर से जिन प्रस्तुतियों का आग्रह किया गया है, उनमें से एक यह है कि आरक्षण की गणना इसके संदर्भ में की जानी चाहिए -

ऐसे पद जो वास्तव में भरे हुए हैं या काम करने की क्षमता है और स्वीकृत पदों के संदर्भ में नहीं हैं। इस निवेदन का जवाब सभरवाल में निर्णय द्वारा दिया जाता है, जिसमें कहा गया है कि आरक्षण के प्रतिशत को पदों की संख्या के संबंध में तैयार किया जाना चाहिए जो कैडर संख्या का हिस्सा हैं। संविधान पीठ ने कहाः

"*6.* आरक्षण प्रदान करने वाले कार्यकारी निर्देशों में अक्सर 'पद' और 'रिक्तियां' शब्दों का उपयोग किया जाता है।

समस्याग्रस्त। 'पद' शब्द का अर्थ है नियुक्ति, नौकरी, कार्यालय या रोजगार। एक पद जिस पर एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है।

'रिक्ति का अर्थ है एक खाली पद या कार्यालय। दोनों अभिव्यक्तियों का सादा अर्थ यह स्पष्ट करता है कि 'रिक्ति' होने के लिए एक 'पद' मौजूद होना चाहिए। संवर्ग-शक्ति को हमेशा पदों की संख्या से मापा जाता है जिसमें कैडर। नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के अधिकार का दावा केवल एक संवर्ग में एक पद के संबंध में किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप

आरक्षण का प्रतिशत तय करना होगा

ताकत। आरक्षण के प्रतिशत के संचालन में 'रिक्ति' की अवधारणा की कोई प्रासंगिकता नहीं है। *126 (* जोर दें। आपूर्ति की गई*)*

इसी तरह, नागराज में, संविधान पीठ ने निर्णय दियाः

"*83.* हमारे विचार में, उपयुक्त सरकार को रोस्टर के संचालन में एक इकाई के रूप में कैडर की ताकत को लागू करना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या किसी दिए गए वर्ग/समूह का सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। एक इकाई के रूप में संवर्ग की ताकत यह भी सुनिश्चित करती है कि

50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है। इसके अलावा, सूची पोस्ट की जानी चाहिए

विशिष्ट और रिक्तियों पर आधारित नहीं। " *127*

अतः यह निवेदन कि कोटा की गणना उन पदों के आधार पर की जानी चाहिए जो वास्तव में भरे गए हैं न कि स्वीकृत पदों के आधार पर।

पद स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं।

126 पृष्ठों *751-752* पर आई. बी. आई. डी.

127 पृष्ठ *261* पर सुप्रा *6* बी के पावित्र और ओआरएस।

वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

104. हम इस आधार पर रत्न प्रभा समिति की रिपोर्ट को चुनौती देने में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि डेटा का संग्रह कैडर के विपरीत समूह ए, बी, सी और डी के आधार पर किया गया था। एक बात के लिए, 'कैडर' अभिव्यक्ति का सेवा में कोई निश्चित अर्थ नहीं है।

न्यायशास्त्र। लेकिन इसके अलावा, नागराज को राज्य के तहत सेवाओं में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर अन्य बातों के साथ-साथ मात्रात्मक डेटा के संग्रह की आवश्यकता है। अनुच्छेद *16* का खंड *4* ए विशेष रूप से राज्य के तहत सेवाओं में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को संदर्भित करता है। समूह ए से डी के आधार पर आंकड़ों का संग्रह बहुत अधिक नहीं है।

प्रकृति संवर्गों से संबंधित आंकड़ों को बाहर करती है। राज्य ने वर्तमान मामले में कई कैडरों वाले समूह ए से डी में एससी और एसटी के लिए आरक्षण की सीमा का अध्ययन किया है। चूंकि, समूह में उस समूह के सभी संवर्गों के पद शामिल हैं, इसलिए तार्किक रूप से यह माना जा सकता है कि राज्य ने संवर्गों में पदोन्नति पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व पर भी मात्रात्मक डेटा एकत्र किया है।

105. इस मामले का एक अन्य पहलू यह है कि इंदिरा साहनी मामले में न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी के फैसले में यह कहा गया था कि अनुच्छेद *16 (4)* सांप्रदायिक आधार पर काम नहीं करता है। इसलिए, यदि किसी आरक्षित श्रेणी से संबंधित सदस्य का चयन सामान्य श्रेणी में किया जाता है, तो चयन आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित कोटे के खिलाफ नहीं गिना जाएगा। सभरवाल में निर्णय ने यह भी नोट किया कि जबकि उम्मीदवार

आवेदकों के बड़े वर्ग में अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्ति शामिल हैं और एसटीएस। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के उन पदों से दूर रहने के परिणामस्वरूप समूह डी पदों में अत्यधिक प्रतिनिधित्व आरक्षित श्रेणी से भर्ती किए गए समूह डी कर्मचारियों को पदोन्नति से इनकार करने के लिए एक वैध या तार्किक आधार नहीं हो सकता है।

एफ. महत्वपूर्ण बनाम औपचारिक समानता

106. वर्तमान मामले का मूल समानता की संवैधानिक सामग्री पर आधारित है।

107. समानता को वास्तव में प्रभावी या मूल होने के लिए, सिद्धांत को समाज में मौजूदा असमानताओं को पहचानना चाहिए ताकि उन्हें दूर किया जा सके।

इस प्रकार आरक्षण अवसर की समानता के नियम का अपवाद नहीं है। बल्कि वे उन संरचनात्मक स्थितियों के लिए लेखांकन द्वारा प्रभावी और मूल समानता की वास्तविक पूर्ति हैं जिनमें *[2019] 7* एस. सी. आर.

लोग जन्म लेते हैं। यदि अनुच्छेद *16 (1)* केवल अवसर की औपचारिक समानता के सिद्धांत को स्वीकार करता है, तो अनुच्छेद *16 (4) (*मौजूदा असमानताओं के कारण आरक्षण को सक्षम करके*)* औपचारिक समानता के सख्त नियम का अपवाद बन जाता है।

अनुच्छेद *16 (1)* में समानता। हालाँकि, यदि अनुच्छेद *16 (1)* स्वयं मूल समानता के सिद्धांत को निर्धारित करता है *(*जिसमें मौजूदा समानता की मान्यता भी शामिल है*)*। असमानताएँ*)* तब अनुच्छेद *16 (4)* बन जाता है-अनुच्छेद *16 (1)* में निर्धारित मूल समानता के नियम के एक विशेष पहलू का प्रतिपादन।

एफ. आई. संविधान सभा की अनुच्छेद की समझ

16 (4)

(आई*)*। समाज में मौजूदा असमानताओं को दूर करने के लिए आरक्षण

(ए*)*। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि संविधान सभा के सदस्यों ने माना कि *(i)* भारतीय समाज गहरी संरचनात्मक असमानताओं से पीड़ित था; और *(ii)* संविधान उन्हें दूर करने के लिए एक परिवर्तनकारी दस्तावेज के रूप में काम करेगा। इन असमानताओं पर काबू पाने का एक तरीका विधानसभाओं और राज्य सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है। इसलिए, आरक्षण का समर्थन करने वाले संविधान सभा के सदस्यों के लिए, एक प्रमुख तर्क

संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को शामिल करना जाति संरचना के भीतर भेदभाव और पूर्वाग्रह के आधार पर समाज में असमानताओं का अस्तित्व था। इसका प्रमाण सदस्यों द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के समर्थन में दिए गए बयानों से मिलता है। उदाहरण के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए विधायी आरक्षण के संदर्भ में

मोनोमोहन दास ने उल्लेख कियाः

..... इसलिए, अल्पसंख्यक समिति की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जातियों की अत्यंत निम्न शैक्षिक और आर्थिक स्थितियों और गंभीर सामाजिक अक्षमताओं के कारण वे राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। उन्हें सीटों का आरक्षण दिया गया था। "

(ख*)* प्रो. यशवंत राय ने रोजगार में पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण का समर्थन करने के लिए इसी तरह के बयानों का इस्तेमाल कियाः

..... इसलिए, यदि आप उन्हें समान दर्जा देना चाहते हैं

ऐसे समुदाय जो पिछड़े और अवसादग्रस्त हैं
जिन पर हजारों वर्षों से अन्याय हो रहा है और यदि आप भारतीय एकता स्थापित करना चाहते हैं, ताकि देश

128 (खंड *XI) 25* अगस्त *1949* को बहस।

बी के पावित्र और ओआरएस। वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

प्रगति और ताकि देश में कई दल गरीबों को गुमराह न करें, मैं कहूंगा कि इसमें एक प्रावधान होना चाहिए

संविधान जिसके तहत शिक्षित हरिजन हो सकते हैं

रोजगार प्रदान किया गया। *"(*जोर दिया गया*)*

(II)। द्वारा औपचारिक समानता की अपर्याप्तता की मान्यता

संविधान सभा

108. समानता के अंतर्निहित सिद्धांतों पर बहस के दौरान

अनुच्छेद *16 (*तत्कालीन अनुच्छेद *10* का मसौदा*)*, विधानसभा के कुछ सदस्यों ने माना कि अवसर की समानता के सिद्धांत को सही प्रभाव देने के लिए, संविधान को मौजूदा असमानताओं को स्पष्ट रूप से मान्यता देनी थी। उदाहरण के लिए, श्री फूल सिंह ने कहाः

..... इस मामले में योग्यता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन योग्यता समान है।

पूर्व-मान लीजिए कि समान अवसर है, और मुझे लगता है कि इसके बिना जाता है

यह कहते हुए कि मेहनती जनता को उन सभी अवसरों से वंचित किया जाता है

जिसका आनंद बड़े शहरों में रहने वाले कुछ साक्षर लोग लेते हैं। पूछने के लिए

गाँव के लोग उन शहर के लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए

साइकिल पर सवार एक आदमी से दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कह रहा है

मोटरसाइकिल, जो अपने आप में बेतुका है। फिर, योग्यता में कार्य निष्पादित करने के लिए कुछ संदर्भ भी होना चाहिए।

*(*जोर दिया गया*)*

इसी तरह, पी कक्कम ने कहा,

"..... यदि आप केवल योग्यता को ध्यान में रखते हैं, तो हरिजन ऐसा नहीं कर सकते।

आगे आयें। मैं इस सदन में कहता हूं कि सरकार को

नियुक्ति के आरक्षण के लिए विशेष कदम उठाएँ

उन्हीं वर्षों के लिए हरिजन। मुझे उम्मीद है कि सरकार ले जाएगी

पुलिस और सेना में अधिक नियुक्तियां देने के लिए आवश्यक कदम

सेवाएँ भी। *"131*

*(*जोर दिया गया*)*

109. यह स्वीकार करते हुए कि अवसर की औपचारिक समानता होगी

संविधान के परिवर्तनकारी लक्ष्य को पूरा करने में अपर्याप्त, इन सदस्यों ने माना कि अवसर की समानता की अवधारणा को मौजूदा सामाजिक असमानताओं को पहचानना और उनके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। संविधान सभा ने समानता को कैसे समझा, इस बारे में सबसे अधिक खुलासा करने वाली बहस संविधान के तहत अवसर *30* नवंबर *1948* को मिला। सदस्यों ने अनुच्छेद *10 (*जो आगे चलकर संविधान का अनुच्छेद *16* बन जाएगा*)* के मसौदे पर बहस की। इन बहसों में कुछ सदस्यों ने समझ लिया

129 (खंड *XI) 23* अगस्त *1949* को बहस।

(खंड *XI) 23* अगस्त *1949* को बहस।

131 (खंड *VII) 30* मई *1948* को बहस।

उपखंड *(4) (*आरक्षण का प्रावधान*)* उपखंड *(1)* में प्रतिपादित औपचारिक समानता के सामान्य नियम के अपवाद के रूप में। सचित्र रूप से, इस स्थिति की अभिव्यक्ति मोहम्मद इस्माइल खान द्वारा की गई थी, जिन्होंने कहा था,

> *"*..... इन दो चीजों में से केवल एक ही हो सकती है-या तो वहाँ
>
> स्पष्ट समान अवसर या विशेष विचार हो सकता है।

अनुच्छेद *10* में कहा गया है कि अवसर की समानता होगी, फिर यह एक नकारात्मक खंड द्वारा इस तथ्य पर जोर देता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म या नस्ल के कारण भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह काफी अच्छा है, लेकिन जब कोई संकेत नहीं दिया जाता है कि क्या यह लेख को ओवरराइड करेगा *296* या अनुच्छेद *296* इससे स्वतंत्र है, हम निश्चित रूप से अधर में हैं। अल्पसंख्यकों का क्या होगा*? [* अनुच्छेद *296*

> कहा गया है कि विशेष विचार दिखाए जाएंगे
> सेवाओं में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक*]*। *"132 (*जोर दिया गया*)*

110. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की प्रतिक्रिया अवसर की समानता की विभिन्न अवधारणाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करती है जिन्हें सभा के सदस्यों ने प्रस्तुत किया था। डॉ. अम्बेडकर ने तर्क दिया कि उपखंड *(4)* को शामिल करना इस मांग को स्वीकार करने का एक तरीका था कि उपखंड *(1)* में केवल औपचारिक समानता अपर्याप्त होगी, और अवसर की औपचारिक समानता और समाज के वंचित वर्गों की जरूरतों के बीच संतुलन की आवश्यकता थी। डॉ. अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से कहाः

> *"* ... .यदि सदस्य इस विषय पर अपने विचारों का आदान-प्रदान करने की कोशिश करते हैं, तो वे पाएंगे कि तीन दृष्टिकोण हैं जिन पर हमारे लिए सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है यदि हम एक व्यवहार्य प्रस्तुत करना चाहते हैं।
>
> प्रस्ताव जिसे सभी स्वीकार करेंगे।

जो व्यक्ति किसी विशेष पद के लिए योग्य है, उसे उस पद के लिए आवेदन करने, परीक्षाओं में बैठने और अपनी योग्यता का परीक्षण कराने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वह पद के लिए उपयुक्त है या नहीं और इसकी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए।
एक अन्य विचार जो अधिकतर सदन के एक वर्ग द्वारा साझा किया जाता है, वह यह है कि यदि इस सिद्धांत को लागू करना है और इसे अपने निर्णय में पूरी तरह से लागू होना चाहिए-तो किसी भी वर्ग या समुदाय के लिए किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए।

132 (खंड *VII) 30* मई *1948* को बहस।

बी के पावित्र और ओआरएस। वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

फिर हमारी काफी व्यापक राय है जो इस बात पर जोर देती है कि, हालांकि सैद्धांतिक रूप से यह सिद्धांत रखना अच्छा है कि

अवसर की समानता हो, साथ ही कुछ समुदायों के प्रवेश के लिए एक प्रावधान किया जाना चाहिए जो

अब तक प्रशासन से बाहर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, मसौदा समिति को एक सूत्र तैयार करना था जो इन तीन दृष्टिकोणों का मिलान करें, पहला, कि अवसर की समानता होगी, दूसरा यह कि कुछ समुदायों के पक्ष में आरक्षण होगा, जिन्होंने अभी तक प्रशासन के बारे में 'उचित विचार' नहीं किया है।

उन लोगों का दृष्टिकोण जो विश्वास करते हैं और मानते हैं कि अवसर की समानता होगी, उपखंड *(1)* में सन्निहित किया गया है।

अनुच्छेद *10.* यह एक सामान्य सिद्धांत है। साथ ही, जैसा कि मैंने कहा, हमें कुछ समुदायों द्वारा की गई मांग के साथ इस सूत्र का मिलान करना था कि प्रशासन ने
अब-ऐतिहासिक कारणों से-एक द्वारा नियंत्रित किया गया है

गायब हो जाता है और दूसरों को भी सार्वजनिक सेवाओं में आने का अवसर मिलना चाहिए। *"9 133 (*जोर दिया गया*)* एफ. *2.* एक परिवर्तनकारी साधन के रूप में संविधान

111. संविधान एक परिवर्तनकारी दस्तावेज है। इसकी परिवर्तनकारी क्षमता की प्राप्ति अंततः जीवन में सांस लेने की इसकी क्षमता पर निर्भर करती है।

और इसकी अमूर्त अवधारणाओं में अर्थ। क्योंकि, सबसे बढ़कर, संविधान के प्रारूपकों का उद्देश्य जाति आधारित सामंती समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने का एक महत्वपूर्ण साधन बनना था, जो सदियों से हाशिए पर पड़े लोगों के उत्पीड़न और उनके साथ भेदभाव का गवाह रहा है। जैसे-जैसे हमारा संवैधानिक न्यायशास्त्र विकसित हुआ है, इसकी प्राप्ति

संविधान की परिवर्तनकारी क्षमता इस आधार पर स्थापित की गई है कि

समानता का इसके औपचारिक आधार से दूर इसकी मूल क्षमता तक विकास। *112.* आरक्षण के संदर्भ में, टी देवदासन बनाम भारत संघ *1 34* में निर्णय ने अनुच्छेद *16 (4)* को एक परंतुक या प्रावधान माना।

अनुच्छेद *16 (1)* का अपवाद। एक असहमति में जो संविधान के एक दूरदर्शी कथन को मूर्त रूप देती है, न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने कहाः

133 (खंड *VII) 30* मई *1948* को बहस। *134* ए. आई. आर. *1964* एस. सी. *179 [2019] 7* एस. सी. आर.

हमारे समुदाय के एक बड़े हिस्से को जीवन के लिए कम कर दिया दासत्व। यदि उनके मामले में समान अवसर के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जाता है तो उनके मानकों को बढ़ाना लगभग असंभव होगा। अगर उन्हें साहसिक सहायता के बिना प्रतियोगिता के खुले मैदान में प्रवेश कराया जाता तो उनके पास कोई मौका नहीं होता।

ऐसा समय जब वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते थे। यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद *16* में खंड *(4)* पेश किया। "इस अनुच्छेद में कुछ भी नहीं" अभिव्यक्ति अपने इरादे को सबसे जोरदार तरीके से व्यक्त करने के लिए एक विधायी उपकरण है कि इसके तहत प्रदत्त शक्ति मुख्य प्रावधान द्वारा किसी भी तरह से सीमित नहीं है, बल्कि इसके बाहर आती है। इसने वास्तव में कोई अपवाद नहीं बनाया है, लेकिन के अन्य प्रावधानों द्वारा अनियंत्रित शक्ति को संरक्षित किया है

लेख "।

113. इसके बाद, एन. एम. थॉमस में, संविधान पीठ ने अनुच्छेद *15* और *16* की एक व्याख्या का संपादन किया, जिसने इन मान्यताओं को अनुच्छेद *14* के तहत समानता के सिद्धांत के एक पहलू के रूप में मान्यता दी। सीई के. के. मैथ्यू ने कहाः

" 78 ..... अनुच्छेद *16 (4)* को अनुच्छेद *16 (1)* के अपवाद के रूप में व्याख्या करने में सक्षम है यदि अनुच्छेद *16 (1)* में परिकल्पित अवसर की समानता एक निर्जल है, जो संख्यात्मक समानता की अवधारणा के लिए तैयार है जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक का कोई ध्यान नहीं रखती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के सदस्यों की पृष्ठभूमि

जनजातियाँ। यदि अनुच्छेद *16 (1)* के तहत गारंटीकृत अवसर की समानता का अर्थ प्रभावी भौतिक समानता है, तो अनुच्छेद *16 (4)* अनुच्छेद *16 (1)* का अपवाद नहीं है। यह केवल यह बताने का एक जोरदार तरीका है कि अवसर की समानता को किस हद तक ले जाया जा सकता है। ,

यहाँ तक कि आरक्षण करने तक भी। *" 135*

न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने अपनी विशिष्ट शैली में कहाः

" 139. यह निंदनीय संवैधानिक कानून है कि अनुच्छेद *14* से *16* गारंटीकृत समानता की एक सामान्य संहिता है, जो पहले निर्धारित की गई है

ओ. आर. ए. *77* पृष्ठ *347* बी. के. पावित्र और ओ. आर. एस. वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

व्यापक सिद्धांत, अन्य दो इसे संवेदनशील क्षेत्रों में लागू करते हैं

साम्प्रदायिकता और नौकरी "। *136* इस अदालत ने कई मामलों में इस बाद की समझ को निर्धारित किया है।

जिसमें एबीएस संघ *(*रेलवे*)* बनाम भारतीय संघ शामिल हैं।

114. अंततः, इंद्र में इस न्यायालय के नौ न्यायाधीशों की एक पीठ

साहनी ने माना कि अनुच्छेद *16 (4)* कोई अपवाद नहीं है, बल्कि अनुच्छेद *16 (1)* में समानता का एक पहलू है। न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी ने चार न्यायाधीशों की बहुलता का निर्णय देते हुए कहाः

" 741 ..... अनुच्छेद *16 (4)* अनुच्छेद *16 (1)* का अपवाद नहीं है, बल्कि यह कि यह अनुच्छेद में निहित सिद्धांत को व्यक्त करने का केवल एक जोरदार तरीका है।

स्वयं मुख्य प्रावधान।

हमारी सम्मानजनक राय में, बहुमत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण

थॉमस *[(1976) 2* एस. सी. सी. *310,380: 1976* एस. सी. सी. *(*एल. एंड एस.*) 227: (1976) 1* एस. सी. आर. *906]* सही है। हम भी मानते हैं कि अनुच्छेद *16 (1)* की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है

इसके द्वारा सुनिश्चित अवसर की समानता। *138*

115. एन. एम. थॉमस में न्यायमूर्ति मैथ्यू ने आवश्यकता की बात की

न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में आनुपातिक समानता। इस धारणा पर प्रकाश डालते हुए कि संविधान के तहत समानता संसाधनों और अवसरों तक समान पहुंच प्रदान करने के मूल विचार पर आधारित है, विद्वान न्यायाधीश ने कहाः

नागरिकों की जब भी उन शर्तों और परिस्थितियाँ उनकी समान पहुँच के रास्ते में खड़ी हैं

बुनियादी अधिकारों या दावों का लाभ उठाना। " *139*

इन उपदेशों को आगे बढ़ाते हुए न्यायमूर्ति एस. एच. कपाड़िया *(*उस समय विद्वान न्यायाधीश के रूप में*)* नागराज में संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए कहाः

" 51 ..... इसलिए, वितरण के आधार को निर्धारित करने के लिए तीन मानदंड हैं, अर्थात्, अधिकार, रेगिस्तान या आवश्यकता। ये तीन मानदंड

138 पृष्ठ *691* पर सुप्रा *13* *139* पृष्ठ *346 [2019] 7* एस. सी. आर. पर सुप्रा *77*।

समानता की दो अवधारणाओं के तहत रखा जा सकता है-"औपचारिक समानता" और "आनुपातिक समानता"। औपचारिक समानता का अर्थ है कि कानून सभी के साथ समान व्यवहार करता है और किसी का पक्ष नहीं लेता है क्योंकि वह समाज के लाभान्वित वर्ग या समाज के वंचित वर्ग से संबंधित है। "आनुपातिक समानता" की अवधारणा राज्यों से अपेक्षा करती है कि वे समाज के वंचित वर्गों के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई करें।

उदार लोकतंत्र "। *140*

सामाजिक न्याय, दूसरे शब्दों में, लाभों और बोझों के वितरण से जुड़ा मामला है।

G. प्रशासन में दक्षता

116. सरकारी सेवाओं में सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों के आलोचक

उनका तर्क है कि इस तरह के कार्यक्रम सरकारी प्रशासन की समग्र क्षमता या "दक्षता" पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। आलोचकों का तर्क है कि सरकार के प्रशासन में "दक्षता" सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका "योग्यता" आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करना है-जिसके तहत जो उम्मीदवार दूसरों की तुलना में अधिक, "तटस्थ", मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें सरकारी सेवाओं में अवसर दिए जाते हैं। इस "दक्षता" तर्क के लिए संवैधानिक औचित्य अनुच्छेद *335* के आसपास केंद्रित है।

" *335.* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के दावों को तैयार करने में, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के साथ-साथ ध्यान में रखा जाएगा।

मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों का

संघ या किसी राज्य काः

[बशर्ते कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में योग्यता अंकों में छूट के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगी।

सेवाओं के किसी भी वर्ग या वर्गों में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए मूल्यांकन के मानकों की जांच या उन्हें कम करना या
संघ या किसी राज्य के मामलों के संबंध में पद।*]* . "

यह प्रावधान संविधान *(*अस्सी-दूसरा संशोधन*)* अधिनियम *2000* द्वारा जोड़ा गया था।

117. अनुच्छेद *335* के मूल भाग में एक अधिदेश हैः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावों पर विचार करने की आवश्यकता

मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियाँ करना

14 पृष्ठ *250* पर *0* सुप्रा *6* बी के पावित्र और ओआरएस।

वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

संघ या किसी राज्य का। आरक्षण की तुलना में इसके दायरे में विचार बहुत व्यापक है। नियुक्ति के लिए उनके दावों पर विचार इस तरह से किया जाना चाहिए कि उनकी दक्षता बनी रहे। प्रशासन। परंतुक विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में प्रावधानों की रक्षा करता हैः *(i)* किसी परीक्षा में योग्यता अंकों में ढील देना; *(ii)* मूल्यांकन के मानकों को कम करना; या *(iii)* पदोन्नति के मामलों में आरक्षण। आरक्षण विशेष प्रावधान के भीतर शामिल है लेकिन बाद का ब्रह्मांड व्यापक है।

118. इस परंतुक में माना गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावों पर विचार करने के लिए विशेष उपाय अपनाने की आवश्यकता है।

उन्हें एक स्तर के खेल के मैदान में। सामंती, जाति उन्मुख सामाजिक संरचना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति द्वारा सदियों से झेले जाने वाले भेदभाव और पूर्वाग्रह अवसर तक पहुंच में वास्तविक बाधाएं पैदा करते हैं। परंतुक में एक यथार्थवादी मान्यता है कि जब तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपाय नहीं अपनाए जाते हैं, तब तक नियुक्ति के उनके दावे पर विचार करने के लिए संविधान का जनादेश भ्रामक रहेगा। दूसरे शब्दों में, यह परंतुक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए समानता के वास्तविक और ठोस अधिकार को बढ़ावा देने में एक सहायता है। यह संघ और राज्यों के इन विशेष उपायों में से किसी को भी अपनाने के अधिकार की रक्षा करता है, ताकि संघ और राज्यों के तहत सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के उनके दावों पर यथार्थवादी *(*औपचारिक के विपरीत*)* विचार किया जा सके। परंतुक के लिए योग्यता नहीं है अनुच्छेद *335* का मूल भाग लेकिन यह मूल समानता प्राप्त करने के लिए एक ठोस प्रयास का प्रतीक है। परंतुक में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की आवश्यकता को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बनाए गए इन विशेष उपायों को अपनाने में बाधा के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

119. संविधान यह परिभाषित नहीं करता है कि "प्रशासन की दक्षता" वाक्यांश से निर्माताओं का क्या मतलब है। अनुच्छेद *335* का अर्थ एक रूढ़िवादी धारणा के आधार पर नहीं लगाया जा सकता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से लिए गए रोस्टर अंक कुशल नहीं हैं या उनकी नियुक्ति से दक्षता कम हो जाती है। यह रूढ़िवादी है क्योंकि यह गहरे सामाजिक पूर्वाग्रह को ढकता है। प्रशासन की दक्षता के लिए बेंचमार्क कुछ असंबद्ध, अमूर्त आदर्श नहीं है जिसे एक योग्य खुली श्रेणी के उम्मीदवार के प्रदर्शन द्वारा मापा जाता है। प्रशासन में कुशलता संघ या किसी राज्य के मामलों को एक समावेशी अर्थ में परिभाषित किया जाना चाहिए, जहां समाज के विभिन्न वर्गों को लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन की सच्ची आकांक्षा के रूप में प्रतिनिधित्व मिलता है। यदि, जैसा कि हम मानते हैं, संविधान के जुड़ाव में मूल समानता की प्राप्ति को अनिवार्य करता है

निर्देशात्मक सिद्धांतों के साथ मौलिक अधिकार, *[2019] 7* एस. सी. आर. के साथ समावेश।

राष्ट्र की बहुलता और विविधता की मान्यता दक्षता को परिभाषित करने के लिए एक वैध संवैधानिक आधार है। हमारे मानक हमारे परिणामों को परिभाषित करेंगे। यदि दक्षता का यह मानदंड बहिष्करण पर आधारित है, तो यह शासन का एक ऐसा स्वरूप उत्पन्न करेगा जो हाशिए पर पड़े लोगों के खिलाफ तिरछा है। यदि दक्षता का यह मानदंड समान पहुंच पर आधारित है, तो हमारे परिणाम एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए संविधान की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। अन्यथा, हमारा अतीत हमारे समाज की स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित गहराई से असमान होने से दूर जाने में असमर्थता को परेशान करेगा। इसलिए, अनुच्छेद *335* की व्याख्या करते समय, दक्षता की अवधारणा को एक तरफा दृष्टिकोण से मुक्त करना आवश्यक है जो संघ या राज्य के प्रशासन की दक्षता पर समाज के विभिन्न वर्गों के समावेश की आवश्यकता और सकारात्मक प्रभावों की अनदेखी करता है। शासन के मामलों में एससी और एसटी की स्थिति को योग्य भागीदारों के रूप में स्थापित करना एक समान नागरिकता के लिए स्वाभाविक है। समान नागरिकता समावेशी शासन को मान्यता देती है

लेकिन यह भी सुनिश्चित करता है कि हमारे समाज के वे वर्ग जो पूर्वाग्रह, भेदभाव और उत्पीड़न के इतिहास का सामना कर चुके हैं, शासन में उनकी वास्तविक आवाज हो। चूँकि समावेश एक सुव्यवस्थित समाज से अविभाज्य है, हमारे विचार में, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावों पर विचार करने के बीच कोई विरोधाभास नहीं है।

के मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियाँ संघ या किसी राज्य का।

120. संविधान के दर्शन का यह हिस्सा था

के. सी. वसंत कुमार बनाम कर्नाटक राज्य *1 41 ("*के. सी. वसंत कुमार*")* में न्यायमूर्ति ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी के निर्णय में निहित एक शक्तिशाली व्याख्या में जोर दिया गया। विद्वान न्यायाधीश ने निर्णय दिया:

"35. श्रेष्ठ, अभिजात्य दृष्टिकोण के परिणामों में से एक यह है कि आरक्षण के सवाल को हमेशा गुणकारी सिद्धांत और क्षतिपूर्ति सिद्धांत के बीच संघर्ष के रूप में देखा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तविक संघर्ष उन लोगों के वर्ग के बीच है, जो कभी गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन के रेगिस्तान में नहीं रहे हैं या जो पहले ही गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन के रेगिस्तान से बाहर निकल चुके हैं।
सुविधाजनक जीवन के नखलिस्तान और जो अभी भी रेगिस्तान में हैं और नखलिस्तान तक पहुंचना चाहते हैं। बगीचे में पर्याप्त फल नहीं हैं और इसलिए जो लोग अंदर हैं, वे बाहर के लोगों को बाहर रखना चाहते हैं। अल्पपोषित, गरीबी से पीड़ित, मुश्किल से पीड़ित अधिकांश लोगों के लिए तथाकथित योग्यता सिद्धांत के विनाशकारी परिणाम।

141 (1985) सप.

एस. सी. सी. *714* बी. के. पवित्रा और ओ. आर. एस. वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

हमारे देश के साक्षर और कमजोर लोग कहने के लिए बहुत स्पष्ट हैं। और, योग्यता क्या है*?* ऐसी प्रणाली में कोई योग्यता नहीं है जो
यह ऐसे परिणाम लाता है। "

दक्षता की बात करते हुए, विद्वान न्यायाधीश ने कहा:

"*36.* जब भी आरक्षण का उल्लेख किया जाता है तो विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की जुबान पर दक्षता बहुत अधिक होती है।

कोई यह सोचेगा कि सिविल सेवा एक स्वर्गीय स्वर्ग है जिसमें केवल प्रधान स्वर्गदूत, अभिजात वर्ग में से चुने गए, सबसे अच्छे लोग प्रवेश कर सकते हैं और उन्हें सीढ़ी पर ऊपर जाने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई यह है कि सिविल सेवा कोई स्वर्ग नहीं है और चुने हुए वर्गों से संबंधित उच्च स्तर आवश्यक रूप से दक्षता के मॉडल नहीं हैं। यह अंतर्निहित धारणा कि उच्च जातियों और वर्गों से संबंधित लोग, जिन्हें गैर-आरक्षित पदों पर नियुक्त किया जाता है, अपनी अनुमानित योग्यता के कारण, "स्वाभाविक रूप से" आरक्षित पदों पर नियुक्त किए गए लोगों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और यह कि दक्षता की स्पष्ट धारा पवित्र परिसरों में बाद वाले की घुसपैठ से प्रदूषित होगी, एक द्वेषपूर्ण धारणा है, जो अभिजात वर्ग के उच्च दृष्टिकोण की विशेषता है।

121. समानता का मौलिक अधिकार समाज के सभी वर्गों के लिए है।

अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की स्थितियों को सुधारने की संवैधानिक आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि, हम इस तथ्य से अवगत हैं कि इंद्र साहनी में निर्णय ने कुछ पहलुओं पर के. सी. वसंत कुमार *1 44* को स्वीकार नहीं किया, हम दोनों के बीच ठोस संबंध की व्याख्या करने के लिए टिप्पणियों का हवाला देते हैं। अवसर और योग्यता। यह मौलिक समानता को आगे बढ़ाने की दिशा में संविधान के मौलिक दर्शन का प्रतीक है।

122. आरक्षण की आलोचना में एक धारणा निहित है कि "योग्यता" के आधार पर सरकारी सेवाओं में अवसर प्रदान करना।

इसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होती है। सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रशासनिक दक्षता अधिकारियों द्वारा उनकी नियुक्ति या पदोन्नति के बाद की गई कार्रवाइयों का परिणाम है और यह स्वयं चयन विधि से बंधी नहीं है। यह तर्क कि एक चयन विधि दूसरे की तुलना में बेहतर कार्रवाई करने में सक्षम अधिकारियों को उत्पन्न करती है

143 पृष्ठ *738* पर लिखा है *144* अनुच्छेद *613 [2019] 7* एस. सी. आर. पर उपर्युक्त *139.*

दूसरा, दक्षता के आधार पर आरक्षण पर हमला करने वाले तर्क उन उम्मीदवारों के "योग्यता" के बराबर हैं जो अन्य उम्मीदवारों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। "तटस्थ" मानदंडों पर उम्मीदवार, जैसे मानकीकृत परीक्षाएँ। इस प्रकार, जो उम्मीदवार एक विशेष "कट-ऑफ अंक" से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें "मेधावी" माना जाता है और अन्य को "गैर-मेधावी" माना जाता है। हालाँकि, यह समाज में "योग्यता" के कार्य की एक विकृत समझ है।

123. जैसा कि अमर्त्य सेन ने "योग्यता और न्याय" पर अपने अध्याय में उल्लेख किया है, *145* योग्यता का विचार मौलिक रूप से अच्छे के बारे में हमारे विचारों से व्युत्पन्न है।

समाज। सेन टिप्पणी करते हैं,

"कार्यों को उनके अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है, और एक प्रणाली

अच्छे परिणाम पैदा करने वाली गतिविधियों का पारिश्रमिक देना।

ऐसा माना जाता है कि यह एक बेहतर समाज का निर्माण करेगा। प्रोत्साहन संरचनाओं का तर्क इस सरल कथन से अधिक जटिल हो सकता है, लेकिन इस साधन में योग्यता का विचार है।

परिप्रेक्ष्य बेहतर परिणाम देने की प्रेरणा से संबंधित है।

इस दृष्टिकोण से, क्रियाएं एक व्युत्पन्न में गुणकारी हैं और

आकस्मिक तरीका, इस बात पर निर्भर करता है कि वे क्या अच्छा करते हैं, और अधिक

विशेष रूप से, अच्छा जो लाया जा सकता है

उन्हें पुरस्कृत करें।
..... योग्यता की अवधारणा एक अच्छे समाज के बारे में हमारे विचारों पर गहराई से निर्भर है। वास्तव में, योग्यता की धारणा मौलिक रूप से व्युत्पन्न है,

और इस प्रकार योग्य और आकस्मिक नहीं हो सकता है। वहाँ कुछ है

(1) योग्यता देखने के लिए झुकाव के बीच प्राथमिक तनाव
निश्चित और निरपेक्ष शब्दों में, और *(2)* अंततः

गुण का वाद्य चरित्र इस पर निर्भरता

प्रासंगिक समाज में "अच्छे" की अवधारणा।

इस बुनियादी विरोधाभास को प्रवृत्ति द्वारा अधिक तीव्र बनाया जाता है,

अभ्यास, अतीत के मूल्यों और प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करने वाले लचीले रूपों में "योग्यता" को चिह्नित करने के लिए, अक्सर उन अवधारणाओं के साथ तीव्र संघर्ष में जो योग्यता को देखने के लिए आवश्यक होंगे समकालीन
उद्देश्य और चिंताएँ।

भले ही विशिष्ट "वस्तुनिष्ठ कार्य" जो हैं

अधिकांश देशों में परिभाषित करने और मूल्यांकन करने के लिए निहित रूप से आह्वान किया गया

145 सेन ए, मेरिट एंड जस्टिस, इन एरो, केजे, मेरिटोक्रेसी एंड इकोनॉमिक इक्वैलिटी *(*प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस *2000) (*अमर्त्य सेन, मेरिट एंड जस्टिस*)*।

बी के पावित्र और ओआरएस। वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।*]*

जो योग्यता के रूप में गिना जाता है वह परिणामों के वितरण पहलुओं के प्रति उदासीन *(*या लापरवाही*)* होता है, उस तदर्थ लक्षण वर्णन को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह नहीं है।

"योग्यता" के एक "प्राकृतिक क्रम" का मामला जो हमारी मूल्य प्रणाली से स्वतंत्र है।

सरकार में नियुक्तियों की प्रक्रिया के कई कार्य सेवाएँ प्राप्त करना चाहती हैं। अनुच्छेद *335*, अनुच्छेद *16 (4)* और *46* के पाठ के आधार पर, यह स्पष्ट है कि सरकारी सेवाओं में रोजगार के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उत्थान और एक समावेशी सरकार होना अन्य परिणाम हैं जिन्हें सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों की प्रक्रिया प्राप्त करना चाहती है। सेन ठीक ऐसा ही एक उदाहरण देते हैं।

"उदाहरण के लिए, यदि एक अच्छे समाज की अवधारणा में गंभीर आर्थिक असमानताओं का अभाव शामिल है, तो

वाद्य अच्छाई का लक्षण वर्णन, जिसमें शामिल हैं

योग्यता के पुरस्कार की एक प्रणाली असमानताओं को अच्छी तरह से उत्पन्न कर सकती है कल्याण और अन्य लाभ। लेकिन जैसा कि पहले तर्क दिया गया था,

बहुत कुछ परिणामों की प्रकृति पर निर्भर करेगा जो हैं

जिसकी मांग की जाती है, जिसके आधार पर गुणों को चिह्नित किया जाना है। अगर

वांछित परिणामों में एक मजबूत वितरण घटक होता है,

समानता के लिए प्राथमिकता के साथ, फिर गुणों का आकलन करने में

(उत्पन्न करने वाले परिणामों का आकलन करने के माध्यम से, जिसमें इसके

वितरण संबंधी पहलू*)*, वितरण के बारे में चिंताएं और

असमानता मूल्यांकन में प्रवेश करेगी। *1 46*

(जोर दिया गया*)*

इस प्रकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रदान करना योग्यता के सिद्धांत के विपरीत नहीं है। " योग्यता "इन तक सीमित नहीं होनी चाहिए

संकीर्ण और लचीले मानदंड जैसे कि एक मानकीकृत परीक्षा में किसी की रैंक, बल्कि उन कार्यों से प्रवाहित होना चाहिए जो एक समाज पुरस्कृत करना चाहता है, जिसमें शामिल हैं समाज में समानता और लोक प्रशासन में विविधता को बढ़ावा देना। वास्तव में, सेन का तर्क है कि समानता से बाहर होने का जोखिम है

परिणाम।

"हालाँकि, आधुनिक योग्यता के अधिकांश संस्करणों में, चयनित उद्देश्य लगभग विशेष रूप से उन्मुख होते हैं।

समग्र उपलब्धियाँ *(*असमानता के खिलाफ किसी भी प्राथमिकता के बिना*)*, और कभी-कभी चुने गए उद्देश्य अधिक भाग्यशाली समूहों के हितों के प्रति पक्षपाती *(*अक्सर निहित रूप से*)* होते हैं *(*उन परिणामों का पक्ष लेते हैं जो आबादी के "प्रतिभाशाली" और "सफल" वर्गों द्वारा अधिक पसंद किए जाते हैं। यह असमानता की प्रवृत्ति को मजबूत और बढ़ा सकता है जो हो सकता है

एक वस्तुनिष्ठ कार्य के साथ भी उपस्थित रहें जो अन्य बातों के साथ-साथ
असमानता के स्तर को कम करने के लिए कुछ वजन जोड़ता है। *1 47*

(जोर दिया गया*)*

126. संविधान के अनुच्छेद *335* के प्रावधान में अंकों में ढील देने के प्रावधानों को अनुमति देकर इस जोखिम को कम करने का प्रयास किया गया है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में योग्यता परीक्षा। अगर

नियुक्तियों में सरकार का एकमात्र विचार उन व्यक्तियों को नियुक्त करना था जिन्हें मानकीकृत परीक्षाओं में "प्रतिभाशाली" या "सफल" माना जाता था, संसाधनों तक पहुंच में असमानता और पिछले शैक्षिक प्रशिक्षण के कारण।

समाज*)*, समाज के इन वर्गों के उत्थान और विविध प्रशासन के घोषित संवैधानिक लक्ष्य को कम किया जाएगा। अतः ए. "मेधावी उम्मीदवार केवल वह नहीं है जो "प्रतिभाशाली" या "सफल" है, बल्कि वह भी है जिसकी नियुक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के उत्थान और एक विविध और प्रतिनिधि प्रशासन सुनिश्चित करने के संवैधानिक लक्ष्यों को पूरा करती है।

127. यह अच्छी तरह से तय है कि समाज में मौजूदा असमानताएं विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के पक्ष में भेदभाव करने वाली एक "तटस्थ" प्रणाली को जन्म दे सकती हैं।

उम्मीदवार। जैसा कि मार्क गैलांटर ने नोट किया है, प्रतियोगी परीक्षाओं में परिणाम देने के लिए तीन व्यापक प्रकार के संसाधन आवश्यक हैं जो "योग्यता" के संकेतक के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं। ये हैं:

147 इबिद बी के पावित्र और ओआरएस। वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

. (क*)* आर्थिक संसाधन *(*पूर्व शिक्षा, प्रशिक्षण, सामग्री के लिए,

(संपर्कों, आत्मविश्वास, मार्गदर्शन और सलाह के नेटवर्क,
जानकारी, आदि*);* और *(*ग*)* आंतरिक क्षमता और कड़ी मेहनत।

128. पहले दो मानदंड स्पष्ट रूप से एक के उत्पाद नहीं हैं

उम्मीदवार के अपने प्रयास बल्कि संरचनात्मक परिस्थितियाँ जिनमें वे जन्म लेते हैं। सरकारी नियुक्तियों और पदोन्नति में योग्यता की नैतिक दिशा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान को जोड़कर, संविधान इस जोखिम को कम करता है कि पहले दो मानदंडों की कमी समाज में मौजूद संरचनात्मक असमानताओं को कायम रखेगी।

129. रत्न प्रभा समिति की रिपोर्ट पर अध्याय में विचार किया गया है

III, प्रशासन में दक्षता के संवर्धन और रखरखाव में आरक्षण के बीच संबंध। अंत में, यह निष्कर्ष निकालता हैः

" 3.12 : निष्कर्षः

कर्नाटक सभी क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन दिखा रहा है।

विकास का। , वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, सेवाएँ,

स्थायी आर्थिक विकास का समर्थन करना आदि। इसका विश्लेषण

आर्थिक विकास में राज्य का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से इंगित करता है

कि पदोन्नति में आरक्षण ने समग्र रूप से प्रभावित नहीं किया है
प्रशासन की कुशलता।

130. इसके अलावा, एक औपचारिक कानूनी अर्थ में भी, रोस्टर अंकों के संबंध में पदोन्नति, वरिष्ठता-सह के आधार पर की जाती है।

योग्यता और पदोन्नत किए जाने वाले उम्मीदवार को इस मानदंड को पूरा करना होता है *[*इस संदर्भ में कर्नाटक सिविल सेवा सामान्य भर्ती नियम *1977* के नियम *19 (3)* ए और डी को देखें जिसमें कहा गया है कि अन्य प्रावधानों के अधीन पदोन्नति द्वारा सभी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यवाहक आधार पर होंगी और कार्यावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकरण व्यक्ति को पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं मानता है, तो उसे पदोन्नति से पहले आयोजित पद पर वापस भेजा जा सकता है*]*। पदोन्नति पर एक उम्मीदवार को पुष्टि होने से पहले एक वैधानिक कार्यकाल पूरा करना होता है। यह नियम रोस्टर पॉइंट पदोन्नति सहित पूरे बोर्ड में लागू होता है।

यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासन की दक्षता, किसी भी स्थिति में, प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। *148* गैलांटर एम, प्रतिस्पर्धी समानताएँः भारत में कानून और पिछड़े वर्ग, *(*ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली *1984),* देशपांडे एस द्वारा उद्धृत, समावेश बनाम उत्कृष्टताः जाति और भारतीय उच्च शिक्षा में उचित पहुंच का निर्माण, *40: 1* दक्षिण अफ्रीकी

समाजशास्त्र की समीक्षा *127-147*।

131. शुरुआत में, हम सुश्री इंदिरा जयसिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील की प्रस्तुति का विश्लेषण करते हैं कि मलाईदार परत की अवधारणा लागू नहीं होती है

एससी और एसटी के लिए। विद्वान वकील द्वारा आग्रह किया गया यह निवेदन दो परिकल्पनाओं पर आधारित है जिन्हें हमने लिखित प्रस्तुतियों से नीचे निकाला है:

" (i) इंद्र साहनी के मामले में यह न्यायालय यह सुझाव देता प्रतीत होता है कि

परत को बाहर रखा जाना चाहिए, हालांकि यह निर्धारित करने के लिए कोई सर्वसम्मति नहीं थी कि मलाईदार परत क्या है। कुछ न्यायाधीशों का विचार था कि मलाईदार परत के बहिष्कार के लिए मानदंड सामाजिक प्रगति *(*यानी सामाजिक आधार, शैक्षिक और आर्थिक आधार पर आधारित*)* है और अन्य का विचार था कि यह केवल आर्थिक आधार होगा। यह है।

प्रस्तुत किया कि यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उक्त निर्णय केवल ओ. बी. सी. से संबंधित है; और

(ii) जरनैल इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण नहीं है कि मलाईदार परत सिद्धांत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर लागू होता है। यह केवल के साथ व्यवहार किया
क्रीमी के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद की क्षमता

अनुच्छेद *341* और *342* को प्रभावित किए बिना परत।

132. विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. धवन ने अपने जवाब में आग्रह किया है कि उपरोक्त प्रस्तुतियाँ गलत हैं क्योंकि:

(i) इंद्र साहनी ने क्रीमी लेयर के मुद्दे को तय किया

समानता का सिद्धांत; और

(ii) जरनैल ने पुष्टि की कि अगर नागराज को सही तरीके से लगाया जाता है, तो मलाईदार

परत समानता और मूल संरचना का एक सिद्धांत है।

133. सुश्री जयसिंह का तर्क चिन्नैया में इस निर्णय पर आधारित है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को विभाजित या विभाजित नहीं किया जा सकता है।

क्रीमी लेयर सिद्धांत एससी और एसटी के समरूप समूहों में फैला हुआ होगा। डॉ. धवन के अनुसार इस तर्क को संविधान पीठ ने जरनैल में खारिज कर दिया था।

134. दो न्यायाधीशों की पीठ के रूप में हम इंद्र साहनी के फैसले से बंधे हैं क्योंकि वास्तव में हम उस पर किए गए निर्माण से बंधे हैं।

नागराज और जरनैल में संविधान पीठ द्वारा निर्णय। इंद्र साहनी में निर्णय का निर्माण। नागराज ने कहा:

" 120 ..... समतावादी समानता की अवधारणा आनुपातिक समानता की अवधारणा है और यह राज्यों से सकारात्मक कार्रवाई करने की अपेक्षा करती है।
पावित्र और ओ. आर. एस. के ढांचे के भीतर समाज के वंचित वर्गों का पक्ष लेना।

वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

क्रीमी लेयर की अवधारणा को लाकर धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ संतुलन स्थापित किया जो संविधान की मूल विशेषता है। इस न्यायालय में अक्सर विचार व्यक्त किए गए हैं कि जाति पिछड़ेपन का निर्धारक नहीं होनी चाहिए और केवल आर्थिक मानदंड ही पिछड़ेपन का निर्धारक होना चाहिए। पिछड़ेपन। जैसा कि ऊपर कहा गया है, हम इंदिरा साहनी *[1992* सप्लीमेंट *(3)* एस. सी. सी. *217* में निर्णय से बाध्य हैंः *1992* एस. सी. सी. *(*एल. एंड. एस.*)* अनुपूरक *1: (1992) 22* एटीसी *385]*। पिछड़ेपन के "निर्धारक" के बारे में सवाल हम बाध्यकारी को देखते हुए नहीं कर सकते हैं।

फिर से, अनुच्छेद *121,122* और *123* में, संविधान पीठ " *121.* जिन विवादित संवैधानिक संशोधनों द्वारा अनुच्छेद *16 (4* ए*)* और *16 (4* बी*)* को जोड़ा गया है, वे अनुच्छेद *16 (4)* से आते हैं। वे अनुच्छेद *16 (4)* की संरचना को नहीं बदलते हैं। वे बरकरार रखते हैं

नियंत्रण कारक या बाध्यकारी कारण, अर्थात्,

पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता जो सक्षम बनाती है राज्यों को समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए आरक्षण का प्रावधान करना

अनुच्छेद *335* के तहत राज्य प्रशासन की दक्षता। ये

विवादित संशोधन केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तक ही सीमित हैं। वे किसी भी संवैधानिक आवश्यकता को समाप्त नहीं करते हैं, जैसे कि *50* प्रतिशत की अधिकतम सीमा *(*मात्रात्मक सीमा*)*, मलाईदार परत *(*गुणात्मक बहिष्कार*)* की अवधारणा, अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच उप-वर्गीकरण।

एक ओर और दूसरी ओर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जैसा कि इंदिरा साहनी *[1992* सप्लीमेंट *(3)* एस. सी. सी. *217: 1992* एस. सी. सी. *(*एल. एंड. एस.*)* अनुपूरक *1: (1992) 22* ए. टी. सी. *385]*, इनबिल्ट के साथ पोस्ट-आधारित रोस्टर की अवधारणा

या *6* पृष्ठों पर *277-278 [2019] 7* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर. के. सभरवा *[(1995) 2* एस. सी. सी. में आयोजित प्रतिस्थापन की अवधारणा

745 : 1995 एससीसी *(*एल एंड एस*) 548: (1995) 29* एटीसी *481]*।

122. हम दोहराते हैं कि *50* प्रतिशत की अधिकतम सीमा, की अवधारणा

मलाईदार परत और बाध्यकारी कारण, अर्थात्, पिछड़ेपन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और समग्र प्रशासनिक दक्षता वे सभी संवैधानिक आवश्यकताएँ हैं जिनके बिना अनुच्छेद *16* में अवसर की समानता की संरचना ध्वस्त हो जाएगी।

123. हालाँकि, इस मामले में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, मुख्य मुद्दा "आरक्षण की सीमा" से संबंधित है। इस संबंध में संबंधित राज्य को प्रत्येक मामले में आरक्षण का प्रावधान करने से पहले पिछड़ेपन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और समग्र प्रशासनिक दक्षता जैसे अनिवार्य कारणों का अस्तित्व दिखाना होगा। जैसा कि ऊपर कहा गया है, विवादित प्रावधान एक सक्षम प्रावधान है। राज्य आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है

पदोन्नति के मामलों में एससी/एसटी के लिए। हालाँकि, यदि वे अपने विवेक का प्रयोग करना चाहते हैं और ऐसा प्रावधान करना चाहते हैं, तो राज्य को वर्ग के पिछड़ेपन को दर्शाने वाले मात्रात्मक डेटा एकत्र करना होगा।

और सार्वजनिक रूप से उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता

अनुच्छेद *335* के अनुपालन के अलावा रोजगार। इसे बनाया जाता है।

स्पष्ट करें कि भले ही राज्य के पास सम्मोहक कारण हों, जैसा कि ऊपर कहा गया है, राज्य को यह देखना होगा कि उसके आरक्षण प्रावधान से *50* प्रतिशत की अधिकतम सीमा का उल्लंघन न हो या

मलाईदार परत को मिटा दें या आरक्षण का विस्तार करें

अनिश्चित काल के लिए "। *150*

135. जरनैल में संविधान पीठ के समक्ष संदर्भ त्रिपुरा राज्य बनाम यंता चक्रवर्ती *("*त्रिपुरा राज्य*") 1 5 1* और फिर तीन न्यायाधीशों द्वारा दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रारंभिक संदर्भ से उत्पन्न हुआ।महाराष्ट्र राज्य में एन. सी. एच बनाम विजय घोगरे *1 52*। राज्य में आदेश

त्रिपुरा में कहा गया हैः

" 2 ..... हालांकि, समीक्षा की मांग के अलावा, मलाईदार परत के सिद्धांत के अनुप्रयोग के बारे में भी सवाल उठाए गए थे

समान नस्लों के भीतर प्रतिस्पर्धी दावों की स्थितियों में,

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा अधिसूचित समुदाय, समूह या उनके भाग

संविधान के अनुच्छेद *341* और *342* के तहत राष्ट्रपति

भारत "। *153*

2018) 1 एस. सी. सी. *1462018) 15* एससीसी *64*

पृष्ठ *147-148* पावित्र और ओ. आर. एस. पर सुप्रा *149*।

वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

136. जरनैल में संविधान पीठ के समक्ष, विद्वान अटॉर्नी राल ने विशेष रूप से निम्नलिखित तर्क उठाएः

" 3 ..... विद्वान महान्यायवादी के अनुसार, इंद्र साहनी *(1)* में मलाईदार परत की अवधारणा को लागू नहीं किया गया है। साहनी वी। भारत संघ, *1992* पूरक *(3)* एस. सी. सी. *217: 1992* एस. सी. सी. *(*एल. एंड. एस.*)* अनुपूरक *1* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और नागराज *[*एम. नागराज बनाम। भारत संघ, *(2006) 8* एस. सी. सी. *212*

: (2007) 1 एस. सी. सी. *(*एल. एंड. एस.*) 1013]* ने इस अवधारणा को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों पर लागू करने के लिए उपरोक्त निर्णय को गलत पढ़ा है।

जनजातियाँ। विद्वान महान्यायवादी के अनुसार, एक बार

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को राष्ट्रपति की सूची में रखा गया है, उन्हें अनुसूचित जाति माना जाएगा

और अनुसूचित जनजाति, और उक्त सूची को इसके द्वारा बदला नहीं जा सकता है अनुच्छेद *341* और *342* के तहत संसद को छोड़कर कोई भी। द.

विद्वान महान्यायवादी ने यह भी तर्क दिया कि नागराज *[*एम. नागराज बनाम. भारत संघ, *(2006) 8* एस. सी. सी. *212: (2007) 1* एस. सी. सी. *(*एल. एंड. एस.*) 1013]* सेवा में प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए किसी भी परीक्षण का संकेत नहीं देता है। उनके अनुसार, यह महत्वपूर्ण है कि हम यह निर्धारित करें कि यह परीक्षा पदोन्नति के सभी चरणों में भारत में जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अनुपात की परीक्षा हो, और इस उद्देश्य के लिए, जिस सूची को संदर्भित किया गया है

आर. के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य *[*आरके.

को

सभरवाल बनाम। पंजाब राज्य, *(1995) 2* एससीसी *745: 1995* एससीसी *(एल एंड एस) 548]* का उपयोग किया जा सकता है। विद्वान महान्यायवादी के अलावा तर्क देने वाले अन्य वकीलों ने कुछ बारीकियों के साथ समान तर्कों को दोहराया है।

" 154

जरनैल में लेसिशन ने विशेष रूप से मलाईदार परत के मुद्दे को संबोधित कियाः

" 28. इसलिए, जब नागराज *[*एम. नागराज बनाम। भारत संघ, *(2006) 8* एस. सी. सी. *212: (2007) 1* एस. सी. सी. *(*एल. एंड. एस.*) 1013]* ने मलाई लगाई

अभ्यास में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए परत परीक्षण

अनुच्छेद *16 (4* ए*)* और *16 (4* बी*)* की ओर ले जाने वाले संवैधानिक संशोधनों को बनाए रखने के लिए बुनियादी संरचना परीक्षण के अनुप्रयोग का, यह किसी भी तरह से अनुच्छेद *341* के तहत संसद की शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करता था।

या अनुच्छेद *342*। अतः हमारा स्पष्ट मत है कि

निर्णय के भाग पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है, और

नतीजतन, नागराज को संदर्भित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ओआरए *49* पृष्ठों पर *407-408 [2019] 7* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नागराज बनाम. भारत संघ, *(2006) 8* एस. सी. सी. *212: (2007) 1* एस. सी. सी. *(*एल. एंड. एस.*) 1013]* से सात-न्यायाधीशों की पीठ। हम इस मोड़ पर यह भी जोड़ सकते हैं कि नागराज *[*एम. नागराज बनाम। भारत संघ, *(2006) 8* एस. सी. सी. *212: (2007) 1* एस. सी. सी. *(*एल. एंड. एस.*) 1013]* इस न्यायालय के पाँच विद्वान न्यायाधीशों का एक सर्वसम्मत निर्णय है जो तब से प्रभावी रहा है।

वर्ष *2006* में। इस फैसले का बार-बार पालन किया गया है और

"155 लागू किया गया।

न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन ने जरनैल में संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए मलाईदार परत सिद्धांत को लागू करने का कारण समझायाः

" 25. हालाँकि, जब क्रीमी लेयर सिद्धांत की बात आती है, तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सिद्धांत अनुच्छेद *14* और *16* में आता है।
(1) , क्योंकि एक ही वर्ग के भीतर असमान लोगों के साथ उस वर्ग के अन्य सदस्यों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है।

137. इस प्रकार हम इस निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि क्रीमी लेयर के मुद्दे पर जर्नेल प्रति क्यूरियम नहीं है। एक बात के लिए, जरनैल विशेष रूप से इंद्र साहनी में निर्णय की जांच की गई, यह देखते हुए कि नौ विद्वान न्यायाधीशों में से आठ ने क्रीमी लेयर सिद्धांत को व्यापक समानता सिद्धांत के एक पहलू के रूप में लागू किया। वास्तव में, इंद्र साहनी द्वितीय बनाम भारत संघ *1 56 ("*इंद्र साहनी द्वितीय*")* के निर्णय ने क्रीमी परत के पहलू पर इंद्र साहनी प्रथम के निर्णयों का सारांश दिया। जरनैल के फैसले ने इंद्र साहनी द्वितीय को मंजूरी दे दी जब यह माना गया कि मलाईदार परत सिद्धांत अनुच्छेद *14* और *16 (1)* में सुनाई देता हैः

अनुच्छेद *14* और *16 (1)* में निम्नानुसार हैः *[* इंद्र साहनी *(2)* मामला *[*इंद्र साहनी *(2) v.* भारत संघ, *(2000) 1* एस. सी. सी. *168: 2000* एस. सी. सी. *(*एल. एंड एस.*) 1]*, एस. सी. सी. पी. *190* , पैरा *27]*

" (i) समान और असमान, दोहरे पहलू
27. चूंकि पिछड़े वर्ग में *"*मलाईदार परत*"* के साथ *"*समान*"* व्यवहार किया जाना है और वह आरक्षण के लाभों का हकदार नहीं है, इसलिए यह स्पष्ट है कि यदि *"*मलाईदार परत*"* को बाहर नहीं रखा गया है, तो अनुच्छेद *14* और *16 (1)* का भेदभाव और उल्लंघन होगा क्योंकि बराबर *(*पिछड़े वर्गों की मलाईदार परत*)* के साथ असमान व्यवहार नहीं किया जा सकता है। फिर से, मलाईदार परत का गैर-बहिष्कार भी उल्लंघन होगा

155 पृष्ठ *426* पर लिखा है

156 (2000) 1 एस. सी. सी. *168* बी. के. पावित्र और ओ. आर. एस.

वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

भारत के संविधान के अनुच्छेद *14,16 (1)* और *16 (4)* को असमान *(*मलाईदार परत*)* के रूप में माना नहीं जा सकता है, यानी बाकी पिछड़े वर्ग के बराबर।

इस प्रकार, क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभों से बाहर करने से इनकार करने वाली कोई भी कार्यकारी या विधायी कार्रवाई उल्लंघनकारी होगी।

अनुच्छेद *14* और *16 (1)* और अनुच्छेद *16 (4)* का भी। हम उपरोक्त सिद्धांत के आलोक में धारा *3,4* और *6* की वैधता की जांच करेंगे।

(मूल में जोर*) "157*

और *342*। इसलिए जरनैल में निर्णय में कहा गया कि चिन्नैया ने उन किसी भी पहलू पर विचार नहीं किया जिन पर संवैधानिक संशोधन किए गए थे। नागराज में बरकरार रखा गया था और इसलिए नागराज के लिए चिन्नैया को संदर्भित करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था। मामले के इस दृष्टिकोण में, हम स्पष्ट रूप से

यह विचार कि इंद्र साहनी के निर्माण पर जरनैल का मानना है कि मलाईदार परत सिद्धांत समानता का सिद्धांत है।

138. हालाँकि, हमने उपरोक्त निवेदन को स्वीकार नहीं किया है जिसका हस्तक्षेप करने वालों की ओर से सुश्री जयसिंह ने आग्रह किया था, हमें करना होगा

यह तय करें कि क्या आरक्षण अधिनियम *2018* असंवैधानिक है। वर्तमान मामले में चुनौती आरक्षण अधिनियम *2018* की वैधता के लिए है जो परिणामी वरिष्ठता प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, नियुक्ति में प्रवेश स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दिए गए आरक्षण की प्रकृति या सीमा चुनौती के दायरे में नहीं है। आरक्षण अधिनियम *2018* इस सिद्धांत को अपनाता है कि परिणामी वरिष्ठता एक अतिरिक्त लाभ नहीं है, बल्कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी जाने वाली पदोन्नति का परिणाम है।

एसटीएस। पदोन्नति की घटना के रूप में परिणामी वरिष्ठता की रक्षा करने के लिए, आरक्षण अधिनियम *2018* अनुच्छेद *16 (4* ए*)* द्वारा प्रदत्त सक्षम करने की शक्ति का एक प्रयोग है। मलाईदार परत की अवधारणा में कोई नहीं है

परिणामी वरिष्ठता के अनुदान के लिए प्रासंगिकता। कर्नाटक राज्य के निवेदन में योग्यता है कि पदोन्नति के आधार पर एक संवर्ग में प्रगति को मलाईदार परत का दर्जा प्राप्त करने के रूप में नहीं माना जा सकता है। जरनैल में निर्णय ने इस दलील को खारिज कर दिया कि एससी या एसटी के सदस्य जो उच्च पद पर पहुँचते हैं, उन पर अस्पृश्यता या पिछड़ेपन का कोई दाग नहीं है। संविधान पीठ ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया

157 पृष्ठ *415 [2019] 7* एस. सी. आर. पर सुप्रा *49*।

इस आधार पर प्रस्तुत करना कि यह अनुच्छेद *16 (4* ए*)* की वैधता से संबंधित है और इस प्रकार अभिनिर्धारित करता हैः

" 34 ..... हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि श्री द्विवेदी के तर्क को "क्रीमी लेयर" की अवधारणा के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है, जो कि, जैसा कि हमने ऊपर बताया है, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के भीतर के व्यक्तियों पर लागू होता है, जिन्हें अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, जबकि प्रवेश चरण से परे के पदों पर अनुसूचित जाति के सदस्यों का कब्जा हो सकता है।

जाति या अनुसूचित जनजाति "। *158 (* जोर दिया गया*)*

139. मूल संरचना के उल्लंघन की चुनौती के खिलाफ अनुच्छेद *16 (4* ए*)* और *16 (4* बी*)* की वैधता को बनाए रखने के लिए, नागराज ने

आवश्यकताएँ। उन्हें अनुच्छेद *16* के खंड *(1)* से *(4)* में निहित नहीं माना गया था। नागराज ने माना कि वे संवैधानिक सीमाएँ नहीं हैं या सिद्धांत लेकिन सेवा न्यायशास्त्र से प्राप्त अवधारणाएँ हैं। इसलिए, न तो उन अवधारणाओं का उन्मूलन और न ही उनका सम्मिलन अनुच्छेद *14,15* और *16* में निहित समानता संहिता का उल्लंघन करेगा। नागराज में प्रतिपादित सिद्धांत यह है कि परिणामी वरिष्ठता एक अवधारणा है जो विशुद्ध रूप से सेवा न्यायशास्त्र पर आधारित है। परिणामी वरिष्ठता को शामिल करने से समानता के संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन नहीं होगा। यह वास्तविक संवैधानिक स्थिति होने के कारण, पदोन्नति की घटना के रूप में परिणामी वरिष्ठता के संरक्षण के लिए मलाईदार परत परीक्षण के अनुप्रयोग की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद *16 (4* ए*)* और *16 (4* बी*)* को किसी भी संवैधानिक सीमा को समाप्त नहीं करने और विस्तार परीक्षण को पूरा करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया था। इस मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण से, यह स्पष्ट है कि क्रीमी लेयर की अवधारणा का आरक्षण अधिनियम *2018* की वैधता का आकलन करने में कोई उपयोग नहीं है, जिसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों की पदोन्नति पर परिणामी वरिष्ठता की रक्षा के लिए बनाया गया है।

I. रेट्रोस्पेक्टिविटी

140. आरक्षण अधिनियम *2018* की धारा *3* और *4 17* जून *1995* को लागू हुई। अन्य प्रावधान धारा *1 (2)* में दिए गए प्रावधानों के अनुसार "तुरंत" लागू हो गए। धारा *4* में कहा गया है कि *27* से प्रभावी आरक्षण आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित सरकारी कर्मचारियों को पहले से ही परिणामी वरिष्ठता प्रदान की गई है।

158 पृष्ठ *430* पर सुप्रा *49* बी के पावित्र और ओआरएस।

वी. द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

अप्रैल *1978* वैध होगा और संरक्षित किया जाएगा। इस संदर्भ में, हमें इस न्यायालय के पहले के फैसलों पर ध्यान देना चाहिए किः

(i) वीरपाल सिंह के मामले में निर्णय में कहा गया था कि पकड़ नियम केवल *10* फरवरी *1995* से लागू किया जाएगा जो कि तारीख थी

सभरवाल में निर्णय;

((ii) अजीत सिंह द्वितीय के निर्णय ने विशेष रूप से उन पदोन्नतियों को संरक्षित किया जो *1* मार्च *1996* से पहले दिए गए थे।

पकड़ नियम का पालन करना; और

(iii) बदप्पनवर में, आरक्षित उम्मीदवारों की पदोन्नति के आधार पर

1 मार्च से पहले हुई परिणामी वरिष्ठता पर

1996 विशेष रूप से संरक्षित थे।

141. चूँकि *1* मार्च *1996* से पहले दी गई पदोन्नति सुरक्षित थी, इसलिए विधायिका के लिए परिणामी वरिष्ठता की रक्षा करना तर्कसंगत था। आरक्षण अधिनियम *2018* का उद्देश्य समझौता करना है

रोस्टर अंकों के विरुद्ध पदोन्नति के लिए परिणामी वरिष्ठता। इस दृष्टि से

इस मामले में, हमें यह मानने का कोई कारण नहीं मिलता है कि आरक्षण अधिनियम, *2018* में पूर्वव्यापीता के संबंध में प्रावधान या तो मनमाने हैं या असंवैधानिक है।

142. परिणामी वरिष्ठता का लाभ आरक्षण आदेश *1978* की तारीख से बढ़ा दिया गया है जिसके तहत पदोन्नति की जाती है। आरक्षण के आधार पर दिया गया था।

जे. के. पी. टी. सी. एल. और पी. डब्ल्यू. डी. में प्रतिनिधित्व पर

143. रत्न प्रभा समिति ने कर्नाटक राज्य सरकार के इकतीस विभागों से आंकड़े एकत्र किए। राज्य की ओर से यह बताया गया है कि के. पी. टी. सी. एल. और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे निगम इन निगमों में से किसी एक के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं।

राज्य सरकार के विभाग। इकतीस विभागों में पद को राज्य के तहत सार्वजनिक रोजगार में पद के प्रतिनिधि के रूप में लिया गया था। के. पी. टी. सी. एल. और पी. डब्ल्यू. डी. में अति प्रतिनिधित्व को याचिकाकर्ताओं द्वारा कुल के संदर्भ में पेश किया गया है।

भरे गए पदों की संख्या। दूसरी ओर, कोटा तय किया जाता है और सभरवाल और नागराज में आयोजित कुल स्वीकृत पदों के संबंध में रोस्टर लागू होता है। इसके विपरीत, कर्नाटक राज्य द्वारा प्रस्तुत आंकड़े इंगित करते हैं कि यदि परिणामी वरिष्ठता की अनुमति नहीं है, तो *[2019] 7* एस. सी. आर.

आरक्षित श्रेणियों का प्रतिनिधित्व होगा। अंत में, यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि *13* अप्रैल *1999* के सरकारी आदेश के तहत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति में आरक्षण तब तक प्रदान किया गया है जब तक कि इन श्रेणियों के लिए प्रतिनिधित्व क्रमशः *15* प्रतिशत और *3* प्रतिशत तक नहीं

पहुंच जाता। राज्य ने न्यायालय को सूचित किया है कि उपरोक्त सरकारी आदेश केपीटीसीएल और पीडब्ल्यूडी पर भी लागू होता है।

के. निष्कर्ष

144. उपरोक्त कारणों से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आरक्षण अधिनियम *2018* की संवैधानिक वैधता को चुनौती है - पदार्थ की कमी। बी. के. पवित्रा-*1* में निर्णय के बाद, राज्य सरकार ने नागराज में संविधान पीठ द्वारा बताए गए बाध्यकारी कारकों पर आंकड़ों को इकट्ठा करने और उनका विश्लेषण करने का विधिवत अभ्यास किया। आरक्षण अधिनियम *2018* ने उस कमी को दूर कर दिया है जिसे बी. के. पवित्रा *I* ने आरक्षण अधिनियम *2002* के संबंध में देखा था। आरक्षण अधिनियम *2018* न्यायिक अधिकार हड़पने के बराबर नहीं है।

राज्य विधानमंडल द्वारा शक्ति। यह नागराज और जरनैल के अनुरूप है। आरक्षण अधिनियम *2018* संविधान के अनुच्छेद *16 (4* ए*)* द्वारा प्रदत्त सक्षम करने की शक्ति का एक वैध प्रयोग है।

145. इसलिए हम रिट याचिकाओं के समूह में कोई योग्यता नहीं पाते हैं क्योंकि आरक्षण अधिनियम *2018* की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है। उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। तदनुसार, वर्तमान मामले में फैसले को देखते हुए समीक्षा याचिकाएं और विविध आवेदन भी खारिज कर दिए जाएंगे। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाता है।

146 समापन से पहले, न्यायालय विद्वान वकील की विद्वतापूर्ण प्रस्तुतियों की अपनी सराहना दर्ज करता है जिन्होंने कुशलता से सहायता की है

अदालत। हम डॉ. राजीव धवन और श्री शेखर नाफड़े, विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री पुनीत जैन, विद्वान वकील, जिन्होंने याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलों का नेतृत्व किया, द्वारा प्रदान की गई सहायता को गहराई से महत्व देते हैं। हम सुश्री इंदिरा जयसिंह, श्री बसव प्रभु एस. पाटिल, श्री दिनेश द्विवेदी, श्री निधेश गुप्ता और श्री वी. लक्ष्मीनारायण, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा न्यायालय को दी गई बहुमूल्य सहायता को स्वीकार करते हैं।

याचिकाएं और आवेदन खारिज कर दिए गए।

निधि जैन